

नीट-पीजी NEET-PG



2026

सूचना बुलेटिन Information Bulletin

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा – पीजी
National Eligibility Cum Entrance Test - PG

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए /
For admission to the following courses of 2026-27
academic session:

- एमडी/ एमएस/ पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम
MD/MS/PG Diploma Courses
- पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी पाठ्यक्रम
Post MBBS DNB Courses
- प्रत्यक्ष 6 वर्षीय डीआरएनबी पाठ्यक्रम
Direct 6 Years DrNB Courses
- एनबीईएमएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम
NBEMS Diploma Courses

महत्वपूर्ण तिथियां / IMPORTANT DATES

प्रक्रियाएं / Processes	समय-सारणी / Timelines
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अवधि Online Application Submission Window	01-07-2026 (05:00 PM Onwards) से / to 21-07-2026 (Till 11:55PM)
एडिट विंडो / Edit Window <ul style="list-style-type: none"> केवल उन आवेदनों के लिए जिनका भुगतान सफल हो चुका है: (नाम, राष्ट्रियता, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार, पत्राचार का पता^^ और चुने गए परीक्षा राज्य के विकल्पों को छोड़कर किसी भी अन्य जानकारी दस्तावेजों को/एडिट किया जा सकता है। / For all Payment Success Applications Only: (Any information/documents can be edited except Name, Nationality, Email ID, Mobile number, Aadhaar details, Correspondence Address^^ and Test State Preferences) 	25-07-2026 से / to 28-07-2026
सिलेक्टिव एडिट विंडो* / Selective Edit Window* (लॉगिन डैशबोर्ड में Image Scrutiny Tab के माध्यम से त्रुटिपूर्ण गलत / छवियों को सुधारना" / To rectify deficient / incorrect images through Image Scrutiny Tab in Login Dashboard <ul style="list-style-type: none"> फोटोग्राफ / Photograph हस्ताक्षर / Signatures अंगूठे का निशान / Thumb Impression) 	31-07-2026 से / to 10-08-2026
उम्मीदवारों को परीक्षा शहर की सूचना देना Informing the Test City to the candidates	11-08-2026
प्रवेश पत्र जारी करना Issue of Admit Cards	27-08-2026
परीक्षा तिथि Examination Date	30-08-2026
परिणाम की घोषणा Declaration of Result	30-09-2026 तक / By 30-09-2026
नीट-पीजी 2026 की पात्रता के लिए इंटरनशिप पूरी करने की अंतिम तिथि Cut-off date for completion of internship towards eligibility for NEET-PG 2026	30-09-2026

*नोट: उम्मीदवार ध्यान दें कि त्रुटिपूर्णकमियों वाली छवियों के बारे में/, यदि कोई हो, तो एनबीईएमएस द्वारा सिलेक्टिव एडिट विंडो अवधि के दौरान ईमेल और या आवेदक लॉगिन / डैशबोर्ड के माध्यम से सूचित किया जा सकता है, जिसे Image Scrutiny टैब के माध्यम से सुधारा जा सकता है। (इसके बाद कोई और मौका नहीं दिया जाएगा)

*Note: Candidates may note that deficient images, if any, may be communicated by NBEMS during the Selective Edit Window period through email and / or applicant login dashboard for rectification through the Image Scrutiny Tab. (No further opportunity shall be given after this)

^^ अगर किसी उम्मीदवार ने अपने पत्राचार के पते को ही अपना स्थायी पता चुना है, तो उन्हें "एडिट विंडो" के दौरान स्थायी पते या पत्राचार के पते में कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

If a candidate has selected their correspondence address as their permanent address, they will not be permitted to make any changes to either the permanent address or the correspondence address during the "edit window."

संक्षिप्तीकरण / ABBREVIATIONS

एनबीईएमएस NBEMS	आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड National Board of Examinations in Medical Sciences
नीट-पीजी NEET-PG	राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-पीजी National Eligibility-cum-Entrance Test-PG
जीओआई GoI	भारत सरकार Government of India
एमओएचएफडब्ल्यू MoHFW	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय Ministry of Health and Family Welfare
एनएमसी NMC	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग National Medical Commission
ईईसी EEC	परीक्षा आचार समिति Examination Ethics Committee
ईडब्ल्यूएस EWS	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग Economically Weaker Section
एनडीए NDA	गैर प्रकटीकरण समझौता Non Disclosure Agreement
एमसीसी MCC	चिकित्सा परामर्श समिति Medical Counseling Committee
एएफएमएस AFMS	सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएँ Armed Forces Medical Services
डीजीएचएस DGHS	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय Directorate General of Health Services
एसटी ST	अनुसूचित जनजाति Scheduled Tribe
एससी SC	अनुसूचित जाति Scheduled Caste
ओबीसी OBC	अन्य पिछड़ा वर्ग Other Backward Class
यूआर UR	अनारक्षित श्रेणी Unreserved Category
पीडब्ल्यूडी PwBD	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति Persons with benchmark Disabilities
एमओएसजेई MoSJE	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय Ministry of Social Justice and Empowerment
यूएमसी UMC	अनुचित साधन मामला Unfair Means Case

अनुक्रमणिका / INDEX

क्र. सं. S. No	विषय-सूची CONTENTS	पृष्ठ संख्या Page No.
1	भूमिका / Introduction	5
2	उम्मीदवारों के लिए सूचना / Information for Candidates	8
3	परीक्षा शुल्क / Examination Fee	24
4	पात्रता मापदंड / Eligibility Criteria	27
5	नीट-पीजी 2026 परीक्षा की योजना / Scheme of NEET-PG 2026	32
6	प्रवेश पत्र और परीक्षा दिवस प्रक्रियाएँ / Admit Card and Test Day Procedures	36
7	नीट-पीजी 2026 परीक्षा केंद्र / Centre for NEET-PG 2026	51
8	ऑनलाइन नीट- पीजी आवेदन पत्र भरने के निर्देश / Instructions to Fill Online NEET-PG Application Form	58
9	सावधानी नोटिस, गैर-प्रकटीकरण समझौता और अनुचित साधन / Caution Notice, Non- Disclosure Agreement and Unfair Means	80
10	परिणाम / Result	89
11	परामर्श एवं आरक्षण / Counseling and Reservation	99
12	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा संस्थानों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश / Admissions to PG Courses at Armed Forces Medical Services Institutions	102
13	संचार प्रोटोकॉल / Communication Protocols	106
14	छवि (फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अँगूठा चिन्ह) अपलोड करने के निर्देश / Image (Photograph, Signature, Thumb Impression) Upload Instructions	110
15	अनुलग्नक / Annexures	128

1. भूमिका / Introduction

नीट-पीजी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 61(2) के अनुसार, जिसे स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 के अध्याय IV के साथ पढ़ा जाए, विभिन्न एमडी/एमएस और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा के रूप में निर्धारित पात्रता-सह-रैंकिंग परीक्षा है।

NEET-PG is an eligibility-cum-ranking examination prescribed as the single entrance examination for admission to various MD / MS and PG Diploma Courses as per Section 61(2) of the National Medical Commission Act, 2019 read with Chapter IV of Post Graduate Medical Education Regulations, 2023.

एमडी / एमएस / पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य या संस्थान स्तर पर कोई अन्य प्रवेश परीक्षा मान्य नहीं होगी। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों / संस्थानों के एमडी / एमएस / पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-पीजी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। भारत में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए भी नीट-पीजी अनिवार्य है।

No other entrance examination, either at the state or the Institution level, shall be valid for entry to MD / MS / PG Diploma courses. Qualifying NEET-PG is mandatory for entry to MD / MS / PG Diploma courses under various Universities / Institutions in the country. NEET-PG is mandatory even for foreign nationals seeking admission in medical courses in India.

नीट-पीजी का क्षेत्र / Scope of NEET-PG

नीट-पीजी 2026 शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमडी / एमएस / पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकल पात्रता सह प्रवेश परीक्षा होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे / NEET-PG 2026 shall be the single eligibility cum entrance examination for admission to MD / MS / PG Diploma Courses for the academic session 2026-27 which will include the following:

1. भारत के सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अखिल भारतीय 50% कोटा सीटें।
All India 50% quota seats for all States / Union territories of India.
2. भारत के सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य कोटे की सीटें।
State quota seats for all States / Union territories of India.
3. पूरे देश में सभी निजी मेडिकल कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय।
All Private Medical Colleges, Institutions & Universities / Deemed Universities all across the country
4. सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा संस्थान।
Armed Forces Medical Services Institutions.
5. पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी पाठ्यक्रम, सीधे 6 वर्षीय डीआरएनबी पाठ्यक्रम और पोस्ट एमबीबीएस एनबीईएमएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
Post MBBS DNB Courses, Direct 6 years DrNB Courses and Post MBBS NBEMS Diploma Courses

निम्नलिखित मेडिकल संस्थान नीट-पीजी के माध्यम से एमडी / एमएस सीटों के लिए केंद्रीकृत प्रवेश के अंतर्गत नहीं आते हैं / The following Medical institutions are not covered by centralized admissions for MD / MS seats through NEET-PG:

1. एम्स, नई दिल्ली और अन्य एम्स / AIIMS, New Delhi and other AIIMS
2. पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ / PGIMER, Chandigarh
3. जिपमर, पुडुचेरी / JIPMER, Puducherry
4. निमहंस, बेंगलुरु / NIMHANS, Bengaluru
5. श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेंद्रम / Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram

कोई भी राज्य सरकार / निजी मेडिकल कॉलेज / विश्वविद्यालय प्रवेश सत्र 2026-27 के लिए एमडी / एमएस / पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी कोई अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा।

No State Government / Private Medical college / Universities shall be conducting any separate entrance for admission to their MD / MS / PG Diploma Courses for the admission session 2026-27.

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के बारे में / About National Board of Examinations in Medical Sciences

भारत सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर आधुनिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर परीक्षाओं के उच्च और समान मानकों को स्थापित करने हेतु एवं क्षमता निर्माण के लिए उपलब्ध मौजूदा स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 1975 में आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) की स्थापना की।

The Government of India established the National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) in 1975 with the objective of improving the quality of the Medical Education by establishing high and uniform standards of postgraduate examinations in modern medicine on an All India Basis and utilizing existing healthcare infrastructure for capacity building.

एनबीईएमएस का मुख्य उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के मानकों को ऊंचा करना और अखिल भारतीय स्तर पर उच्च स्तर की परीक्षाएं आयोजित करना है।

The prime objectives of NBEMS is to elevate the standards of post graduate medical education in modern medicine and conducting examinations of high standard on an all India basis.

एनबीईएमएस स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट प्रशिक्षण के ज्ञान और दक्षताओं की प्राप्ति के न्यूनतम स्तर के मूल्यांकन के लिए एक सार्वजनिक राष्ट्रीय मानक प्रदान करता है। एनबीईएमएस निम्नलिखित परीक्षाएँ आयोजित करता है / NBEMS provides a common national standard for evaluation of minimum level of attainment of the knowledge and competencies of post graduate and doctoral training. NBEMS conducts the following examinations:

परीक्षा का नाम Name of Examination	टिप्पणी Remarks
NEET - PG	Single window entrance examination for admission to MD/MS/PG Diploma and Post MBBS DNB Courses, Direct 6 Year DrNB Courses & NBEMS Diploma Courses
NEET - MDS	Single window entrance examination for admission to MDS Courses
NEET - SS	Single window entrance examination for admission to DM/MCh and DrNB Super specialty Courses
DNB-PDCET (Post Diploma CET)	Single window entrance examination for admission to Post Diploma DNB Broad specialty Courses
FELLOWSHIP ENTRANCE TEST (FET)	Single window entrance examination for admission to various Fellowship (FNB) Courses of NBEMS for Indian and International students
FMGE	Screening Test for Foreign Medical Graduates conducted as per Screening Test Regulations, 2002
FDST	Screening Test for Foreign Dental Graduates & Post Graduates
MRE/DRE	Medical Registration Examination/Dental Registration Examination for Republic of Mauritius
FELLOWSHIP EXIT EXAMINATION (FEE)	Exit Examination for award of FNB (Fellow National Board) Qualifications in various sub-specialties
DNB/DrNB FINAL (Theory & Practical)	Exit Examination for award of DNB (Broad) & DrNB (Super Specialty) Qualifications
NBEMS Diploma Final (Theory and Practical)	Exit Examination for award of NBEMS Diploma qualification in respective disciplines.
GPAT	National level examination for award of scholarship to qualified candidates seeking entry into Master of Pharmacy (M. Pharm) course.

2. उम्मीदवारों के लिए सूचना / Information for Candidates

2.1. नीट-पीजी 2026, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न एमडी / एमएस / पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए योग्यता और रैंकिंग परीक्षा है। पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी पाठ्यक्रमों, पोस्ट एमबीबीएस सीधे छह (06) वर्षीय डीआरएनबी पाठ्यक्रमों और एनबीईएमएस के दो (02) वर्षीय पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश भी नीट-पीजी के माध्यम से ही किए जाते हैं।

NEET-PG 2026 is the eligibility-cum-ranking examination for admission to various MD / MS / PG Diploma courses of 2026-27 admission session. Admissions to Post MBBS DNB Courses, Post MBBS Direct Six (06) year DrNB courses and NBEMS Two (02) years Post MBBS Diploma courses are also undertaken through NEET-PG.

2.2. नीट-पीजी 2026 एनबीईएमएस द्वारा आयोजित किया जाएगा। एनबीईएमएस की भूमिका नीट-पीजी के संचालन, परिणाम की घोषणा और नामित काउंसलिंग प्राधिकरण को परिणाम सौंपने तक सीमित है। पीजी सीटों की काउंसलिंग और आवंटन में एनबीईएमएस की कोई भूमिका नहीं है। दस्तावेजों का सत्यापन और उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारण काउंसलिंग / प्रवेश प्रक्रिया के समय संबंधित प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

NEET-PG 2026 will be conducted by NBEMS. The role of NBEMS is limited to the conduct of NEET-PG, declaration of the result and handing over the result to the designated counseling authority. NBEMS has no role in counseling and allotment of medical PG seats. Verification of documents and eligibility determination of the candidates shall be undertaken at the time of counseling / admission process by the concerned authority.

2.3. उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि नीट-पीजी में केवल शामिल होने मात्र से ही पोस्ट ग्रेजुएट एमडी / एमएस / डीएनबी / सीधे 6 वर्षीय सुपर स्पेशलिटी / एनबीईएमएस डिप्लोमा सीट पर कोई स्वचालित अधिकार नहीं मिल जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट एमडी / एमएस / डीएनबी, सीधे 6 वर्षीय सुपर स्पेशलिटी या एनबीईएमएस डिप्लोमा सीटों की पेशकश के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी चिकित्सा संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर चयन और प्रवेश, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस, 2023 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। प्रवेश निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर है, जिसमें पात्रता, मेडिकल फिटनेस और एनबीईएमएस, संबंधित

विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों या राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा निर्धारित कोई भी अतिरिक्त आवश्यकताएं शामिल हैं।

Candidate may kindly note that appearance in NEET-PG does not confer any automatic rights to secure a Post Graduate MD / MS / DNB / Direct 6 years Super Specialty / NBEMS Diploma seat. The selection and admission to postgraduate seats in any medical institution recognized for offering Postgraduate MD, MS, DNB, Direct 6 years Super Specialty, or NBEMS Diploma seats, will be conducted according to the National Medical Commission (NMC) Act, 2019, and the Postgraduate Medical Education Regulations, 2023 and its amendments thereafter. Admission is contingent upon meeting the specified criteria, including eligibility, medical fitness, and any additional requirements set by the NBEMS, relevant universities, medical institutions, or state and central governments.

- 2.4.** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सूचना बुलेटिन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीट-पीजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सूचना बुलेटिन के साथ-साथ एनबीईएमएस वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर नीट-पीजी 2026 इंडेक्स पेज पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने के निर्देशों का अध्ययन करें।

Candidates are advised to read the Information Bulletin carefully and go through the instructions regarding submission of online application form given in the information bulletin as well as on NEET-PG 2026 index page on NBEMS website <https://natboard.edu.in> before starting online submission process for NEET-PG 2026.

2.5. आधार प्रमाणीकरण / Aadhaar Authentication:

- 2.5.1** राजपत्र संख्या **CG-DL-E-10092025-266044** दिनांक **09.09.2025** के अनुसार, एनबीईएमएस को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी गई है और आधार नंबर धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार नंबर के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त राजपत्र **अनुलग्नक-V** पर संलग्न है।

As per the Gazette No. **CG-DL-E-10092025-266044** dt. **09.09.2025**, NBEMS is allowed to perform authentication and is permitted the use of Aadhaar during authentication for establishing identity of Aadhaar holder. The said gazette is attached at **Annexure-V**.

2.5.2 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अत्यधिक सावधानी के साथ अपना आधार दर्ज करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म के **“Identification details”** (पहचान संबंधी जानकारी) टैब में एक बार आधार की जानकारी सबमिट हो जाने के बाद, **इसे एप्लीकेशन प्रोसेस के किसी भी चरण या एडिट विंडो में बदला या अपडेट नहीं किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी से आधार की जानकारी दर्ज करें।**

The Aadhaar, once submitted in **“Identification details”** tab in online application form, **cannot be modified or updated at any stage or in edit window of the application process. Candidates are advised to enter the Aadhaar with utmost care.**

2.5.3 एनबीईएमएस, आधार अधिनियम 2016, उसके तहत बने नियमों और विनियमों, और समय-समय पर जारी सरकारी नोटिफ़िकेशन के प्रावधानों के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े उम्मीदवारों की पहचान स्थापित करने और उसे वेरिफ़ाई करने के मकसद से ही आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करता है।

NBEMS utilizes Aadhaar based authentication solely for the purpose of establishing and verifying the identity of candidates in connection with the examination process, in accordance with the provisions of the Aadhaar Act, 2016, the rules and regulations made thereunder, and relevant Government notifications issued from time to time.

एनबीईएमएस आधार प्रमाणीकरण के उद्देश्य से उम्मीदवार का **आधार स्टोर या अपने पास सुरक्षित नहीं रखता है।** आधार प्रमाणीकरण, भारत सरकार और यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित लागू कानूनी और तकनीकी ढांचे के अनुसार अधिकृत प्रमाणीकरण इकोसिस्टम के माध्यम से किया जाता है।

NBEMS does not store or retain the Aadhaar, of the candidate for the purpose of Aadhaar authentication. Aadhaar authentication is undertaken through the authorized authentication ecosystem in accordance with the applicable legal and technical framework prescribed by the Government of India and UIDAI.

आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल सिर्फ उम्मीदवार की पहचान की पुष्टि करने के लिए एक सुविधा के तौर पर किया जाता है और इसे परीक्षा के लिए पात्रता का सबूत नहीं माना जाएगा। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के दौरान मिली जानकारी का इस्तेमाल एनबीईएमएस परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, गलत तरीकों (unfair means) के मामलों की रोकथाम और जांच, कानूनी कार्यवाही, नियमों

के पालन और परीक्षा / एडमिशन प्रोसेस से जुड़े अन्य कानूनी कामों के लिए कर सकता है, बशर्ते यह लागू कानूनों और तकनीकी मानकों के तहत मान्य हो।

Aadhaar based authentication is used only as a facilitative measure for candidate identity verification and shall not be treated as proof of eligibility for the examination. Information generated as part of the authentication process, to the extent permitted under applicable laws and technical standards, may be utilized by NBEMS for examination administration, security, prevention and investigation of unfair means cases, judicial proceedings, regulatory compliance and other lawful purposes connected with the examination / admission process.

- 2.6.** नीट-पीजी 2026 के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई जानकारी और दस्तावेजों को एनबीईएमएस द्वारा परीक्षा और उसके संचालन, उम्मीदवार सत्यापन, पहचान प्रमाणीकरण, परीक्षा सुरक्षा, अनुचित साधनों के मामलों की रोकथाम और जांच, परिणाम प्रसंस्करण, विनियामक अनुपालन, लेखापरीक्षा, न्यायिक कार्यवाही और परीक्षा व प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए प्रोसेस किया जाएगा।

The information and documents furnished by candidates in relation to NEET-PG 2026 shall be processed by NBEMS for examination & its administration, candidate verification, identity authentication, examination security, prevention and investigation of unfair means cases, result processing, regulatory compliance, audit, judicial proceedings and other lawful purposes connected with the examination and admission process.

ऐसी जानकारी, जहां आवश्यक और लागू कानून के तहत अनुमत हो, नामित काउंसलिंग प्राधिकरणों, प्रवेश प्राधिकरणों, विनियामक निकायों, अदालतों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों और परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया या सांविधिक आवश्यकताओं से संबंधित कार्यों को करने के लिए अधिकृत अन्य संस्थाओं के साथ भी साझा की जा सकती है।

Such information may also be shared, where necessary and permissible under applicable law, with designated counselling authorities, admission authorities, regulatory bodies, courts, law-enforcement agencies, government authorities and other entities authorized to perform functions related to the examination, admission process or statutory requirements.

- 2.7.** यह समझा जाता है कि उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के बाद नीट-पीजी 2026 के लिए सूचना बुलेटिन तथा सूचना बुलेटिन में दिए गए नियमों व शर्तों को पढ़ लिया है, उनसे सहमत हैं तथा उन्हें स्वीकार कर लिया है।

Candidates are deemed to have read, agreed and accepted the Information Bulletin and the terms and conditions in the Information Bulletin for NEET-PG 2026 on completing the online submission of application form.

- 2.8. उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के दौरान दर्ज की गई सभी जानकारी सही और तथ्यात्मक हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी को ही अंतिम और सही माना जाएगा। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की सत्यता / सटीकता सुनिश्चित करने की पूरी ज़िम्मेदारी उम्मीदवार की होगी।

Candidate **should ensure that** all the information entered during the online submission of application form is **correct and factual**. Information provided by the candidates in the online application form shall be treated as final and correct. The candidate shall bear sole responsibility for ensuring the accuracy of the information provided in the application form.

- 2.9. एनबीईएमएस एडिट विंडो बंद होने के बाद, किसी भी परिस्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा भरी गई जानकारी में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। एडिट विंडो से संबंधित विस्तृत विवरण के लिए कृपया “Instructions to Fill Application Form” अध्याय देखें।

NBEMS shall not entertain, under any circumstances, any request for change in the information furnished by the candidates after closure of the Edit Window.

Please refer to the chapter “Instructions to Fill Application Form” for details regarding the Edit Window.

- 2.10. एनबीईएमएस स्वयं किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा करने के समय उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई किसी भी जानकारी को संपादित / संशोधित / बदल नहीं करता है। संपादन विंडो बंद होने के बाद आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में कोई भी बदलाव करने के लिए आवेदन पत्र तक पहुँचने का कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी तरह के बदलाव के ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, उम्मीदवार निर्धारित कट-ऑफ तिथियों तक अपलोड की गई छवियों के संबंध में अपने आवेदन में कमियों (यदि एनबीईएमएस द्वारा सूचित किया जाता है) को सुधारने में सक्षम होंगे।

NBEMS itself does not edit / modify / alter any information entered by the candidates at the time of online submission of application form under any circumstances. There is no provision of accessing the application form to make any changes in the information provided in the application form after closure of edit window. Such requests to make any changes shall not be entertained. Candidates, however,

shall be able to rectify the deficiencies in their application (*if so communicated by NBEMS*) regarding images uploaded, by the prescribed cut-off dates.

- 2.11. कृपया **नीट-पीजी आवेदन पत्र भरने के निर्देशों** पर **अध्याय 8** देखें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जमा किए गए आवेदनों की समीक्षा करें और यदि कोई कमी पाई जाती है, तो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विंडो के भीतर सुधार करें। उम्मीदवार ध्यान दें कि अपलोड की गई छवियों से संबंधित आवेदन पत्र में कमी उन्हें एनबीईएमएस द्वारा बताई जा सकती है, हालाँकि, **यह सुनिश्चित करना आवेदक की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि प्रस्तुत किया गया आवेदन सूचना बुलेटिन के अनुसार सभी पहलुओं में पूर्ण हो।** यदि आवेदन पत्र में कोई कमी, त्रुटि अथवा विसंगति, जिसकी सूचना परीक्षा के आयोजन से पूर्व एनबीईएमएस द्वारा उम्मीदवार को नहीं दी गई हो, किसी भी बाद के चरण में पाई जाती है, तो इससे उम्मीदवार के पक्ष में कोई अधिकार या न्यायसंगत दावा उत्पन्न नहीं होगा तथा उसे परीक्षा के लिए पात्रता प्रदान किए जाने का आधार नहीं माना जाएगा।

Please refer **Chapter 8** on **Instructions to Fill NEET-PG Application Form**. Candidates are advised to review their applications submitted and rectify the deficiencies, if found any, within the window as detailed below. Candidates may note that deficiency in the application form pertaining to images uploaded may be communicated to them by NBEMS, however, **it shall be the sole responsibility of the applicant to ensure that the application submitted is complete in all aspects as per the information bulletin.** *If any deficiency in the application which was not communicated by NBEMS to the applicant before conduct of the examination, is noted at any later stage, this would not create any equity in favour of the candidate and confer any rights on to the candidates for grant of eligibility for the examination.*

- 2.11.1. **एडिट विंडो:** केवल उन्हीं उम्मीदवारों को **25-07-2026 से 28-07-2026** के दौरान अपने आवेदन में एडिट करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने “**Online Application Submission Window**” के दौरान सफलतापूर्वक अपना फीस जमा कर दिया है। **एडिट विंडो के दौरान कोई नया आवेदन पंजीकृत नहीं किया जा सकता है और न ही कोई नया भुगतान किया जा सकता है।** हालांकि, अगर कैंडिडेट की कैटेगरी और / या PwD स्टेटस में बदलाव के कारण कोई अतिरिक्त फ़ीस देनी हो, तो उसे एडिट विंडो के दौरान भरा जा सकता है। **अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय 8 में पैरा 8.28 देखें।**

Edit Window: Candidates who have successfully submitted their payment for the application during “**Online Application Submission window**” shall only be allowed to edit their applications during **25-07-2026 to 28-07-2026**. **No new application can be registered or payment can be made during edit window.**

However, the balance fee required, **if any**, in case of change in candidate category and / or PwD status can be paid during the edit window. **Kindly refer para 8.28 in Chapter 8 for further details.**

2.11.2. सिलेक्टिव एडिट विंडो: एडिट विंडो बंद होने के बाद, एनबीईएमएस द्वारा **Image Scrutiny Portal** के ज़रिए उम्मीदवारों की अपलोड की गई इमेज (फ़ोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान) की जांच की जाएगी। **जिन उम्मीदवारों की अपलोड की गई तस्वीरें तय गाइडलाइंस के अनुसार नहीं पाई जाएंगी**, उन्हें **31-07-2026 से 10-08-2026** के बीच ईमेल और / या एप्लीकेंट लॉगिन डैशबोर्ड के ज़रिए सूचित किया जाएगा। **अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय 8 के धारा 8.31 को देखें।**

Selective Edit Window: Subsequent to closure of the Edit Window, uploaded images (photograph, signature and thumb impression) of the candidates shall be scrutinized by NBEMS through the **Image Scrutiny Portal**. Candidates **whose uploaded images are found deficient / non-compliant with the prescribed Image Upload Guidelines** shall be informed through email and / or applicant login dashboard during **31-07-2026 to 10-08-2026**. **Kindly refer clause 8.31 in Chapter 8 for further details.**

2.12. एनबीईएमएस आवेदन पत्र, अपलोड की गई छवियों / दस्तावेजों अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की गई अन्य जानकारी में पाई गई कुछ कमियों, त्रुटियों अथवा विसंगतियों के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित कर सकता है। तथापि, ऐसी सूचना केवल एक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से होगी। किसी कमी, त्रुटि अथवा विसंगति के संबंध में एनबीईएमएस द्वारा सूचना न दिए जाने मात्र से अभ्यर्थी के पक्ष में कोई अधिकार, न्यायसंगत दावा अथवा निहित अधिकार उत्पन्न नहीं होगा।

NBEMS may communicate certain deficiencies / errors observed in the application form, uploaded images / documents or other particulars furnished by the candidate. However, such communication shall be merely a facilitative measure. Non-communication of any deficiency, discrepancy or defect by NBEMS shall not confer any right, equity or vested claim upon the candidate.

2.13. नीट-पीजी 2026 के लिए आवेदन केवल एनबीईएमएस वेबसाइट <https://natboard.edu.in> के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

Application for NEET-PG 2026 can only be submitted online through NBEMS website <https://natboard.edu.in>

आवेदन जमा करने के लिए कोई अन्य पद्धति नहीं है। किसी अन्य माध्यम से जमा किया गया आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

There is no other methodology for application submission. Application submitted through any other mode shall be summarily rejected.

अंतिम समय की जल्दबाजी, इंटरनेट ट्रैफिक, फीस की विफलता, बिजली गुल होना, ब्राउज़र की असंगति, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याओं या एनबीईएमएस के उचित नियंत्रण से बाहर के किसी भी अन्य कारण से उम्मीदवारों द्वारा अपना आवेदन जमा न कर पाने की स्थिति में **एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा।**

NBEMS shall not be responsible for inability of candidates to submit their applications on account of last-minute rush, heavy internet traffic, payment failures, power failure, browser incompatibility, internet connectivity issues or any other cause beyond the reasonable control of NBEMS.

'Application submission window' समाप्त होने के बाद, किसी भी कारण से आवेदन स्वीकार करने के किसी भी अनुरोध पर एनबीईएमएस द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

No request for acceptance of application after closure of the 'Application Submission Window', for any reason whatsoever, shall be entertained by NBEMS.

- 2.14.** उम्मीदवारों को कड़ी सलाह दी जाती है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परीक्षा संबंधी दस्तावेज, आवेदन विवरण, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ओटीपी, पहचान संबंधी दस्तावेज, फोटोग्राफ, प्रवेश पत्र, स्कोरकार्ड अथवा अन्य किसी भी संवेदनशील जानकारी को किसी तृतीय पक्ष, परीक्षा तैयारी सेवा प्रदाता, ऑनलाइन मंच, एजेंसी अथवा व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें।

Candidates are strongly cautioned not to share their personal information, examination-related documents, application details, login credentials, OTPs, identity documents, photographs, admit cards, scorecards, or any other sensitive information with any third party, exam preparation service provider, online platform, agency, or individual.

ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण अनधिकृत संचार, प्रतिरूपण के प्रयासों, पहचान की चोरी, धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों, परीक्षा संबंधी कदाचार तथा अन्य प्रकार के दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। एनबीईएमएस ने किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को अपनी ओर से उम्मीदवारों से परीक्षा संबंधी अथवा व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने, प्राप्त करने या मांगने हेतु अधिकृत नहीं किया है।

Disclosure of such information significantly increases the risk of unauthorized communications, impersonation attempts, identity theft, fraudulent activities, examination malpractices, or other forms of misuse. NBEMS does not authorize any entity or individual to collect, solicit, or seek examination-related or personal information from candidates on its behalf.

उम्मीदवारों द्वारा किसी तृतीय पक्ष के साथ जानकारी अथवा दस्तावेज साझा किए जाने अथवा उनके अनधिकृत प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिणाम, धोखाधड़ी या हानि के लिए एनबीईएमएस उत्तरदायी नहीं होगा। उम्मीदवारों को केवल एनबीईएमएस द्वारा उसके आधिकारिक माध्यमों से जारी सूचनाओं पर ही विश्वास करने तथा किसी भी अनचाहे अनुरोध अथवा संचार के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

NBEMS shall not be held liable or responsible for any adverse consequences, fraud, or loss arising from the unauthorized disclosure of information or documents by the candidates to any third party. Candidates are advised to rely solely on official communications issued directly by NBEMS and to remain vigilant against unsolicited requests.

- 2.15.** एक उम्मीदवार नीट-पीजी 2026 हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा नीट-पीजी 2026 के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने का पता चलता है, तो एनबीईएमएस उच्च क्रमांक वाले आवेदन संख्या (आवेदन क्रम संख्या) वाले आवेदन पत्र के आधार पर प्रवेश पत्र जारी कर सकता है तथा अन्य आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुए उनके लिए जमा परीक्षा शुल्क जब्त कर सकता है। अगर एनबीईएमएस को परीक्षा या एडमिशन प्रोसेस के किसी भी चरण में कोई अनुचित तरीका (unfair practice) अपनाए जाने का पता चलता है, तो वह एनबीईएमएस की 'अनुचित तरीकों से संबंधित गाइडलाइन्स' (Unfair Means Guidelines) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है और उन्हें एनबीईएमएस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से रोक (Debar) सकता है।

A candidate can submit NEET-PG 2026 application form only once. If a candidate is found to have submitted more than one application form for NEET-PG 2026, NBEMS may issue admit card to the application bearing higher order Application number (application sequence number) and cancel other application(s) forfeiting the fee for them. If NBEMS detects any unfair practice at any stage of the examination or admission process, it may cancel the candidature of the candidates concerned and debar them

from appearing in any NBEMS-conducted examinations, in accordance with the provisions of the NBEMS Unfair Means Guidelines.

- 2.16.** जो उम्मीदवार ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ पूरी तरह से भरे हुए आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, या सुधार के लिए तय आखिरी तारीख तक अपने आवेदनों में कमियों को ठीक नहीं कर पाते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। **परीक्षा आयोजित होने से पहले जिन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।** ऐसे मामलों में, आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

Candidates who fail to submit duly completed applications with requisite documents and / or fail to rectify the deficiencies in their applications by the last date prescribed for rectification shall be declared ineligible. **Admit Card shall not be issued to candidates who are declared INELIGIBLE before conduct of examination.** In such cases, the application fees will be forfeited.

- 2.17.** जो उम्मीदवार गलत या बनावटी जानकारी / रिकॉर्ड देंगे, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को एनबीईएमएस द्वारा आयोजित भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से भी रोक दिया जाएगा। यदि गलत या मनगढ़ंत रिकॉर्ड / सूचना प्रस्तुत की जाती है या कोई अनुचित साधन इस्तेमाल किया जाता है तो एनबीईएमएस द्वारा उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी।

Applications of candidates producing false or fabricated information / records will not be considered and such candidates **will be further debarred from appearing in the future examinations conducted by NBEMS.** Action as deemed appropriate by NBEMS will be taken if false or fabricated records / information is submitted or any unfair means are used.

- 2.18.** उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि दी गई जानकारी तथ्यात्मक हो और दस्तावेज़ों के साथ समर्थित हो। आवेदन पत्र में (*) चिह्नित कॉलम अनिवार्य हैं और उन्हें खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। आवेदन पत्र के अस्वीकार होने की स्थिति में, किसी भी पत्राचार / पुनर्विचार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

Candidates are advised to ensure that the information provided is factual and supported with documents. Columns marked (*) in the application form are mandatory and cannot be left blank. In the event of rejection of the application form, no correspondence/request for re-consideration will be entertained.

- 2.19.** परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी एमबीबीएस डिग्री या उसके बराबर की योग्यता एनएमसी अधिनियम 2019, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस, 2023 और / या स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशंस, 2002 और उनमें बाद में किए गए संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि एमबीबीएस डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी / परिणाम रद्द कर दिया जाएगा / रद्द माना जाएगा।

Candidates should ensure before applying for the examination that their MBBS degree or equivalent qualification is recognized as per provisions of the NMC Act, 2019, the Post Graduate Medical Education Regulations, 2023 and / or Screening Test Regulations, 2002 & its subsequent amendments. If it is found at any time that MBBS degree is not recognized, the candidature / result of the candidate shall be cancelled / deemed to be cancelled.

- 2.20.** उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड के लिए इस बुलेटिन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पात्रता और अन्य मुद्दों से संबंधित प्रश्नों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब मांगी गई जानकारी सूचना बुलेटिन या एनबीईएमएस वेबसाइट में नहीं दी गई हो।

Candidates should go through this bulletin carefully for eligibility criteria before applying. Queries pertaining to eligibility and other issues will only be entertained if the information requested is not given in the bulletin of information or NBEMS website.

पात्रता और परिणामों के प्रकटीकरण के संबंध में अभिभावकों / माता-पिता के टेलीफोन पर पूछे गए किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।

No Queries of the Guardians / Parents will be entertained on telephone with regard to the eligibility / deficiency and disclosure of the results.

- 2.21.** निर्धारित निर्देशों के अनुसार अधूरे ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

Submission of incomplete online application form not in accordance with prescribed instructions shall invite rejection of the application. In such cases, the examination fee shall not be refunded.

- 2.22.** नीट-पीजी 2026 परीक्षा के किसी भी चरण में अयोग्य पाए जाने वाले उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी अयोग्य उम्मीदवार के नीट-पीजी 2026 परीक्षा में बैठने और / या उत्तीर्ण

होने की अप्रत्याशित स्थिति में, ऐसे उम्मीदवार का परिणाम / उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और / या रद्द मानी जाएगी, भले ही परिणाम घोषित कर दिया गया हो या स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया हो।

Candidate found ineligible at any stage of NEET-PG 2026, will not be permitted to appear in the examination. In an unlikely event of any ineligible candidate appearing and / or passing the NEET-PG 2026, the results / candidature of such candidate shall be cancelled and / or is deemed to be cancelled, even if result has been declared or scorecard has been issued.

- 2.23.** एनबीईएमएस किसी भी ऐसे उम्मीदवार को अनजाने में दी गई अनुमति, यदि कोई हो, वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो नीट-पीजी 2026 में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं है, भले ही प्रवेश पत्र / रोल नंबर जारी कर दिया गया हो या नाम / रोल नंबर एनबीईएमएस वेबसाइट पर प्रदर्शित हो।

NBEMS reserves the right to withdraw permission, if any, granted inadvertently to any candidate who is not eligible to appear in the NEET-PG 2026 even though the admit card / roll number has been issued or name / roll number is displayed on NBEMS website.

- 2.24.** किसी भी स्थिति में फीस **न तो किसी भविष्य की परीक्षा के लिए आगे ले जाई जाएगी** और **न ही वापस** की जाएगी। एक बार आवेदन जमा करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता।

Fee shall **neither be carried forward to any future exam nor refunded** under any circumstances. Application once submitted cannot be withdrawn.

- 2.25.** उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतया अनंतिम है तथा इस सूचना बुलेटिन में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर है।

Candidates' eligibility is purely provisional and subject to fulfilment of the prescribed eligibility criteria as mentioned in this Information Bulletin.

- 2.26.** सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देश एनबीईएमएस / एमओएचएफडब्ल्यू / एनएमसी / MCC of DGHS / एएफएमएस द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के आधार पर बदले जा सकते हैं।

उम्मीदवार के पक्ष में कोई इक्विटी या कोई अधिकार नहीं है जो उत्पन्न हो रहा है या होने वाला माना जाता है। उम्मीदवारों को इन परिवर्तनों को शामिल करने के लिए जारी किए जा सकने वाले नवीनतम बुलेटिन या शुद्धिपत्र का संदर्भ लेना आवश्यक है। नवीनतम अपडेट या शुद्धिपत्र के लिए एनबीईएमएस वेबसाइट <https://natboard.edu.in> देखें।

Instructions in the Information Bulletin are liable to change based on decisions taken by the NBEMS / MoHFW / NMC / MCC of DGHS / AFMS from time to time.

There is no equity or any rights that are / or deemed to be arising in favour of candidate. Candidates are required to refer to the latest bulletin or corrigendum that may be issued to incorporate these changes. Refer NBEMS website <https://natboard.edu.in> for latest updates or corrigendum.

2.27. मौजूदा शेड्यूल, पैटर्न, नीति और दिशा-निर्देश केवल संदर्भ के लिए हैं, लेकिन किसी भी तरह से, उन्हें इस तथ्य का प्रतिनिधि या स्वीकृति नहीं माना जाना चाहिए कि एनबीईएमएस भविष्य में उनका पालन करने के लिए बाध्य है। एनबीईएमएस इस सूचना बुलेटिन में निहित किसी भी या कुछ निर्देशों / दिशा-निर्देशों को बदलने, संशोधित करने, संशोधित करने या लागू करने का अपना पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।

The existing schedule, pattern, policy and guidelines are for ready reference only but in no way, they are or are ought to be treated as representative or acknowledgment of fact that NBEMS is bound to follow the same in future. NBEMS reserves its absolute right to alter, amend, modify or apply any or some of the instructions / guidelines contained in this information bulletin.

2.28. पात्रता निर्धारण / परीक्षाओं के संचालन / उम्मीदवारों के पंजीकरण / इसमें निहित जानकारी के संबंध में किसी भी निर्देश / शर्तों / नियमों / मानदंडों की व्याख्या में किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में, एनबीईएमएस की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी प्रकृति की होगी। बुलेटिन के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में निहित जानकारी में किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी भाषा में उल्लिखित जानकारी को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा।

In case of any ambiguity in interpretation of any of the instructions / terms / rules / criteria regarding the determination of eligibility / conduct of examinations / registration of candidates / information contained herein, the interpretation of the NBEMS shall be final and binding in nature. In case of any discrepancy in the information contained in English and Hindi version of the bulletin, the information mentioned in English language shall be considered final and binding.

2.29. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि या परीक्षा केंद्र में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रकार के बदलावों के लिए न तो कोई पैरवी करें और न ही कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

Request shall not be entertained for change in date / center of examination under any circumstances. Candidates are advised not to canvass or represent for changes.

2.30. नीट-पीजी 2026 के लिए प्रवेश पत्र **27-08-2026** से एनबीईएमएस की वेबसाइट (<https://natboard.edu.in>) पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। परीक्षा आयोजित होने से पहले जिन उम्मीदवारों को अयोग्य पाया जाएगा, उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

Admit Cards for NEET-PG 2026 will be available for download on the NBEMS website (<https://natboard.edu.in>) from **27-08-2026** onwards. Candidates found ineligible before conduct of the examination shall not be issued admit cards.

2.31. नीट-पीजी 2026 का परिणाम एनबीईएमएस वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर प्रकाशित किया जाएगा।

Result of NEET-PG 2026 shall be published on NBEMS websites <https://natboard.edu.in>

2.32. नीट-पीजी 2026 के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रदान की गई अथवा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न की गई सूचना, दस्तावेज, अभिलेख एवं डेटा को केवल उतनी अवधि तक ही सुरक्षित रखा जाएगा, जितनी परीक्षा संचालन, प्रवेश प्रक्रिया, लेखा-परीक्षण (ऑडिट), शिकायत निवारण, विवाद समाधान तथा लागू विधिक एवं नियामकीय आवश्यकताओं के अनुपालन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो। अभ्यर्थियों के आवश्यक मास्टर डेटा, परीक्षा परिणामों तथा शुल्क भुगतान संबंधी अभिलेखों को सत्यापन, अभिलेख-रक्षण (record-keeping) तथा लागू कानून के अनुसार अनुपालन संबंधी उद्देश्यों के लिए दीर्घ अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

The information, documents, records, and data furnished by candidates or generated in connection with NEET-PG 2026 shall be retained only for as long as necessary to fulfil the purposes of examination administration, admission processes, audits, grievance redressal, dispute resolution, and compliance with applicable legal and regulatory requirements. Essential candidate master data, examination results, and fee payment records may be retained for longer periods solely for verification, record-keeping, and compliance purposes, as required under applicable law.

2.33. नीट-पीजी 2026 का आयोजन एनबीईएमएस द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र के मार्ग और स्थान से पहले ही परिचित हो जाएं ताकि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में अंतिम समय में होने वाली किसी भी देरी से बचा जा सके। कृपया टेस्ट डे प्रक्रियाओं के विवरण पर अध्याय देखें।

NEET-PG 2026 shall be conducted by NBEMS at various exam centres engaged for the purpose. Candidates are advised to familiarise themselves with the route and location

of the exam centre well in advance to avoid any last-minute delay in arrival to the exam centre. Please refer Chapter on details of Test Day Procedures.

- 2.34.** ड्यूटी पर मौजूद परीक्षा केंद्र के कर्मचारी उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए अधिकृत हैं और वे उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने और उसे दर्ज करने के लिए कदम उठा सकते हैं। उम्मीदवारों को अपेक्षित सहयोग देना होगा।

The examination test centre staff on duty is authorized to verify the identity of candidates and may take steps to verify and record the identity of candidates. Candidates are required to extend requisite cooperation.

- 2.35.** एनबीईएमएस परीक्षा केंद्रों के परिसर में मोबाइल फोन / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग / कब्जा सख्त वर्जित है। मोबाइल फोन / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कब्जे / उपयोग के लिए उम्मीदवारों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नीट-पीजी 2026 में किसी भी अनुचित व्यवहार का उपयोग करने पर एनबीईएमएस के अनुचित साधनों के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों पर लागू होने वाले शैक्षणिक और / या आपराधिक दंड लगाए जाएंगे। कृपया परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग पर अध्याय में विस्तृत दिशा-निर्देश देखें।

Possession / Use of mobile phones / Electronic devices is strictly prohibited in the premises of NBEMS test centres. Candidates shall be liable for penal action for Possession / Use of Mobile phones / Electronic devices. Resorting to use of any unfair practice in NEET-PG 2026 shall be dealt with as per the Unfair Mean Guidelines of NBEMS. Such candidates shall be imposed academic and / or criminal punishments as may be applicable. Please go through guidelines detailed in Chapter on use of unfair means in the examination.

- 2.36. डेमो टेस्ट:** उम्मीदवारों के लाभ के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट प्रारूप से परिचित होने के लिए वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर एक डेमो टेस्ट उपलब्ध होगा। उम्मीदवार संभवतः **15-08-2026 के बाद से** डेमो टेस्ट का उपयोग कर सकेंगे।

Demo Test: A demo test shall be available for the benefit of candidates to familiarise themselves with the Computer Based Test format at website <https://natboard.edu.in> Candidates will be able to access the Demo test tentatively from **15-08-2026 onwards.**

- 2.37.** उम्मीदवारों को नीट-पीजी 2026 से संबंधित मामलों के संबंध में एनबीईएमएस के साथ केवल निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही संवाद करना चाहिए, जिसका विवरण संचार प्रोटोकॉल अध्याय के अंतर्गत दिया गया है।

The candidates should communicate with NBEMS regarding matters related to NEET-PG 2026 as per prescribed Protocols only, detailed under Chapter on Communication Protocols.

- 2.38.** उम्मीदवारों को नीट-पीजी 2026 के लिए "हेल्पडेस्क" टैब के माध्यम से संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे आवेदक द्वारा अपने आवेदन खाते में लॉगिन करने के बाद एक्सेस किया जा सकता है। डाक के माध्यम से पत्राचार कार्यकारी निदेशक, आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, मेडिकल एन्क्लेव, महात्मा गांधी मार्ग, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 को संबोधित किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे शीघ्र प्रसंस्करण के लिए लिफाफे पर पत्राचार के विषय के बारे में लिखें।

Candidates are encouraged to communicate for NEET-PG 2026 through "Helpdesk" tab which can be accessed after the applicant login to its application account. The correspondence through post should be addressed to the Executive Director, National Board of Examinations in Medical Sciences, Medical Enclave, Mahatma Gandhi Marg, Ansari Nagar, New Delhi-110029. Candidates are requested to superscribe the envelope with the subject matter of the correspondence for expeditious processing.

- 2.39.** नामित काउंसलिंग प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग के समय नीट-पीजी 2026 के लिए पंजीकरण, एनबीईएमएस नीट-पीजी 2026 में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विवरण / जानकारी के अनुसार होगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि वही बनाए रखें जो एनबीईएमएस नीट-पीजी 2026 आवेदन पत्र में दिए गए हैं।

The Registration for NEET-PG 2026 at the time of Counseling to be conducted by designated counseling authority will be as per the details / information of the candidates submitted in NBEMS's NEET-PG 2026. Hence, candidates are advised to maintain their same Registration details e.g. Mobile Number, Email ID etc. as provided in the NBEMS NEET-PG 2026 application form.

- 2.40.** अदालती मामलों / विवादों का क्षेत्राधिकार केवल नई दिल्ली में होगा।

The jurisdiction for court cases / disputes shall be at New Delhi only.

3. परीक्षा शुल्क / Examination Fee

3.1. परीक्षा शुल्क / Examination Fee:

उम्मीदवार की श्रेणी Category of Candidate	परीक्षा शुल्क* Examination Fee*
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस General, OBC and EWS	₹ 3500/-
एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी SC, ST, PwBD	₹ 2500/-

*विभिन्न भुगतान गेटवे द्वारा लागू शुल्क को छोड़कर। / Excluding charges as may be applicable by various payment gateways.

- 3.2. एक बार आवेदन पत्र जमा किए जाने के पश्चात् उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में न तो वापस किया जाएगा और न ही भविष्य की किसी परीक्षा के लिए समायोजित अथवा अग्रेषित किया जाएगा। परीक्षा शुल्क की वापसी, समायोजन, हस्तांतरण अथवा भविष्य की किसी परीक्षा के लिए अग्रेषित किए जाने संबंधी किसी भी अनुरोध पर एनबीईएमएस द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

Applications forms once submitted cannot be withdrawn. The examination fee shall neither be refunded nor carried forward to any future examination under any circumstances. No request for refund, adjustment, transfer or carry forward of the examination fee shall be entertained by NBEMS.

- 3.3. **भुगतान कैसे करें:** निर्धारित परीक्षा शुल्क यूपीआई या भारत में बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड या अन्य उपलब्ध तरीकों का उपयोग करके प्रदान किए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए जो वेब पेज पर उपलब्ध कराए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय उपलब्ध भुगतान गेटवे के अलावा किसी अन्य माध्यम से शुल्क जमा नहीं किया जा सकता है।

How to pay: The prescribed exam fee should be remitted through payment gateway provided using UPI or Credit Card / Debit Cards issued by banks in India or other modes as may be made available and have been provided on the web page. Fee can not be deposited through any mode other than the payment gateway available while submitting online application form submission.

- 3.4. अनुपस्थित रहने वाले या किसी कारणवश अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों की परीक्षा फीस जब्त कर ली जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नीट-पीजी 2026 के लिए सूचना बुलेटिन को ध्यान से पढ़ें और शुल्क का भुगतान करने से पहले पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए नियम और शर्तों को पूरा करें।

Examination fees in respect of candidates who are absent or have been declared ineligible due to any reason shall be forfeited. Candidates are advised to read the information bulletin for NEET-PG 2026 carefully and satisfy the terms and conditions for fulfilment of eligibility criteria before proceeding for payment of fees.

3.5. कृपया सुनिश्चित करें कि परीक्षा शुल्क के लिए किया गया भुगतान सफल है और इसकी पुष्टि आवेदन पत्र में भुगतान स्थिति के अंतर्गत देखी जा सकती है जो “S” (सफल के लिए) के रूप में दिखाई देती है। यदि स्थिति लंबित दिखाई देती है, तो भुगतान आपके बैंक के पास अटका हुआ हो सकता है और बाद की तारीख में साफ़ किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती है जब तक कि आवेदन पत्र में भुगतान की स्थिति “S” के रूप में दिखाई न दे। आपके बैंक द्वारा एनबीईएमएस को भुगतान के निपटान में देरी के कारण आपके आवेदन को अस्वीकार करने के लिए एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा। Kindly ensure that the payment made for examination fee is successful and confirmation of the same can be seen in the application form under payment status reflected as “S” (for successful). In case the status is shown as pending, the payment might be stuck with your bank and might be cleared at a later date. The application submission process is not completed till such time the status of payment is reflected as “S” in application form. NBEMS shall not be responsible for rejection of your application due to delay in settlement of the payment by your bank to NBEMS.

3.6. यदि किसी एक ही आवेदन क्रम संख्या के संबंध में परीक्षा शुल्क का एक से अधिक बार भुगतान प्राप्त होता है, तो आवेदन अवधि समाप्त होने के पश्चात् एनबीईएमएस निर्धारित परीक्षा शुल्क को सुरक्षित रखते हुए प्राप्त अतिरिक्त शुल्क वापस कर देगा। अभ्यर्थियों को दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र जमा करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें तथा संभावित तकनीकी समस्याओं, भुगतान विफलता अथवा भुगतान लेन-देन के विलंबित मिलान (Reconciliation) से बचने के लिए परीक्षा शुल्क के भुगतान सहित संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया समय रहते पूर्ण कर लें।

In an event of receipt of duplicate / multiple examination fees towards the same **Application Sequence Number**, NBEMS shall refund the excess fees received for an application retaining the prescribed examination fee, after closure of application window. Candidates are strongly advised not to wait till the last date for submission of application form and to complete the application process, including payment of examination fee, well in advance to avoid possible technical issues, payment failures or delayed reconciliation of payment transactions.

- 3.7.** नीट-पीजी 2026 के लिए आवेदन जमा करने का एकमात्र मान्य तरीका एनबीईएमएस की वेबसाइट के ज़रिए तय समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म जमा करना होगा। किसी अन्य तरीके से या आवेदन जमा करने की तय समय-सीमा खत्म होने के बाद जमा किए गए आवेदनों को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन जमा करने की समय-सीमा खत्म होने के बाद, किसी भी कारण से आवेदन स्वीकार करने के अनुरोध पर एनबीईएमएस द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

The online submission of application form through the NBEMS website within the prescribed timeline shall be the only valid mode of application submission for NEET-PG 2026. Applications submitted through any other mode and / or after closure of the prescribed application submission window shall not be accepted under any circumstances. No request for acceptance of application after closure of the application submission window, for any reason whatsoever, shall be entertained by NBEMS.

- 3.8.** उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र भरते समय उनके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो और वे कम्पैटिबल डिवाइस / ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। उम्मीदवार की ओर से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्राउज़र की असंगति या बिजली से संबंधित समस्याओं के कारण आवेदन में आने वाली बाधा, अधूरे जमा होने या जमा न हो पाने की स्थिति के लिए एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा।

Candidates shall ensure availability of stable internet connectivity and use of compatible device / browser while filling the application form. NBEMS shall not be responsible for interruption, incomplete submission or non-submission of application caused due to candidate-side hardware, software, internet connectivity, browser compatibility or power-related issues.

4. पात्रता मापदंड / Eligibility Criteria

नीट-पीजी 2026 में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं / The eligibility criteria to appear in NEET-PG 2026 is as follows:

4.1. भारतीय चिकित्सा स्नातकों के लिए पात्रता मानदंड / ELIGIBILITY CRITERIA FOR INDIAN MEDICAL GRADUATES

जिन उम्मीदवारों ने भारत से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है, उन्हें यह करना होगा / Candidates who have completed their MBBS from India must:

एनएमसी अधिनियम, 2019 और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री या अनंतिम एमबीबीएस पास प्रमाणपत्र होना चाहिए।

Possess MBBS degree or Provisional MBBS Pass Certificate recognized as per the provisions of the NMC Act, 2019 and the Post Graduate Medical Education Regulations, 2023,

एवं / and

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) / पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) या राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा जारी एमबीबीएस योग्यता का स्थायी या अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना होगा।

Possess Permanent or Provisional registration certificate of MBBS qualification issued by the National Medical Commission (NMC) / the erstwhile Medical Council of India (MCI) or State Medical Council,

एवं / and

एक वर्ष की इंटरशिप पूरी कर ली हो या 30-09-2026 को या उससे पहले इंटरशिप पूरी करने की संभावना हो।

have completed one year of internship or are likely to complete the internship on or before 30-09-2026.

4.2. नीट-पीजी 2026 के किसी भी चरण में अयोग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा और / या काउंसलिंग में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी अयोग्य उम्मीदवार के नीट-पीजी 2026 में उपस्थित होने और / या सफल होने की अप्रत्याशित स्थिति में, ऐसे उम्मीदवार का परिणाम / उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और / या रद्द मानी जाएगी।

Candidates found to be ineligible at any stage of NEET-PG 2026 will not be permitted to appear in the examination and / or counseling. In an unlikely event of any ineligible

candidate appearing and / or being successful in the NEET-PG 2026, the results / candidature of such candidate shall be cancelled and / or are deemed to be cancelled.

- 4.3.** जिन अभ्यर्थियों की अनिवार्य इंटरनशिप **30-09-2026** के पश्चात् पूर्ण होनी है अथवा जिनकी योग्यता राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 तथा निरसित भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके द्वारा नीट-पीजी 2026 में सम्मिलित होने हेतु किए गए आवेदन बिना किसी अन्य विचार के सीधे अस्वीकार कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को आगे यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत न करें।

Requests for appearing in NEET-PG 2026 from candidates completing internship after **30-09-2026** or having qualifications that are not recognized as per the NMC Act, 2019 and the repealed IMC Act, 1956 shall be summarily rejected. Candidates are further advised not to canvass for the same.

- 4.4.** आवेदन पत्र में 12 महीने की अनिवार्य रोटेटिंग इंटरनशिप के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा बताई गई तिथियां (अर्थात् इंटरनशिप शुरू होने और समाप्ति की तिथि) को अंतिम माना जाएगा और उम्मीदवारों को आवंटित मेडिकल कॉलेज / संस्थान में काउंसलिंग / प्रवेश के समय अनिवार्य रोटेटिंग रेजिडेंट इंटरनशिप पूरा होने का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

The dates indicated by candidates with regard to 12 months Compulsory Rotating Resident Internship in the application form (i.e. internship starting and completion date) shall be treated as final and candidates will be required to submit the original Compulsory Rotatory Internship completion certificate at the time of counseling / admission in allotted Medical College / Institute.

- 4.5.** जिन मेडिकल कॉलेजों से उम्मीदवारों ने एमबीबीएस डिग्री कोर्स पास किया है और वर्ष 2026 के लिए अनिवार्य रोटेटरी इंटरनशिप पूरी की है, उनकी मान्यता के लिए कट ऑफ तिथियां एनएमसी द्वारा निर्धारित की जाएंगी। एनएमसी द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि के बाद मान्यता प्राप्त कॉलेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

The cut-off dates for the recognition of the Medical Colleges, from where the candidates have passed their MBBS Degree Course and completed compulsory rotatory Internship for the year 2026 will be as prescribed by the NMC. The Colleges recognized after the cut-off date prescribed by the NMC will not be considered.

- 4.6. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) / पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) या राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकरण आवश्यक है और **इसका दस्तावेजी प्रमाण उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के दिन तथा काउंसलिंग / प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**

Registration with the National Medical Commission (NMC) / the erstwhile Medical Council of India (MCI) or State Medical Council is necessary and **its documentary proof should be furnished by the candidates on the day of examination and at the time of counseling / admission.**

- 4.7. कुछ विश्वविद्यालयों / संस्थानों में यह नियम है कि जो उम्मीदवार पहले से ही उनके विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीजी कोर्स कर रहे हैं, वे तब तक प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं जब तक वे कोर्स पूरा नहीं कर लेते। जो उम्मीदवार पहले से ही अखिल भारतीय कोटा या राज्य कोटा के माध्यम से पीजी कोर्स कर रहे हैं और अखिल भारतीय कोटा / राज्य कोटा सीटों के तहत सीट के लिए आवेदन कर रहे हैं, वे इस संबंध में उस विश्वविद्यालय की पात्रता शर्तों की पुष्टि कर सकते हैं। **यदि ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है, तो एनबीईएमएस / एमओएचएफडब्ल्यू / नामित परामर्श प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।** ऐसे उम्मीदवार अपनी जिम्मेदारी और खर्च पर स्पेशलिटी / कोर्स और कॉलेज चुन सकते हैं।

Some of the Universities / Institutions are having regulations that candidates who are already pursuing the PG Course in their University **or** in another University are not eligible for admission till they complete the course. The candidates who are already pursuing PG Courses either through All India Quota or State Quota and are applying for a seat under All India Quota / State quota seats may confirm the eligibility conditions of that University in this regard. **NBEMS / MoHFW / Designated Counseling Authority shall not be responsible if such candidates are refused for admission.** Such candidates may opt for the specialty / course and the college at their own risk and cost

- 4.8. डीम्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एनआरआई की परिभाषा WP 689/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 22/08/2017 के आदेश के अनुसार होगी।

The definition of NRI for admission to Deemed University shall be as per Hon'ble Supreme Court order dated 22/08/2017 in WP 689/2017.

- 4.9. परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः अनंतिम (Provisional) होगी। नीट-पीजी 2026 में सम्मिलित होने मात्र से उम्मीदवार को पोस्टग्रेजुएट एमडी / एमएस / डीएनबी / प्रत्यक्ष 6 वर्षीय सुपर स्पेशलिटी अथवा एनबीईएमएस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का कोई स्वचालित अथवा निहित अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

Eligibility of candidates issued admit card for the examination shall be purely provisional. Appearance in NEET-PG 2026 does not confer any automatic rights upon the candidate for admission to Postgraduate MD / MS / DNB / Direct 6 years Super Specialty / NBEMS Diploma courses.

- 4.10. फॉरेन मेडिकल स्नातकों के लिए पात्रता मानदंड:** भारतीय नागरिक या भारत के विदेशी नागरिक जिन्होंने भारत के बाहर के मेडिकल कॉलेजों से अपनी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त की है, उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2002 के अनुसार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) उत्तीर्ण करना चाहिए, जो आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके अलावा, उन्हें एनएमसी / तत्कालीन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ पंजीकृत होना चाहिए और अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी चाहिए थी या **30-09-2026** को या उससे पहले अपनी इंटर्नशिप पूरी करने की संभावना थी।

ELIGIBILITY CRITERIA FOR FOREIGN MEDICAL GRADUATES: Indian Citizens or Overseas Citizens of India who have obtained their Primary Medical Qualifications from Medical Colleges outside India should have qualified the Foreign Medical Graduate Examination (Screening Test) as per Screening Test Regulations, 2002 which is conducted by National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS). Further, they should have been registered with the NMC / the erstwhile Medical Council of India or State Medical Council and should have completed their internship or likely to complete their internship on or before **30-09-2026**.

- 4.11. विदेशी नागरिकों के लिए पात्रता मानदंड / ELIGIBILITY CRITERIA FOR FOREIGN NATIONALS:**

- 4.11.1.** उनकी मूल चिकित्सा योग्यता, एमबीबीएस के समकक्ष, एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

Their basic Medical Qualification, equivalent to MBBS, should be recognized by the NMC.

- 4.11.2.** नीट-पीजी 2026 में उपस्थित होने के इच्छुक विदेशी नागरिक और जिन्हें गृह मंत्रालय (एमएचए) की आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता होती है, उन्हें नीट-पीजी के लिए आवेदन करने से पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करनी होगी। नीट-पीजी के लिए आवेदन करते समय सुरक्षा मंजूरी जमा करना आवश्यक होगा।

Foreign Nationals desirous of appearing in NEET-PG 2026 and those, who are required to have security clearance as per the Ministry of Home Affairs (MHA) requirements, shall obtain the security clearance from Ministry of Home Affairs, Govt. of India before applying for NEET-PG. The security clearance shall be required to be submitted while applying for NEET-PG.

4.11.3. एनएमसी, पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, उस मेडिकल कॉलेज / संस्थान तक सीमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि के लिए अस्थायी पंजीकरण दे सकता है, जिसमें उसे विशेष रूप से स्नातकोत्तर अध्ययन करने के लिए प्रवेश दिया गया है। बशर्ते कि ऐसे विदेशी नागरिक का अस्थायी पंजीकरण इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसा व्यक्ति अपने देश में उचित पंजीकरण प्राधिकारी के साथ विधिवत पंजीकृत है, जहां से उसने अपनी बुनियादी चिकित्सा योग्यता प्राप्त की है, और संबंधित मेडिकल काउंसिल या संबंधित प्राधिकारी द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त है और भारत में स्नातकोत्तर करने की अनुमति देने के लिए उस देश की मेडिकल काउंसिल से अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी प्राप्त किया गया है।

The NMC may, on payment of the prescribed fee for registration, grant temporary registration for the duration of the Post Graduate course limited to the medical college / institution to which he / she is admitted for the time being exclusively for pursuing postgraduate studies. Provided further that temporary registration to such foreign national shall be subject to the condition that such person is duly registered with appropriate registering authority in his own country where from he has obtained his Basic Medical qualification, and is duly recognized by the corresponding Medical Council or concerned authority and Permission / No Objection Certificate (NOC) from the medical council of that country to allow undertaking Post Graduation in India has also been obtained.

4.12. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नीट-पीजी 2026 में पात्रता या प्रवेश पत्र जारी करने के लिए एनबीईएमएस के साथ प्रचार न करें। प्रश्न, यदि कोई हो, केवल कम्यूनिकेशन वेब पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किसी भी रूप में प्रचार करने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Candidates are advised not to canvass with NBEMS for eligibility in NEET-PG 2026 or issuance of admit card. Queries, if any, can be submitted through Communication Web Portal only. Canvassing in any form shall invite rejection of the application.

5. नीट-पीजी 2026 परीक्षा की योजना / Scheme of NEET-PG 2026

5.1. नीट-पीजी 2026 परीक्षा एक ही दिन में **30-08-2026** को कंप्यूटर आधारित-परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा **30-08-2026** को **एक ही शिफ्ट** में आयोजित होगी।

NEET-PG 2026 shall be conducted on **30-08-2026** through computer-based examination in a single day. The exam will be held on **30-08-2026 in a Single Shift.**

5.2. **पाठ्यक्रम:** परीक्षा का पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग / तत्कालीन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा जारी एमबीबीएस पाठ्यचर्या के अनुसार विषयों / ज्ञान के क्षेत्रों पर आधारित होगा।

Syllabus : The syllabus for the exam shall comprise of subject / knowledge area as per MBBS Curriculum issued by the National Medical Commission / the erstwhile Medical Council of India.

5.3. परीक्षा में **180** बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे और हर प्रश्न के लिए केवल अंग्रेज़ी भाषा में **4** विकल्प / उत्तर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को हर प्रश्न में दिए गए **4** विकल्पों में से सही / सबसे अच्छा / सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना होगा। **परीक्षा के लिए 03 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया है।**

The examination shall comprise of **180** Multiple Choice Questions with each question having **4** response options / distractors in English language only. Candidates are required to select the correct / best / most appropriate response / answer out of the **4** response options provided in each question. **Time allotted for the examination is 03 hrs 30 minutes.**

5.4. **अंकन योजना:** प्रत्येक एमसीक्यू के लिए अंकों का आवंटन इस प्रकार होगा / **Marking Scheme:**

Allocation of marks for each MCQ shall be as follows:

क्र. सं. S. No.	उत्तर RESPONSE	अंक MARKS
1	सही उत्तर Correct Response	4 अंक / Marks
2	गलत उत्तर Incorrect Response	1 अंक काटा जाएगा / Mark shall be deducted
3	अनुत्तरित प्रश्न Unattempted Question	शून्य / Zero

5.5. परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को किसी भी प्रश्न को, चाहे प्रयास किया गया हो या नहीं, समीक्षा के लिए चिह्नित करने का विकल्प दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि उम्मीदवार को परीक्षा समय समाप्त होने से पहले इन प्रश्नों को फिर से पढ़ने का विकल्प दिया गया है। **उम्मीदवार ध्यान रखें कि ऐसे प्रश्न जिन्हें समीक्षा के लिए चिह्नित किया गया है,** उनका मूल्यांकन ऊपर उल्लिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा।

During the examination candidates are given an option to mark any question, whether attempted or not, for review which means that candidate has been given an option to go through these questions again before the examination time ends. **Candidates may note that such questions which are marked for review** shall be evaluated as per the marking scheme mentioned above.

5.6. नीट-पीजी 2026 के प्रश्न पत्र को पाँच समयबद्ध खंडों- में विभाजित किया जाएगा, जिनके नाम ग्रुप A, B, C, D और E हैं। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के विषयों के प्रश्नों को इन पाँच खंडों में वितरित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक खंड में **36** प्रश्न होंगे। प्रत्येक खंड के लिए **42** मिनट का समय आवंटित किया जाएगा। उम्मीदवारों को पिछले खंड का आवंटित समय पूरा होने तक अगले खंड में जाने की अनुमति नहीं होगी, और उस खंड का आवंटित समय समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को उसके प्रश्नों की समीक्षा करने या उत्तरों में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले खंड का आवंटित समय समाप्त होने के बाद अगले खंड के प्रश्न स्वचालित रूप से शुरू हो जाएंगे।

The question paper for NEET-PG 2026 will be divided into Five time-bound sections, namely Group A, B, C, D & E. The questions from subjects of MBBS curriculum shall be distributed across these Five sections of **36** questions each. Each section will have **42** minutes of time allotted for the section. Candidates would be restricted to proceed to the next section till completion of the allotted time of the previous section and candidates would not be allowed to review the questions/ modify the responses of a section after the completion of the allotted time of that section. Questions of the next section will start automatically after the completion of the allotted time of the previous section.

**समय-सीमित अनुभागों (Time-Restricted Sections) की वास्तविक संख्या प्रश्नपत्र में सम्मिलित प्रश्नों की कुल संख्या तथा ऐसे अनुभागों के संचालन की व्यवहारिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित हो सकती है।*

The actual number of such time-restricted sections may vary based on the total number of questions in the question paper and operational feasibility in making such sections.

5.7. नीट-पीजी 2026 के लिए समय का आवंटन निम्नलिखित प्रकार से होगा / Allocation of time for NEET-PG 2026 shall be as follows :

गतिविधियां / Activities	समय / Time
उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति और परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू होने का समय Allow Candidates to enter the examination centre and Commence Registration for the test	सुबह 07:00 बजे 07:00 AM
परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बंद होने का समय Entry closes at Examination Center	सुबह 08:30 बजे 08:30 AM
उम्मीदवार लॉगिन के लिए पहुँच प्रदान करने का समय Grant access for Candidate Login	सुबह 08:45 बजे 08:45 AM
निर्देश पढ़ने के लिए उम्मीदवार लॉग इन करने का समय Candidates log in to read instructions	सुबह 08:50 बजे 08:50 AM
परीक्षा प्रारंभ समय Exam Start Time	सुबह 09:00 बजे 09:00 AM
परीक्षा समाप्ति समय Exam End Time	दोपहर 12:30 बजे 12:30 PM

5.8. कंप्यूटरआधारित परीक्षा- के मुख्य चरण / Steps for a Computer Based Test

Submit Online Application Form

Edit Application in Edit Window, if required

Rectify Images in Final Edit Window, if asked

Watch Demo Test (At NBEMS Website)

Download Admit Card

Report at Test Centre on Schedule Date & Time

Security Check-in Process

Registration for Test + Face ID & Biometric
Capture

Examination Begins

During Exam FaceID/Biometric Verification

Examination Ends

6. प्रवेश पत्र और परीक्षा दिवस प्रक्रियाएँ / Admit Card & Test Day Procedures

- 6.1. प्रवेश पत्र: प्रवेश पत्र 27-08-2026 को एनबीईएमएस की वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर लाइव कर दिए जाएंगे।

Admit Card: Admit cards shall be made live on NBEMS website <https://natboard.edu.in> on 27-08-2026.

परीक्षा के आयोजन से पहले जो उम्मीदवार अयोग्य पाए जाएंगे, उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण उनके द्वारा आवेदन पत्र में जमा किए गए डेटा के आधार पर किया जाएगा।

Admit cards will not be issued to candidates found INELIGIBLE before the conduct of the examination. Candidates eligibility shall be determined as per data submitted by the candidate in the application form.

- 6.2. उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी होने के संबंध में एक ईमेल अलर्ट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। प्रवेश पत्र उम्मीदवारों को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करने के बाद एनबीईएमएस की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड की एक प्रति संभाल कर रखें, क्योंकि नीट-पीजी 2026 के परिणाम की घोषणा के बाद यह उपलब्ध नहीं होगा।

Candidates will be informed through an [Email alert regarding the issuance of Admit Card](#). The Admit card will not be sent to the candidates by Post. **Candidates are required to download their admit card from the NBEMS website after login with their credentials. Candidates are advised to retain a copy of the Admit Card for future reference as this will not be available after the declaration of NEET-PG 2026 result.**

- 6.3. उम्मीदवारों को एनबीईएमएस की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा और परीक्षा केंद्र पर उसका रंगीन प्रिंटआउट, साथ ही एसएमसी / एनएमसी (तत्कालीन एमसीआई) पंजीकरण प्रमाण पत्र की रंगीन फोटोकॉपी के साथ लाना अनिवार्य है।

Candidates are required to download their admit card from the NBEMS website and bring the **COLOURED** printout of the same at exam centre **alongwith COLOURED** photocopy of SMC / NMC (erstwhile MCI) registration certificate.

6.4. परीक्षा दिवस प्रक्रिया: एनबीईएमएस जहां भी आवश्यक हो, सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखते हुए सुरक्षित वातावरण में **कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी)** आयोजित करेगा।

TEST DAY PROCEDURES: NBEMS shall be conducting the **Computer Based Test (CBT)** in safe and secure environment maintaining social distancing norms wherever needed.

6.5. प्रवेश पत्र में दी गई समय-सीमा के अनुसार उम्मीदवारों का प्रवेश: उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र में बताए गए समय के अनुसार परीक्षा स्थल के 'रिपोर्टिंग काउंटर' पर रिपोर्ट करना होगा। परीक्षा केंद्र (रिपोर्टिंग काउंटर) का सटीक प्रवेश बिंदु और स्थल का मुख्य द्वार कुछ दूरी पर हो सकता है। परीक्षा केंद्र के प्रवेश बिंदु (रिपोर्टिंग काउंटर) तक पहुंचने में अप्रत्याशित देरी से बचने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर पहुंचें और कार्यक्रम स्थल के परिसर में परीक्षा केंद्र में प्रवेश के सटीक बिंदु से पहले ही परिचित हो लें। रिपोर्टिंग काउंटर परीक्षा शुरू होने के समय से 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा। **परीक्षा केंद्र के प्रवेश बिंदु (रिपोर्टिंग काउंटर) पर पहुंचने में किसी भी देरी से प्रवेश से इनकार कर दिया जाएगा, भले ही उम्मीदवार स्थल के परिसर में पहुंच गया हो।**

Entry of Candidates as per Timelines given in the Admit Cards: Candidates are required to report at the 'Reporting Counter' of test venue as per time indicated in their admit cards. The exact entry point to the test centre (Reporting Counter) and the main gate of venue might be at a distance. To avoid unforeseen delay in reaching to the test centre entry point (Reporting Counter), candidates are advised to reach well in time and familiarise themselves with the exact point of the entry to test centre in the premises of the venue well in advance. The reporting counter will close 30 minutes prior to the test start time. **Any delay in arrival to the test centre entry point (Reporting Counter) shall lead to denial of entry even if the candidate might have arrived to the premises of venue.**

6.6. निर्धारित समय से देर से या उससे अधिक समय तक रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में बैठने की **अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी कारण से उम्मीदवार के केंद्र पर पहुंचने में देरी के लिए एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा।**

Candidates reporting late or beyond the prescribed time **shall not be allowed** to appear in the exam under any circumstances. **NBEMS shall not be responsible for any delayed arrival of the candidate in reaching the centre due to any reason.**

6.7. परीक्षा केंद्र का स्थान: परीक्षा केंद्रों का सटीक पता और स्थान प्रवेश पत्र में दर्शाया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन से कम से कम एक दिन पहले परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग काउंटर स्थानों से परिचित हो जाएं और सुनिश्चित करें कि वे परीक्षा के लिए निर्धारित समय के अनुसार ही रिपोर्ट करें। केवल त्वरित संदर्भ के लिए प्रवेश पत्र में गूगल मानचित्र स्थान दर्शाया जाएगा। यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि वह आगमन में किसी भी देरी से बचने के लिए पहले ही परीक्षा केंद्र के सटीक स्थान की पुष्टि कर ले।

Test Centre Location: Exact address and location of the test centres shall be indicated in the admit card. Candidates are advised to familiarise themselves with the test centre and reporting counter locations at least one day prior to the examination day and ensure that they report for the exam as per scheduled time only. Google map location shall be indicated in the admit card for quick reference only. It shall be the responsibility of the candidate to confirm the exact location of the test centre well in advance to avoid any delay in arrival.

6.8. *उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित रिपोर्टिंग समय से काफी पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचें और परीक्षा के पूरे दिन के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध रखें। पंजीकरण, प्रमाणीकरण, सत्यापन, सुरक्षा प्रक्रियाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के प्रबंधन सहित परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में निर्धारित परीक्षा अवधि से अधिक समय लग सकता है। उम्मीदवारों को अपनी यात्रा और अन्य प्रतिबद्धताओं की योजना तदनुसार बनानी चाहिए और परीक्षा के दिन आगे की यात्रा के लिए कोई भी जल्दबाज़ी करने से बचना चाहिए।*

Candidates are advised to reach the Test Centre well before the prescribed reporting time and keep adequate time available for the entire examination day. Examination-related processes, including registration, authentication, verification, security procedures and management of unforeseen contingencies, may extend beyond the scheduled examination duration. Candidates should plan their travel and other commitments accordingly and avoid making inflexible onward travel arrangements on the day of examination.

6.9. कृपया ध्यान दें कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिन्हें प्रवेश पत्र जारी किया गया है, बशर्ते कि वे दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

Please note that only the candidates who have been issued admit card will be allowed entry inside the examination centre premises subject to fulfilment of documentary requirements.

- 6.10. उम्मीदवारों के साथ आने वाले दोस्तों या रिश्तेदारों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और परीक्षा प्रक्रिया जारी रहने के दौरान उम्मीदवार से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Friends or relatives accompanying the candidates will not be allowed entry in the examination centre premises under any circumstances and will not be allowed to contact the candidate while the examination process is ongoing.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने माता-पिता या साथ आने वाले लोगों को एंट्री / एक्जिट गेट, सिक्योरिटी चेकपॉइंट या आने-जाने के रास्तों के पास इकट्ठा न होने दें, क्योंकि ऐसी भीड़ से उम्मीदवारों की आवाजाही, सिक्योरिटी प्रक्रियाओं, ट्रैफिक और परीक्षा से जुड़े कामों में रुकावट आ सकती है।

Candidates are advised to advise their parents or accompanying persons not to congregate near entry / exit gates, security checkpoints or access routes, as such crowding may obstruct candidate movement, security procedures, traffic flow and examination-related operations.

- 6.11. प्रवेश बिंदुओं पर बारकोड / क्यूआर कोड रीडर: उम्मीदवार सत्यापन के लिए बारकोड / क्यूआर कोड रीडर के साथ टेबल पर खड़े परीक्षा अधिकारी को प्रवेश पत्र और आईडी प्रूफ दिखाएंगे। उम्मीदवार को निर्धारित लैब नंबर के बारे में सूचित किया जाएगा।

Barcode / QR Code Reader at Entry Points: The candidate will display the admit card and ID proof for verification to the exam functionary standing across the table with barcode / QR code reader. Candidate shall be informed about the assigned lab number.

- 6.12. यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षा में कोई अनधिकृत उम्मीदवार उपस्थित न हो, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर पहचान की जांच की जाएगी।

Identity checks will be made upon arrival at the test centre to ensure that there are no unauthorized candidates appearing for the exam.

- 6.13. उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से अपने साथ परीक्षा लैब में निम्नलिखित वस्तुएं ले जानी होंगी / Candidates will be compulsorily required to carry following items with them to the examination lab:

बारकोड क्यूआर / कोड वाले प्रवेश पत्र की प्रिंटेड **रंगीन** प्रति
Printed **COLOUR** copy of Barcoded / QR Coded Admit card.

और / and

स्थायी / अनंतिम एसएमसी / एमसीआई / एनएमसी पंजीकरण* की फोटोकॉपी, परीक्षा केंद्र द्वारा रखी जाएगी

Photocopy of Permanent / Provisional SMC/MCI/NMC registration*, to be retained by the test centre

और / and

अगर RPwD एक्ट, 2016 के प्रावधानों के तहत **स्क्राइब (लिखने में मदद करने वाले) या अतिरिक्त समय** की मांग की जा रही है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी यूडीआईडी/विकलांगता प्रमाण-पत्र^{^^}। UDID/Disability Certificate^{^^} issued by the Competent Authority, **if claiming scribe / extra-time** as per provisions of the RPwD Act, 2016.

^{^^}उम्मीदवार अनुलग्नक-IV देख सकते हैं / Candidate may refer to the Annexure-IV

और / and

नीचे उल्लिखित सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी में से कोई एक **** (मूल और वैध/गैर-समाप्त होना चाहिए) / Any one of the below mentioned Govt issued photo IDs**** (must be **original and valid / non-expired**):

- पैन कार्ड / PAN Card
- ड्राइविंग लाइसेंस / Driving License
- मतदाता पहचान पत्र / Voter ID
- पासपोर्ट / Passport
- आधार कार्ड (फोटो के साथ) **** / Aadhaar Card (With Photograph) ****

कृपया ऊपर उल्लिखित कम से कम एक नहीं बल्कि अधिक से अधिक फोटो पहचान पत्र लाएँ जो आपको जारी किए गए हों और जिनका विवरण आवेदन पत्र में दिया गया हो।

Please bring at least one but as many of the above-mentioned Photo IDs which are issued to you and details of which have been provided in the application form.

****उम्मीदवार जिन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपनी सहमति दी है और आवेदन पत्र में आधार नंबर प्रदान किया है, उन्हें परीक्षा के दिन आधार लाना होगा।**

****Candidate who have given their consent for Aadhaar based authentication and provided Aadhaar Number in the Application form, must bring the Aadhaar on the exam day.**

6.14. यदि कोई उम्मीदवार पहचान के प्रमाण के रूप में ई-आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या के साथ परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करता है, तो ई-आधार कार्ड स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली तस्वीर के साथ अच्छी गुणवत्ता वाला **रंगीन** प्रिंट आउट होना चाहिए। तस्वीर में किक, खरोंच और दाग नहीं होने चाहिए और यह निश्चित रूप से ई-आधार कार्ड प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार से मेल खाना चाहिए। इस संबंध में एनबीईएमएस का निर्णय अंतिम होगा।

In case, any candidate reports to the test center with e-Aadhaar Card with Aadhaar number printed on it as proof of identity, the e-Aadhaar Card should be a good quality **COLOUR** print out with clearly visible photograph. The photograph should not have

kinks, scratches and stains, and should definitely match with the candidate presenting the e-Aadhaar Card. Decision of NBEMS in this regard shall be final.

* भारतीय नागरिक/ओसीआई जिन्होंने भारत के बाहर अपनी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त की है और फॉरेन मेडिकल स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें एनबीईएमएस लेटरहेड पर जारी अपना मूल एफएमजीई (स्क्रीनिंग टेस्ट) पास प्रमाण पत्र भी लाना चाहिए।

* Indian Citizens / OCI who have obtained their Primary Medical Qualification outside India and qualified Foreign Medical Graduate Examination should also bring their original FMGE (Screening Test) Pass certificate issued on NBEMS letterhead.

जो विदेशी नागरिक नीट-पीजी में उपस्थित होने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने देश में मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के प्रमाण के रूप में किसी भी अन्य दस्तावेज (राष्ट्रीयता के देश में मेडिकल काउंसिल के साथ पंजीकरण) के साथ अपना पासपोर्ट (मूल और वैध) परीक्षा केंद्र में लाना होगा।

Foreign Nationals who are desirous to appear in NEET-PG are required to bring their passport (original & valid) to the test centre along with any other documents (Registration with Medical Council in their country of nationality) as a proof of they being a medical practitioner in their country.

** फोटो पहचान पत्र पर दिया गया नाम प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए नाम से मेल खाना चाहिए। यदि विवाह आदि के कारण नाम बदल गया है, तो उम्मीदवार को नाम में परिवर्तन (विवाह प्रमाणपत्र/तलाक डिक्री/कानूनी नाम परिवर्तन दस्तावेज/नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना) के दावे को प्रमाणित करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज दिखाना होगा।

The name on the photo identification must match with the name as shown on the Admit Card. If name has changed due to marriage etc, candidate must show the relevant document to substantiate claim for change in name (Marriage Certificate/Divorcee Decree/Legal Name Change Document / Gazette notification for name change).

6.15. आधार-आधारित पहचान सत्यापन (केवल वहीं लागू जहाँ आवेदन फ़ॉर्म में आधार विवरण दिए गए हैं) / Aadhaar Based Identity Verification (Applicable only where Aadhaar details have been provided in the application form)

6.15.1. जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय पहचान संबंधी सूचना के रूप में आधार विवरण उपलब्ध कराया है, उन्हें परीक्षा केन्द्र पर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान सत्यापन हेतु मूल आधार कार्ड / ई-आधार / ई-आधार की स्पष्ट एवं उच्च गुणवत्ता वाली **रंगीन** मुद्रित प्रति / आधार कार्ड की **रंगीन** छायाप्रति साथ लाने की सलाह दी जाती है।

Candidates who have furnished Aadhaar details in the identification information at the time of online application submission are advised to carry original Aadhaar Card / e-Aadhaar / good quality printed **COLOUR** copy of e-Aadhaar / **COLOUR** photocopy of Aadhaar Card, for the purpose of identity verification through Aadhaar authentication at the examination centre.

6.15.2. **उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा के दिन आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लॉक या डिसेबल न हो। (अक्षम)**

Candidates must ensure that Aadhaar biometric authentication is NOT locked / disabled on the examination day.

6.15.3. जिन उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉक है, उन्हें परीक्षा के समय आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन में परेशानी हो सकती है। परीक्षा से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यूआईडीएआई आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर अपना आधार बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट / आइरिस) और डेमोग्राफिक जानकारी अपडेट करवा लें। ऐसा करने से परीक्षा के दिन ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकेगी। अपडेटेड और सही आधार डेटा होने से एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

Candidates with locked biometric authentication may face difficulty in Aadhaar-based authentication at the test. Before the exam, it is advisable for candidates to get their Aadhaar biometric data (fingerprint / iris) and demographic details updated at a UIDAI Aadhaar Enrolment Centre. Taking this step will help ensure a smooth authentication process on the day of your exam. Updated, valid Aadhaar data prevents entry issues.




6.15.4. आधार बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करने के लिए गाइडलाइंस (यदि लॉक हो तो):

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आधार प्रमाणीकरण को अस्थायी रूप से अनलॉक कर सकते हैं / **Guidelines to Unlock Aadhaar Biometrics (if locked):**

Candidates may unlock Aadhaar authentication temporarily by following the steps below:

- यूआईडीएआई पोर्टल <https://myaadhaar.uidai.gov.in> पर जाएं
Visit UIDAI portal <https://myaadhaar.uidai.gov.in>
या / or
mAadhaar ऐप का उपयोग करें
use the mAadhaar App
- Lock / Unlock Aadhaar पर क्लिक करें
Click on Lock / Unlock Aadhaar

How it works

 Virtual ID To Lock/Unlock your Aadhaar, you must use your, 16-digit Virtual ID (VID) .	 Lock your Aadhaar Once your VID has been generated, proceed to lock your Aadhaar with your VID.	 Unlock your Aadhaar To unlock your Aadhaar, please return here and use your VID.
If you don't have one, please generate your VID first from the Dashboard or by sending an SMS: RVID [last 4 or 8 digits of UID] to 1947. ex: GVID 1234	Once locked, authentication via your Aadhaar number is disabled. You must use your VID for all future authentications.	Unlocking will also restore your ability to use your Aadhaar number for authentication.




Please enter required details to Lock/Unlock Aadhaar

Lock Aadhaar Unlock Aadhaar

Enter Virtual ID Number

Enter Full Name

Enter Pincode

Enter Captcha   

Send OTP

- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिला OTP डालें
Enter OTP received on registered mobile number
- आधार अनलॉक/डिसेबल, लॉक और कन्फर्म चुनें।
Select Unlock / Disable Aadhaar, Lock and confirm
- अगर चाहें, तो उम्मीदवार परीक्षा पूरी होने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन को फिर से लॉक कर सकते हैं।
Candidates may re-lock Aadhaar authentication after completion of the examination, if desired.
- यूआईडीएआई आधार नंबर रखने वालों को सलाह देता है कि वे आधार नंबर बनने की तारीख से कम से कम हर 10 साल में एक बार अपनी पहचान के प्रमाण (POI) और पते के प्रमाण (POA) से जुड़े दस्तावेज़ या जानकारी को अपडेट करें
UIDAI suggest the Aadhaar number holder to update his or her document or information regarding proof of identity (POI), proof of address (POA) at least once in 10 years from date of generation of Aadhaar number
- बेहतर सर्विस देने और आधार-आधारित सही ऑथेंटिकेशन के लिए आप अपने आधार डेटाबेस में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। इसलिए, पहचान और पते से जुड़े हाल के डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना आधार नंबर होल्डर के हित में है।
You may update the documents in your Aadhaar database for better service delivery and accurate Aadhaar based authentication. Therefore, updating recent identity and address documents is in the interest of the Aadhaar number holder.

नोट : परीक्षा केंद्र पर पहचान सत्यापन के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग केवल एक वैकल्पिक सुधारात्मक उपाय के रूप में किया जा रहा है और इसे नीट-पीजी 2026 के लिए उम्मीदवार की पात्रता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।

NOTE: Aadhaar authentication is being utilized only as an optional facilitative measure for identity verification at the examination centre and shall not be treated as proof of eligibility of the candidate for NEET-PG 2026.

6.16. वैध आईडी प्रूफ की मूल हार्ड कॉपी के बिना उम्मीदवारों को **परीक्षा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।** सरकार द्वारा जारी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। डिजीलॉकर में दिखाया गया पहचान पत्र भी स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Candidates **without original hard copy valid ID proof shall not be allowed to enter the examination premises.** Photocopies of Govt. issued ID proofs shall not be accepted. Identity proof shown in DigiLocker shall also not be acceptable as candidates shall not be allowed to carry any electronic device inside the exam centre.

6.17. गलत या जाली दस्तावेज़ / आईडी प्रूफ पेश करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ अनुचित साधनों के इस्तेमाल का मामला दर्ज किया जाएगा।

Unfair means case shall be registered against the candidates producing false / forged documents / ID Proofs.

6.18. परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा: उम्मीदवारों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा परिसर के **सुरक्षा चेक प्वाइंट से आगे** निम्नलिखित वस्तुएं ले जाने की **अनुमति नहीं दी जाएगी / SECURITY AT THE TEST**

CENTRE: Candidates will **not be allowed** to take the following items **beyond security check point** in examination premises under any circumstances:

- कोई भी स्टेशनरी वस्तु जैसे पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), नोट्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेज़र, आदि।
Any stationery item like textual material (printed or written), notes, Plastic Pouch, Calculator, Pen, Writing Pad, Pen Drives, Eraser, etc.
- कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कलाई घड़ी/स्मार्ट वॉच/हेल्थ बैंड, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर आदि।
Any electronic device like Mobile Phone, Bluetooth, Earphones, Microphone, Pager, wrist watch / Smart Watches / Health Band, Electronic Pen / Scanner etc.
- सभी आभूषण जैसे कंगन, अंगूठी, झुमके, नाक-पिन, चेन/हार, पेंडेंट, पेंडेंट के साथ हार, बैज, ब्रोच आदि।
All ornaments like bracelets, Ring, Earrings, Nose-pin, Chain / Necklace, Pendants, Necklace with pendants, Badge, Brooch etc.
- अन्य सामान जैसे वॉलेट, चश्मा, हैंडबैग, बेल्ट, मास्क, दस्ताने, टोपी आदि।
Other items like Wallet, Goggles, Handbags, Belt, Mask, Gloves, Cap etc.
- कोई भी खाने योग्य वस्तु खुली या पैक की हुई, शीतल पेय, पानी की बोतल आदि।
Any eatable item opened or packed, soft drinks, water bottle etc.
- कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग अनुचित साधनों के लिए, संचार उपकरणों जैसे वायरलेस/ब्लूटूथ डिवाइस, स्पाई कैमरा आदि को छिपाने के लिए किया जा सकता है।
Any other item which could be used for unfair means, for hiding communication devices like wireless / Bluetooth device, spy camera etc.

6.19. उम्मीदवारों को यह जाँचने के लिए प्रवेश पत्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि परीक्षा केंद्रों के भीतर किन वस्तुओं को ले जाने की अनुमति है।

Candidates should carefully read the admit card to check which items are permitted inside the examination centers.

6.20. केंद्रों पर उम्मीदवारों से संबंधित किसी भी वस्तु / सामान को रखने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार के पास सुरक्षा जांच बिंदु के बाहर केंद्र के अंदर कोई भी प्रतिबंधित वस्तु पाई जाती है, तो इसे अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा और उम्मीदवार के विरुद्ध संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कठिनाई से बचने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर अपने साथ प्रतिबंधित वस्तुएँ न लाएँ।

No arrangement will be made at the centres for keeping any articles / items belonging to the candidates. In case any candidate is found in possession of any of the barred items inside the centre beyond the security check point, it will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate in accordance with the relevant provisions. **To avoid any hardship candidates are advised not to bring prohibited items along with them at the test Centre.**

6.21. परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के समय सभी उम्मीदवारों की अनिवार्य सुरक्षा जांच की जाएगी। ऐसी जांच में हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर (HHMD) द्वारा जांच, सुरक्षा कर्मियों द्वारा शारीरिक तलाशी, ब्लूटूथ ईयरपीस, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों अथवा अन्य निषिद्ध वस्तुओं जैसे छिपे हुए संचार उपकरणों का पता लगाने हेतु कानों की जांच तथा परीक्षा की निष्पक्षता, सुरक्षा एवं पवित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं।

Upon entering the test centre, all candidates shall undergo mandatory security checks. Such checks may include screening through a Hand-Held Metal Detector (HHMD), physical frisking by security personnel, inspection of ears for detection of concealed communication devices such as Bluetooth earpieces, micro electronic gadgets or other prohibited items, and such other security measures as may be considered necessary to maintain the integrity, security and sanctity of the examination.

महिला उम्मीदवारों की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु कपड़े से आच्छादित पृथक बंद क्षेत्र (Frisking Booth) की व्यवस्था की जाएगी तथा उनकी तलाशी केवल महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा ही ली जाएगी।

For the privacy of female candidates, a separate cloth-covered enclosed area (frisking booth) shall be provided and frisking of female candidates shall be conducted only by female security personnel.

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र में सुचारु, सुरक्षित एवं निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों तथा परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों / कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

Candidates are required to extend full cooperation to the security staff and examination functionaries to ensure smooth, secure and hassle-free entry into the examination centre.

- 6.22.** यदि कोई भी उम्मीदवार मादक और / या नशीली दवाओं के प्रभाव में पाया जाता है, तो उसे परीक्षा परिसर में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा या परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा, चाहे इसका पता परीक्षा के दौरान चले या परीक्षा से पहले।

Any candidate who is found to be under the influence of alcohol and / or drugs shall be denied entry to the examination premises or expelled from the examination, if detected during exam / before exam.

- 6.23.** परीक्षा के दौरान किसी भी उम्मीदवार के पास आग्नेयास्त्र (firearms) या हथियार पाए जाने पर उसे प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा।

Any candidate found to be in possession of firearms or weapons during the examination shall be denied entry.

- 6.24.** परीक्षा केंद्र पर पंजीकरण के समय उम्मीदवारों के **फिंगर बायोमेट्रिक्स (अंगुलियों के निशान) लिए जाएंगे।** इसके अलावा, परीक्षा के दिन केंद्र पर पंजीकरण के समय, प्रत्येक बायोब्रेक- के समय और परीक्षा के दौरान भी उम्मीदवारों की फोटोग्राफ ली जाएगी। परीक्षा के दिन खींची गई फोटो और आवेदन पत्र में अपलोड की गई फोटो के आधार पर **फेस आईडी का सत्यापन किया जाएगा।** इसलिए, फेस आईडी सत्यापन प्रक्रिया में किसी भी विसंगति से बचने के लिए आवेदन पत्र में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार **हाल की फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।**

Finger Biometrics of candidates **shall be captured** at the time of registration for the test at test venue. In addition, Photograph of the candidates shall also be captured on the exam day at the centre at the time of registration, at each bio-break and during the exam. **Face ID shall be verified** against the photograph(s) captured on the exam day and photograph(s) uploaded in the application form. Therefore, it is **essential to upload**

a RECENT photograph in the application as per image upload guidelines prescribed, in order to avoid mismatch in Face ID verification process.

- 6.25. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे टेस्ट के लिए फिंगर बायोमेट्रिक आधारित रजिस्ट्रेशन में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए अपनी उंगलियों पर **मेहंदी** या **रंग** से टैटू न बनवाएं।

Candidates are advised to refrain from tattooing their fingers with **henna / colours** to avoid difficulties in finger biometric based registration for the test

- 6.26. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस ज़रूरी प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि किसी के बदले किसी और के परीक्षा देने (impersonation) जैसी घटनाओं से बचा जा सके। यह एक सुरक्षा उपाय है जिससे यह सुनिश्चित होगा कि परीक्षा में केवल असली उम्मीदवार ही शामिल हों। **उपर्युक्त सुरक्षा उपायों का पालन न करने वाले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

Candidates are requested to cooperate with this essential activity to avoid any cases of impersonation. This is a security feature which will ensure that only genuine candidate appear for the exam. **Any candidate not adhering to the aforementioned security measures will not be allowed to take the test.**

- 6.27. परीक्षा के दौरान मैनुअल और / या डिजिटल अटेंडेंस ली जा सकती है, जिसमें फ़ोटो लेना, फ़ेस ID वेरिफ़िकेशन, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों को इसके लिए परीक्षा अधिकारियों के साथ सहयोग करना होगा। परीक्षा के दौरान उपस्थिति दर्ज करने या किसी भी पहचान सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय के लिए कोई अतिरिक्त या प्रतिपूरक समय नहीं दिया जाएगा, जिसमें फोटोग्राफ मिलान, फेस आईडी सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लेने के कारण होने वाली देरी भी शामिल है।

Manual and / or digital attendance, including photograph capture, Face ID verification, signature and thumb impression, may be undertaken during the examination. Candidates shall be required to cooperate with the examination functionaries for the same. No additional or compensatory time shall be granted for the time taken in recording attendance or completing any identity verification process conducted during the examination, including delays arising due to photograph matching, Face ID verification, biometric authentication, signature or thumb impression capture.

- 6.28.** पहचान पत्र के सत्यापन और तस्वीर खींचे जाने के बाद, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित कंप्यूटर टर्मिनल की ओर निर्देशित किया जाएगा और एक निरीक्षक टेस्ट की चेक इन प्रक्रिया में उम्मीदवार की-सहायता करेगा।

After verification of ID and capture of photograph, candidates will be directed to the designated computer terminal at the test centre and an Invigilator will assist the candidate for check-in process of the test.

- 6.29.** उम्मीदवारों को परीक्षा के संचालन के दौरान हर समय अपना प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य है।

Candidates are required to keep their admit card and photo identification with them at all times during the conduct of examination.

- 6.30. उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुरू करने हेतु निरीक्षक के निर्देशों को सुनना अनिवार्य है।** हर वर्कस्टेशन तीन तरफ से – सामने, बाईं और दाईं ओर से – बंद रहेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरे उम्मीदवारों की ओर न देखें, क्योंकि वहाँ सर्विलांस कैमरे भी होंगे जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। टेस्ट सेंटर पर रफ़ काम के लिए कोई रफ़ पेपर या पेन / पेंसिल नहीं दिया जाएगा। टेस्ट सेंटर के अंदर पेन / पेंसिल और रफ़ पेपर ले जाने की न तो कोई ज़रूरत है और न ही इसकी इजाज़त है।

Candidates are required to listen sincerely to the invigilator's instructions to begin the exam. Each workstation will be blocked from three sides – front, left and right. Candidates are advised not to look around at other candidates as there will be surveillance cameras also that will record video. No rough paper for rough work or pen / pencil shall be provided at the test centre. There is no requirement and no permission to carry a pen / pencil and rough paper inside the test centre.

- 6.31.** उम्मीदवार की ओर से किसी भी प्रकार के संदिग्ध या व्यवधानकारी व्यवहार के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए, उम्मीदवारों को निरीक्षक को बुलाने के लिए अपना हाथ उठाना होगा। **किसी भी परिस्थिति में, उन्हें दूसरे उम्मीदवार से बात नहीं करनी चाहिए या दूसरे उम्मीदवार(यों) के कंप्यूटर सिस्टम में झाँकना नहीं चाहिए।**

Any suspicious or disruptive behaviour on part of the candidate may lead to cancellation of candidature. For any clarification during the exam, candidates are required to raise their hand to call the invigilator. **Under no circumstance, they should talk to the fellow candidate or peep into the computer system of the fellow candidate(s).**

6.32. परीक्षा के दौरान किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में उम्मीदवारों को घबराने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसी आकस्मिकताओं से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए गए हैं कि परीक्षा के निर्धारित समय का कोई नुकसान न हो। विभिन्न स्थितियों में की जाने वाली मानक कार्रवाइयों का विवरण नीचे दिया गया है / Candidates are advised not to panic in the event of any technical disruption during the examination. Appropriate measures are in place to address such contingencies and ensure that there is no loss of the allotted examination time. The standard actions to be taken under various scenarios are detailed below:

मामला Case	विफलता का विवरण Description of failure	मानक कार्रवाई Standard actions taken
1	<p>परीक्षा के समय, उम्मीदवारों के लॉग इन करने के बाद (चाहे एक उम्मीदवार हो या एक से ज़्यादा), कोई रुकावट (जैसे बिजली चली जाना) आ सकती है।</p> <p>Disruption happens (e.g Power Failure) during the exam time after the candidates have logged in (either for one or more candidates).</p>	<p>किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। खराबी आने पर टाइमर रुक जाएगा और खराबी ठीक होने पर फिर से शुरू हो जाएगा। किसी रुकावट या खराबी की वजह से परीक्षा के लिए तय समय में कोई नुकसान नहीं होगा।</p> <p>No action necessary. The timer will stop when the failure occurs and will resume when the failure is rectified.</p> <p>There will be no time loss in allocated examination time due disruption/failure.</p>
2	<p>परीक्षा के दौरान कैंडिडेट मशीन लॉक हो जाती है। (जैसे, प्राइमरी सर्वर से कनेक्टिविटी खत्म हो जाना)।</p> <p>Candidate machine is locked during the exam. (e.g Loss of connectivity with the Primary Server).</p>	<p>प्रत्येक परीक्षा कक्ष में मौजूद आईटी मैनेजर उम्मीदवार के खाते की जांच करके उसे अनलॉक करता है और टाइमर वहीं से शुरू होता है जहां से उम्मीदवार ने खाता छोड़ा था।</p> <p>इस लॉकिंग के कारण परीक्षा के लिए आवंटित समय में कोई कटौती नहीं होगी।</p> <p>IT Manager in each exam room verifies and unlocks the candidates account and the timer starts from the same point where the candidate had left.</p> <p>There will be no time loss in allocated examination time due to this locking.</p>
3	<p>उम्मीदवार मशीन में किसी खास समस्या की शिकायत करता है (जैसे स्क्रीन का झिलमिलाना, माउस की समस्या, सिस्टम का बार-बार लॉक या हैंग होना आदि)।</p> <p>Candidate complains of any specific issues in the machine (e.g screen flickering, mouse issue, system getting locked / hanged repeatedly etc).</p>	<p>समस्या की सूचना मिलने पर, IT मैनेजर/इनविजिलेटर कैंडिडेट की मशीन की जांच करते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर, परीक्षा के दौरान कैंडिडेट को उनकी तय सीट से हटाकर उसी लैब या किसी दूसरी लैब में बफ़र सीट पर भेजा जा सकता है।</p> <p>इस तरह सीट बदलने से परीक्षा के लिए तय समय में कोई नुकसान नहीं होगा।</p> <p>On reporting of the issue, IT Manager / Invigilator verifies and locks the candidate machine. The candidate may be shifted from their allotted seat to buffer seat in same or other lab during the examination, if required.</p> <p>There will be no time loss in allocated examination time due to this shifting</p>

6.33. अगर आपको परीक्षा केंद्र पर कोई दवा या मेडिकल सहायता उपकरण ले जाने की ज़रूरत है, तो कृपया उससे जुड़े मेडिकल दस्तावेज़ साथ लाएँ। ऐसे दस्तावेज़ न होने पर, आपको ऐसे उपकरण / प्रोस्थेसिस / दवा आदि ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपको स्क्राइब (लिखने में मदद करने वाले व्यक्ति) की सहायता चाहिए, तो कृपया RPwD एक्ट, 2016 के प्रावधानों के अनुसार ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ एनबीईएमएस कम्युनिकेशन वेब पोर्टल पर जानकारी देकर एनबीईएमएस से पहले से मंजूरी लें। स्क्राइब और / या अतिरिक्त समय (कम्पेंसेटरी टाइम) की ज़रूरत के बारे में जानकारी एप्लीकेशन फ़ॉर्म में भी देनी होगी। एनबीईएमएस से पहले से मंजूरी न मिलने पर, आपको परीक्षा केंद्र के अंदर अपने साथ स्क्राइब ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Should you need to carry any medicine or a medical assistance device at the exam centre, please carry supportive medical documents. In absence of such documents, you shall not be permitted to carry such devices / prosthesis / medicine etc. Should you require any assistance of scribe, please seek prior approval of NBEMS by way of submitting a query at NBEMS Communication Web Portal along with documents in support as per provisions of RPwD Act, 2016. Information about requirement of Scribe and / or Compensatory time needs to be mentioned in application form also. In absence of prior approval of NBEMS, you shall not be allowed to accompany a scribe with you inside the exam centre.

7. नीट-पीजी 2026 परीक्षा केंद्र / Centres for NEET-PG 2026

- 7.1. नीट-पीजी 2026 के लिए टेस्ट सिटी / टेस्ट सेंटर का आवंटन “पहले आओ-पहले पाओ” के **आधार पर नहीं किया जाएगा।** उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन पत्र जल्दी जमा करने से किसी खास टेस्ट स्टेट, टेस्ट सिटी या टेस्ट सेंटर के आवंटन के लिए कोई प्राथमिकता का अधिकार नहीं मिलता है।

The allocation of Test City / Test Centre for NEET-PG 2026 **shall not be based on “First Come First Serve”** basis. Candidates may note that early submission of the application form does not confer any preferential right for allotment of any particular Test State, Test City or Test Centre.

- 7.2. अलॉटमेंट की प्रक्रिया एक कंप्यूटराइज्ड तरीके से की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को पहले रैंडम क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके बाद, एनबीईएमएस द्वारा तय की गई उपलब्धता, प्रशासनिक व्यवहार्यता और ऑपरेशनल ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, उम्मीदवारों की पसंद के आधार पर अलॉटमेंट किया जाएगा।

The allotment process shall be carried out through a computerized allocation methodology wherein candidates may first be arranged in a **randomized sequence**, after which allotment shall be undertaken by considering the preferences exercised by the candidates, subject to availability, administrative feasibility and operational requirements determined by NBEMS.

- 7.3. ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय, उम्मीदवारों को नीट-पीजी 2026 के लिए तीन (03) पसंदीदा परीक्षा राज्यों का चयन करना होगा। इन तीन पसंदीदा परीक्षा राज्यों में से, पहला पसंदीदा परीक्षा राज्य **अनिवार्य रूप से वही राज्य होगा जो उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए पत्राचार के पते का राज्य है।**

At the time of online submission of the application form, candidates shall be required to select Three (03) preferred Test States for NEET-PG 2026. *Out of the Three preferred Test States, the First Preferred Test State shall **mandatorily be the State of the Correspondence Address furnished by the candidate in the application form.***

उम्मीदवार अपनी पसंद के बाकी दो टेस्ट राज्यों को चुन सकते हैं, और बेहतर होगा कि वे अपने पत्राचार वाले राज्य के पड़ोसी राज्यों को ही चुनें। एनबीईएमएस पत्राचार वाले राज्य में ही टेस्ट शहर आवंटित करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वहाँ जगह उपलब्ध नहीं हुई, तो पड़ोसी राज्य (जिसे उम्मीदवार ने चुना हो) में टेस्ट शहर आवंटित किया जाएगा।

Candidate may opt for the remaining Two preferred Test States preferably states neighbouring to his/her correspondence state. NBEMS shall try to allot a test city in the correspondence state, however a test city in the neighbouring state (as opted by the candidate) shall be allotted in case of unavailability.

आवंटन का उदाहरण इस प्रकार है / An Example of allocation is as follows: -

यदि कोई उम्मीदवार ABC है जो तमिलनाडु राज्य से है और उसने निम्नलिखित राज्यों का चयन किया है /
If there is a candidate ABC who is from the state of Tamil Nadu and he/she has selected the following states:

1. तमिलनाडु (पत्राचार का राज्य - अनिवार्य) / Tamil Nadu (Mandatory - correspondence state)
2. कर्नाटक (दूसरी पसंद) / Karnataka (2nd Choice)
3. आंध्र प्रदेश (तीसरी पसंद) / Andhra Pradesh (3rd Choice)

नीट-पीजी 2026 में कैंडिडेट ABC के लिए अलॉटमेंट प्रोटोकॉल (रैंडम सीक्वेंस अलॉटमेंट का इस्तेमाल करते हुए, न कि 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर / Allocation protocol for candidate ABC in NEET-PG 2026 (using random sequence allocation, not on First Come First Served basis):

- a. पहली पसंद के तौर पर किसी भी टेस्ट सिटी (जैसे तमिलनाडु) को चुनें (एनबीईएमएस उम्मीदवार के पत्राचार पते के सबसे पास वाला टेस्ट सिटी देने की पूरी कोशिश करेगा; अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो तमिलनाडु राज्य में उपलब्ध अन्य टेस्ट सिटी में से कोई सिटी आवंटित किया जाएगा)।
Allocate any Test City in 1st Choice ie. Tamil Nadu (NBEMS will make every effort to allot a test city which is nearest to the correspondence address of the candidate, failing which in the other available test cities in the state of Tamil Nadu)
- b. यदि तमिलनाडु में परीक्षा शहर उपलब्ध नहीं है → कर्नाटक में किसी भी उपलब्ध परीक्षा शहर को आवंटित करना
If test city is unavailable in Tamil Nadu → allot any available test city in Karnataka
- c. यदि कर्नाटक में भी परीक्षा शहर उपलब्ध नहीं है → आंध्र प्रदेश में किसी भी उपलब्ध परीक्षा शहर को आवंटित करना
If test city is unavailable in Karnataka → allot any available test city in Andhra Pradesh
- d. यदि आंध्र प्रदेश में भी परीक्षा शहर उपलब्ध नहीं है → पूरे भारत में किसी भी उपलब्ध परीक्षा शहर को आवंटित करना
If test city is unavailable in Andhra Pradesh → allot any available test city in all over India

- 7.4.** पहले पसंदीदा परीक्षा राज्य के रूप में पत्राचार के राज्य को चुनने की अनिवार्यता इसलिए शुरू की गई है ताकि उम्मीदवारों का भौगोलिक वितरण समान रूप से हो सके, परीक्षा के बुनियादी ढांचे की प्लानिंग को बेहतर बनाया जा सके, बेवजह की लंबी दूरी की यात्रा को कम किया जा सके और परीक्षा केंद्रों का कुशल आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।

The requirement of selecting the Correspondence State as the First Preferred Test State has been introduced to facilitate equitable geographical distribution of candidates, optimize examination infrastructure planning, reduce avoidable long-distance travel and ensure efficient allocation of test centres.

- 7.5.** चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में कोई टेस्ट सेंटर उपलब्ध नहीं है। नीट-पीजी 2026 के लिए टेस्ट वाले राज्य / शहर के आवंटन के मामले में, जिन उम्मीदवारों का पत्राचार का पता चंडीगढ़ में है, उन्हें पत्राचार वाले राज्य पंजाब का माना जाएगा।

There is no test centre available in the UT of Chandigarh. For the allocation of the test state / city for NEET-PG 2026, candidates whose correspondence address is in Chandigarh will be considered as belonging to the correspondence state of Punjab.

- 7.6.** उम्मीदवारों को अपने पत्राचार के पते के वैध प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज जमा करना आवश्यक है / Candidates are required to submit ANY ONE of the following documents as a valid proof of his/her Correspondence Address:

A. सरकारी फ़ोटो आईडी / पते का प्रमाण / Government photo ID / address proof

- Aadhaar Card (with address)
- Voter ID (EPIC)
- Passport
- Driving License
- Ration Card
- Domicile / Residence / Permanent Resident Certificate issued by the competent State authority

B. चिकित्सा-पेशे से संबंधित दस्तावेज़ / Medical-profession documents

- State Medical Council (SMC) Registration Certificate
- MBBS Degree / Provisional Degree Certificate from a State university / medical college
- Internship Completion Certificate from the medical college
- Appointment / Posting / Joining Order as Medical Officer (Govt or institutional)
- Service Certificate / NOC from employer stating place of posting
- Hospital / Institution Employee ID Card
- Latest Salary Slip showing employer's address

C. सहायक / निवास संबंधी दस्तावेज़ / Supporting / residence documents

- Recent utility bill — electricity / water / landline / piped gas (within last 3 months)
- Bank passbook or statement showing address
- Registered Rent / Lease Agreement
- Post Office account statement / India Post address card
- Police tenant / residence verification certificate issued by local police
- Letter from the landlord + landlord's electricity/property-tax document as backing
- Hostel / PG / accommodation allotment letter from the institution or warden's certificate Property Tax receipt
- Hostel / PG / accommodation allotment letter from the institution or warden's certificate
- Allotment letter of Govt/institutional accommodation (not older than 3 years)
- Notarised affidavit / self-declaration of residence on stamp paper
- Address certificate on letterhead with photo issued by an MP / MLA / MLC / Gazetted Officer / Tehsildar, or by a Village Panchayat head (rural areas)
- Signed address-cum-photo letter on letterhead from a recognised bank, registered company, or educational institution
- Vehicle Registration Certificate, Insurance policy, or Income-Tax assessment order showing the current address
- Passport / Aadhaar of spouse or parents with same address (where co-residing)

7.7. यदि किसी भी चरण पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा जमा किया गया पत्राचार के पते का प्रमाण फर्जी या अमान्य है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी।

Candidature of the candidate shall be deemed to be cancelled, if at any stage it is found that the correspondence address proof submitted by the candidate is forged / invalid.

7.8. आवंटित किया गया परीक्षा शहर **11-08-2026** को या उसके बाद एनबीईएमएस की वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर कैंडिडेट लॉगिन के माध्यम से देखने के लिए उपलब्ध होगा। परीक्षा शहर के आवंटन के संबंध में जानकारी उम्मीदवार को ईमेल के जरिए प्रदान की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शहर के आवंटन से जुड़े अपडेट के लिए अपने पंजीकृत ईमेल आईडी, स्पैम जंक/फोल्डर सहित और आवेदक लॉगिन डैशबोर्ड की नियमित रूप से जांच करते रहें।

The allotted test city shall be available for viewing through candidate login at NBEMS website <https://natboard.edu.in> , on or after **11-08-2026**. Information regarding the allotment of the examination city will be provided to the candidate via email. Candidates are advised to regularly monitor their registered Email ID, including Spam/Junk folders, and applicant login dashboard for updates regarding allotment of Test City.

7.9. सटीक परीक्षा केंद्र की जानकारी उम्मीदवारों को **27-08-2026** को या उसके बाद प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीदवारों को यात्रा, ठहरने आदि के लिए अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी।

The exact venue will be informed to the candidates through admit cards on or after **27-08-2026**. The Candidates shall make their own arrangement for travel / boarding etc.

- 7.10.** उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि आवेदन पत्र में दिए गए पत्राचार के पते और परीक्षा राज्य की प्राथमिकताओं को 'एडिट विंडो' के दौरान बदला नहीं जा सकेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पसंदीदा परीक्षा राज्यों का चयन सावधानीपूर्वक करें और आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दिया गया पत्राचार का पता सही और पूरा है।

Candidates may kindly note that the Correspondence Address and Test State preferences furnished in the application form SHALL NOT BE EDITABLE during the Edit Window. Candidates are advised to carefully select their preferred Test States and ensure that the Correspondence Address furnished by them in the application form is correct and complete before final submission of the application form.

कृपया ध्यान दें कि यदि उम्मीदवार का पत्राचार का पता और स्थायी पता एक ही है, तो 'एडिट विंडो' में स्थायी पते में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

Please note that if the correspondence address and the permanent address of the candidate are the same, editing the permanent address in the 'edit window' will also not be permitted.

- 7.11.** एनबीईएमएस द्वारा उम्मीदवार द्वारा चुने गए पसंदीदा परीक्षा राज्यों में से ही किसी एक में परीक्षा शहर आवंटित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, उम्मीदवार द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के क्रम के अनुसार ही आवंटन किया जाएगा; जो कि परीक्षा के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, सुरक्षा चिंताओं, प्रशासनिक व्यवहार्यता और परिचालन आवश्यकताओं के अधीन होगा।

Every effort shall be made by NBEMS to allot a Test City within one of the preferred Test States opted by the candidate and, as far as feasible, in accordance with the order of preferences exercised by the candidate, subject to availability of examination infrastructure, security considerations, administrative feasibility and operational requirements.

- 7.12.** उम्मीदवार द्वारा पसंदीदा टेस्ट राज्यों का चयन करने से उन्हें उन पसंदीदा राज्यों में टेस्ट सेंटर आवंटित किए जाने का कोई स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता है।

The selection of preferred Test States by the candidate does not confer any automatic

right to be allotted a Test Centre in the preferred Test States.

- 7.13.** टेस्ट सिटी / टेस्ट सेंटर अलॉट करने की प्रक्रिया के दौरान, PwBD उम्मीदवारों को लागू नियमों / गाइडलाइंस के अनुसार उचित सुविधाएँ दी जाएँगी। अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस करने का क्रम कंप्यूटराइज्ड प्रक्रिया के ज़रिए रैंडम तरीके से तय किया जा सकता है और यह एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के क्रम या समय से जुड़ा नहीं होगा।

During the process of allotment of Test City/Test Centre, reasonable accommodation shall be provided to PwBD candidates in accordance with applicable rules / guidelines. The sequence for processing of applications for allotment purposes may be randomized through a computerized process and shall not be linked to the order or timing of submission of the application form.

- 7.14.** नीट-पीजी 2026 के लिए टेस्ट सिटी / सेंटर के आवंटन के संबंध में एनबीईएमएस का निर्णय अंतिम होगा। टेस्ट सेंटर / सिटी बदलने के अनुरोध पर किसी भी आधार पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसके लिए कोई पैरवी न करें।

The decision of the NBEMS regarding the allotment of the Test City / Centre for NEET-PG 2026 shall be final. Requests for change of testing centre / city shall not be entertained on any ground. Candidates are advised not to canvass for the same.

- 7.15.** असाधारण परिस्थितियों में, यदि एनबीईएमएस द्वारा आवंटित कोई परीक्षा केन्द्र सुरक्षा ऑडिट संबंधी टिप्पणियों, लॉजिस्टिक बाधाओं, परिचालन संबंधी चुनौतियों, अप्रत्याशित परिस्थितियों अथवा अभ्यर्थियों की अपर्याप्त संख्या के कारण परीक्षा आयोजन हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो ऐसे परीक्षा केन्द्र पर आवंटित अभ्यर्थियों को एनबीईएमएस द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर निकटवर्ती शहर / शहरों के किसी अन्य परीक्षा केन्द्र अथवा उपलब्ध किसी अन्य परीक्षा केन्द्र पर समायोजित किया जा सकता है।

In extraordinary circumstances, if any Test Centre allotted by NBEMS cannot be utilized for conduct of examination due to security audit observations, logistical constraints, operational challenges, unforeseen circumstances, or inadequate number of candidates, the candidates allotted to such Test Centre may be accommodated at another Test Centre in nearby city / cities or at any other available Test Centre, as deemed appropriate by NBEMS.

ऐसे किसी भी बदलाव की स्थिति में (बदलावों), संबंधित उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से पहले से सूचित किया जाएगा। एनबीईएमएस प्रशासनिक, लॉजिस्टिक, सुरक्षा, परिचालन या किसी अन्य आपातकालीन

परिस्थितियों के कारण किसी भी परीक्षा शहर परीक्षा केंद्र को जोड़ने या हटाने का अपना पूर्ण अधिकार / सुरक्षित रखता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने तक एनबीईएमएस द्वारा जारी किसी भी अद्यतन सूचना, नोटिस अथवा संचार के लिए अपने पंजीकृत ई-मेल खाते तथा एनबीईएमएस की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

Such change(s), if any, shall be communicated to the concerned candidates through Email in advance. NBEMS reserves its absolute right to add **or** remove any Test City / Test Centre due to administrative, logistical, security, operational or any other exigencies. Candidates are advised to regularly check their registered email account and the NBEMS website for any updates, notices or communications issued by NBEMS up to the completion of the examination process.

इसके अतिरिक्त, परीक्षा की गरिमा बनाए रखने और या प्रशासनिक और परिचालन संबंधी/ व्यावहारिकता सुनिश्चित करने के लिए, एनबीईएमएस के पास आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा चुने गए परीक्षा राज्य के विकल्पों पर विचार किए बिना, भारत में कहीं भी परीक्षा केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित है।

Further, NBEMS reserves its right to allot a Test Centre anywhere in India, irrespective of the Test State preferences exercised by the candidate in the application form, in order to maintain the sanctity of the examination and / or ensure administrative and operational feasibility.

- 7.16.** अपरिहार्य परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं, विधि एवं व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों, सरकार अथवा माननीय न्यायालय के निर्देशों, तकनीकी विफलताओं, जन-स्वास्थ्य आपात स्थितियों अथवा एनबीईएमएस के युक्तिसंगत नियंत्रण से परे किसी अन्य परिस्थिति के कारण एनबीईएमएस परीक्षा प्रक्रिया, परीक्षा शहर / परीक्षा केन्द्र के आवंटन अथवा परीक्षा से संबंधित किसी भी गतिविधि को स्थगित, पुनर्निर्धारित, निरस्त, स्थानांतरित अथवा संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे मामलों में एनबीईएमएस का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

NBEMS reserves its right to defer, reschedule, cancel, shift or modify the examination process, allotment of Test City / Test Centre or any examination-related activity due to force majeure events, natural calamities, law and order situations, Government / Hon'ble Court directions, technical failures, public health emergencies or any other circumstances beyond its reasonable control. The decision of NBEMS in such matters shall be final and binding upon the candidates.

8. ऑनलाइन नीट- पीजी आवेदन पत्र भरने के निर्देश / Instructions to Fill Online NEET-PG 2026 Application Form

8.1. नया उपयोगकर्ता पंजीकरण: नीट-पीजी 2026 के लिए आवेदन करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को यूजरआईडी और पासवर्ड उत्पन्न करने के लिए अपना एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना होगा।

New User Registration: All candidates desirous of applying for NEET-PG 2026 shall be required to create an online profile of themselves to generate a UserID and Password.

8.1.1. नोट / NOTE :

नीट-पीजी 2026 की पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपना नाम, ईमेल^^, आधार और मोबाइल नंबर अत्यंत सावधानी से दर्ज करना चाहिए; इसके अलावा, उन्हें पंजीकरण के समय राष्ट्रीयता का चयन भी पूरी सतर्कता के साथ करना चाहिए, क्योंकि आगामी किसी भी चरण में इन विवरणों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

During the NEET-PG 2026 registration process, candidates must enter their Name, Email^^, Aadhaar and Mobile number with extreme care; furthermore, they must select their Nationality with utmost vigilance at the time of registration, as no changes to these details can be made at any subsequent stage.

पंजीकरण के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण दस्तावेज / भरकर और लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान करके अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

After registration, candidate can submit their applications by filling in the required details / documents in the online application form and by paying the applicable examination fee.

उम्मीदवारों को एक 'एडिट विंडो' (संशोधन का अवसर) प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से वे अपनी जानकारी नाम) दस्तावेजों में बदलाव कर सकते हैं /, ईमेल^^, आधार, राष्ट्रीयता, परीक्षा राज्य की प्राथमिकताएं, पत्राचार का पता** और मोबाइल नंबर को छोड़कर।

Candidates will be provided with an 'Edit Window' (opportunity for modification), through which they can make changes to their information / documents (except Name, Email^^, Aadhaar, Nationality, Test State preferences, Correspondence Address** and Mobile Number).

एक बार 'एडिट विंडो' बंद हो जाने के बाद, आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में किसी भी अन्य बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Once the Edit Window closes, no further changes to the information provided in the application form will be permitted.

**** एडिट विंडो के दौरान पत्राचार का पता एडिट योग्य नहीं होगा**, क्योंकि उम्मीदवार द्वारा चुने जाने वाले तीन पसंदीदा परीक्षा राज्यों में से एक राज्य का वही होना अनिवार्य है, जो आवेदन पत्र में पत्राचार के पते के रूप में दिया गया है।

Correspondence Address shall not be editable during the Edit Window as one of the three preferred Test States to be selected by the candidate is required to be the State of Correspondence Address furnished in the application form.

उम्मीदवार द्वारा दिया गया पत्राचार का पता इस सूचना बुलेटिन के अध्याय 7 के तहत निर्धारित एक वैध पते के प्रमाण द्वारा समर्थित होना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र में दिया गया पत्राचार का पता सटीक, पूर्ण और वैध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हो।

The Correspondence Address furnished by the candidate shall be supported by a valid address proof as prescribed under Chapter 7 of this Information Bulletin. Candidates are advised to ensure that the Correspondence Address furnished in the application form is accurate, complete and supported by valid documentary evidence.

^^ पंजीकृत ईमेल आईडी के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह / Important Advisory regarding Registered Email ID:

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में अपनी स्वयं की वैध, सक्रिय और एक्सेसिबल ईमेल आईडी दर्ज करें और यह सुनिश्चित करें कि वह पूरी परीक्षा और काउंसलिंग/प्रवेश प्रक्रिया के दौरान चालू रहे। उम्मीदवारों को अधिमानतः आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले और विश्वसनीय ईमेल सेवा प्रदाताओं का उपयोग करना चाहिए और अस्थायी/डिस्पोजेबल ईमेल पत्तों या ऐसे ईमेल खातों के उपयोग से बचना चाहिए जो निष्क्रिय या दुर्गम हो सकते हैं।

Candidates are advised to furnish their own valid, active and accessible Email ID in the application form and ensure that the same remains functional throughout the examination and counseling/admission process. Candidates should preferably use commonly used and reliable email service providers and avoid use of temporary/disposable email addresses or email accounts which may become inactive or inaccessible.

उम्मीदवारों को आगे यह सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि अकाउंट को रिकवर करने के उचित विकल्प, जैसे कि पंजीकृत ईमेल खाते से जुड़े वैकल्पिक ईमेल आईडी और/या मोबाइल नंबर, अपडेटेड और चालू (फंक्शनल) हों ताकि पासवर्ड से संबंधित या लॉगिन/पहुंच (एक्सेस) संबंधी समस्याओं के मामले में ईमेल खाते को आसानी से रिकवर या एक्सेस किया जा सके।

Candidates are further advised to ensure that appropriate account recovery options, such as alternate Email ID and/or mobile number linked with the

registered Email account, are updated and functional so as to facilitate recovery/access to the Email account in case of password-related or login/access issues.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा / काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने तक एनबीईएमएस / काउंसलिंग अथॉरिटी से होने वाले सभी पत्राचार के लिए अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी के इनबॉक्स, स्पैम / जंक फोल्डर और अन्य फिल्टर्ड फोल्डर्स को **नियमित रूप से चेक** करते रहें। उम्मीदवारों को **यह भी सुनिश्चित** करना चाहिए कि उनके मेलबॉक्स की स्टोरेज क्षमता **भरी हुई न हो** और ईमेल सेवा प्रदाता / सेटिंग्स द्वारा एनबीईएमएस / काउंसलिंग / प्रवेश प्राधिकरण से आने वाले ईमेल **ब्लॉक न किए गए हों**।

Candidates are advised to **regularly check** their registered Email ID, **including** Inbox, Spam/Junk folders and other filtered folders, for all communications from NBEMS/Counseling Authority till completion of the examination/counseling & admission process. Candidates should **also ensure** that the mailbox storage capacity **is not full** and that emails from NBEMS/Counseling/Admission Authority **are not blocked** by the Email service provider/settings.

उम्मीदवारों को आगे यह भी सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा/परिणाम के दिन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने तक नवीनतम अपडेट, नोटिस, अलर्ट, शुद्धिपत्र और पत्राचार यदि कोई हो के लिए नियमित रूप से एनबीईएमएस / काउंसलिंग अथॉरिटी की वेबसाइट देखते रहें। **एनबीईएमएस / काउंसलिंग/प्रवेश प्राधिकरण** निम्नलिखित कारणों से ईमेल प्राप्त न होने या डिलीवर न होने के लिए **जिम्मेदार नहीं होगा**: उम्मीदवार द्वारा गलत ईमेल आईडी दिया जाना, ईमेल एकाउंट का निष्क्रिय या पहुंच से बाहर होना, ईमेल का स्पैम / जंक फोल्डर में चले जाना, मेलबॉक्स का स्टोरेज पूरा भरा होना, उम्मीदवार द्वारा पंजीकृत ईमेल खाते को एक्सेस / रिकवर न कर पाना, उम्मीदवार की ओर से कोई तकनीकी समस्या होना, या उम्मीदवार द्वारा नियमित रूप से पंजीकृत ईमेल आईडी और एनबीईएमएस/काउंसलिंग अथॉरिटी की वेबसाइट चेक न किया जाना।

Candidates are further advised to regularly visit the NBEMS/Counseling Authority website for latest updates, notices, alerts, corrigendum and communications, if any, till the day of examination/result and completion of the admission process. **NBEMS / Counseling / Admission Authority shall not be responsible** for non-receipt / non-delivery of emails due to incorrect Email ID furnished by the candidate, inactive or inaccessible Email accounts, diversion of emails to Spam / Junk folders, full mailbox storage, inability of the candidate to access / recover the registered Email account, technical issues at candidate's end, or failure of the candidate to regularly check the registered Email ID and NBEMS / Counseling Authority website.

- 8.1.2.** उम्मीदवार द्वारा दी गई कुछ जानकारी—जैसे नाम, राष्ट्रियता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पत्राचार का पता, आधार नंबर (अगर दिया गया हो) और परीक्षा के लिए राज्य की पसंद—को रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने या सुधार के लिए तय समय-सीमा (करेक्शन विंडो) खत्म होने के बाद बदला नहीं जा सकता है। परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने, उम्मीदवार की खास पहचान के प्रबंधन, बातचीत के रिकॉर्ड, पेमेंट के मिलान, टेस्ट शहर के आवंटन, ऑडिट ट्रेल, परीक्षा की सुरक्षा और परीक्षा आयोजित करने से जुड़ी अन्य प्रशासनिक ज़रूरतों के लिए ऐसी पाबंदियां ज़रूरी हैं।

Certain information provided by the candidate—such as name, nationality, mobile number, email ID, correspondence address, Aadhaar number (if provided), and

preferences for the examination state—cannot be changed after the submission of the registration/application form or the closure of the designated correction window. Such restrictions are necessary for maintaining examination integrity, candidate unique identity management, communication records, payment reconciliation, test city allocation, audit trail, examination security and other administrative requirements connected with the conduct of the examination.

- 8.1.3.** एप्लीकेशन फॉर्म जमा करके, उम्मीदवार यह स्वीकार करता है कि उसने इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के नियमों को पढ़ और समझ लिया है। साथ ही, वह नीट-पीजी 2026 के आयोजन, पहचान की पुष्टि, बातचीत, रिज़ल्ट प्रोसेसिंग, काउंसलिंग / एडमिशन प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑडिट, रिकॉर्ड रखने और परीक्षा से जुड़ी अन्य कानूनी गतिविधियों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई पर्सनल जानकारी को इकट्ठा करने, स्टोर करने, प्रोसेस करने, इस्तेमाल करने और शेयर करने के लिए साफ़ तौर पर अपनी सहमति देता है।

By submitting the application form, the candidate acknowledges having read and understood the provisions of this Information Bulletin and expressly consents to the collection, storage, processing, use and sharing of personal data furnished in the application form for purposes connected with the conduct of NEET-PG 2026, identity verification, communication, result processing, counselling / admission processes, document verification, audit, record maintenance and other lawful examination-related activities

- 8.2.** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल करें; साथ ही, इस ऑनलाइन प्रोसेस के लिए मोबाइल फ़ोन या दूसरे हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल न करें। टेक्निकल गड़बड़ियों से बचने के लिए ऑनलाइन सबमिशन शुरू करने से पहले अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री और cache को क्लियर करने की सलाह दी जाती है। शुरू करने से पहले, कृपया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छी तरह पढ़ लें और ध्यान दें कि एस्टरिस्क (*) वाले सभी फ़ील्ड भरना ज़रूरी है और एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक सबमिट करने के लिए उन्हें पूरा करना होगा। उम्मीदवार की तरफ़ से हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर, इंटरनेट या बिजली से जुड़ी समस्याओं के कारण होने वाली रुकावट या सबमिशन न हो पाने के लिए एनबीईएमएस ज़िम्मेदार नहीं होगा।

Candidates are advised to use latest internet browser to fill the application form; and also advised not to use mobile phones or other handheld devices for this online process. It is highly recommended to clear your browser history and cache before starting the online submission to avoid technical errors. Before beginning, please read the Information

Bulletin thoroughly and note that all fields marked with an asterisk (*) are mandatory and must be completed for a successful application submission. NBEMS shall not be responsible for interruption / non-submission caused due to candidate-side hardware, software, internet or power-related issues.

- 8.3. आवेदक लॉगिन:** इस प्रकार बनाई गई उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड उम्मीदवार को नीट-पीजी 2026 सत्र के लिए आवेदक के रूप में लॉगिन करने और ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करने की अनुमति देगा। “Go to Application” लिंक आवेदक को उपयोगकर्ता निर्माण के तुरंत बाद आवेदन जमा करना जारी रखने की अनुमति देगा।

Applicant Login: This User ID and Password so created will allow the candidate to login as an applicant for NEET-PG 2026 session and register an online application. The “Go to Application” link will allow the applicant to continue with the application submission immediately after user creation.

- 8.4.** यदि लॉगिन पासवर्ड खो गया है, तो इसे “Forgot Your Password” पर क्लिक करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

If the Login password is lost, it can be retrieved by clicking “Forgot Your Password”.

- 8.5. उम्मीदवार का नाम:** कृपया प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्रमाणपत्र में अपना पूरा नाम बताएं। उम्मीदवार द्वारा अपना यूजर आईडी बनाते समय दर्ज किया गया नाम उसके परीक्षा आवेदन पत्र में एक गैर-संपादन योग्य प्रारूप में दर्शाया जाएगा। **आवेदन जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में नाम में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।** प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवार को परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर उसी नाम वाला अपना सरकार द्वारा जारी आईडी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। **यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार के नाम में त्रुटि के साथ आवेदन जमा न करें क्योंकि आवेदन जमा करने के बाद इसे संपादित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि उपयोगकर्ता ने पंजीकरण करते समय अपना नाम गलत दर्ज किया है, तो कृपया सही नाम के साथ एक और उपयोगकर्ता बनाएं।**

Name of Candidate: Please mention your **FULL NAME** as in **Primary Medical Qualification Certificate**. Name as entered by the candidate while creating his/her User ID shall be reflected in a non-editable format in his/her examination application form. **No change in the name shall be permissible under any circumstance after submission of an application. The candidate shall be required to produce his / her Govt issued ID proof bearing same name at the test centre on the test day to seek entry.** It is strongly advised not to submit an application with an error in the candidate’s name

as it shall not be allowed to be edited after application submission. If the user has entered his / her name wrongly while registering the user, please create another user with correct name.

- 8.6. **पिता और माता का नाम :** कृपया उपयोगकर्ता करते समय अपने माता (रजिस्ट्रेशन) का पंजीकरण (यूज़र) और पिता का पूरा नाम ध्यानपूर्वक दर्ज करें।

Father's and Mother's Name: Please mention the full name of your Father and Mother carefully while registering the user.

- 8.7. **लिंग और जन्मतिथि:** अपने लिंग और अपने जन्म का दिन, महीना और वर्ष इंगित करें। कृपया उपयोगकर्ता का पंजीकरण करते समय सावधानीपूर्वक सही जन्मतिथि दर्ज करें।

Gender and Date of Birth: Indicate your gender and Day, Month & Year of your birth. Please enter the correct date of birth carefully while registering the user.

- 8.8. **राष्ट्रीयता:** कृपया दिए गए विकल्पों में से अपनी राष्ट्रीयता चुनें: **भारतीय, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) और गैर ओसीआई विदेशी नागरिक।** भारतीय नागरिक जो एनआरआई नहीं हैं उन्हें भारतीय चुनना चाहिए। एक भारतीय नागरिक को अनिवासी भारतीय का चयन करना चाहिए, यदि वह एनआरआई है। **यदि आप विदेशी नागरिक होने के साथ-साथ भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) भी हैं, तो कृपया ओसीआई चुनें।** विदेशी नागरिक जो ओसीआई नहीं हैं, उन्हें **गैर ओसीआई विदेशी नागरिक** चुनना चाहिए।

Nationality: Please choose your nationality amongst the options given: **Indian, Non-Resident Indian (NRI), Overseas Citizen of India (OCI) and Non-OCI Foreign Nationals.** Indian Citizens who are not NRI should choose Indian. An Indian Citizen should choose Non-Resident Indian, if he / she is an NRI. **If you are a Foreign National but also an Overseas Citizen of India (OCI), please choose OCI.** Foreign Nationals who are not an OCI should choose **Non-OCI Foreign National.**

- 8.9. **ईमेल आईडी:** उम्मीदवार द्वारा चुनी गई ईमेल आईडी को उपयोगकर्ता निर्माण के लिए सिस्टम जनित ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। **एक ही ईमेल आईडी का उपयोग किसी अन्य उपयोगकर्ता के पंजीकरण के लिए एक साथ नहीं किया जा सकता है।** कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवार के साथ सभी ईमेल पत्राचार केवल इसी ईमेल आईडी पर किया जाएगा। **उम्मीदवार द्वारा चुना गया ईमेल परीक्षा उद्देश्यों के लिए उम्मीदवार के साथ संवाद करने का प्राथमिक साधन होगा।** परीक्षाओं से संबंधित जानकारी इस ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। उम्मीदवार केवल इस पंजीकृत ईमेल के माध्यम से एनबीईएमएस के साथ संवाद करने में सक्षम होंगे। **उम्मीदवार की किसी अन्य ईमेल आईडी से प्राप्त पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ईमेल आईडी सावधानी**

से चुनें। उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए नामित काउंसलिंग प्राधिकारी के पंजीकरण फॉर्म के समान ईमेल आईडी का उपयोग करना आवश्यक है जैसा कि एनबीईएमएस नीट-पीजी 2026 आवेदन पत्र में उपयोग किया गया है। **उम्मीदवार ईमेल आईडी के संबंध में महत्वपूर्ण सलाह के लिए बिंदु 8.1.1 का संदर्भ भी ले सकते हैं।**

Email ID: Email ID chosen by the candidate shall be verified through a system generated OTP for user creation. **Same email ID cannot be used for registration of any other user concurrently.** Please note that all email correspondence with the candidate shall be done at this email ID only. **Email chosen by the candidate shall be the primary means to communicate with the candidate for examination purposes.** Information related to examinations shall be sent at this email ID. Candidates shall also be able to communicate with NBEMS through this registered email only. Correspondence received from any other email ID of the candidate shall not be entertained. Therefore, candidates are advised to choose the email ID carefully. Candidates are required to use same Email ID for counseling Registration Form of designated counseling authority as used in NBEMS NEET-PG 2026 Application Form. **Candidate can also refer to the Important Advisory regarding Email ID at Point 8.1.1.**

8.10. मोबाइल नंबर: कृपया एसएमएस के माध्यम से भेजे गए परीक्षा संबंधी संचार प्राप्त करने के लिए एक अद्वितीय मोबाइल नंबर प्रदान करें। उम्मीदवार द्वारा चुना गया मोबाइल नंबर परीक्षा उद्देश्यों के लिए उम्मीदवार के साथ संवाद करने का प्राथमिक साधन नहीं होगा। काउंसलिंग के लिए पंजीकरण के समय उसी मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाएगा जो एनबीईएमएस नीट-पीजी 2026 पंजीकरण के लिए उपयोग किया गया था।

Mobile No.: Please provide a unique mobile number for receiving Examinations related communications sent through SMS. Mobile number chosen by the candidate shall NOT be the primary means to communicate with the candidate for examination purposes. Same Mobile Number as used for NBEMS NEET-PG 2026 Registration will be used at the time of Registration for Counseling.

8.11. इस प्रकार उत्पन्न यूजर आईडी / आवेदन क्रम संख्या और पासवर्ड भविष्य के रिकॉर्ड के लिए उम्मीदवार की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।
The UserID / Application sequence number and password so generated shall be sent to the registered email ID of the candidate for future records.

8.12. एनबीईएमएस वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर नीट-पीजी 2026 का इंडेक्स पेज एक त्वरित लिंक प्रदान करता है, “**Already Registered? To login**” यूजर आईडी के सफल निर्माण के बाद नीट-पीजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र इस त्वरित लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

The index page of NEET-PG 2026 at NBEMS website <https://natboard.edu.in> provides a quick link, “**Already Registered? To login**”. The online application form for NEET-PG 2026 can be accessed through this quick link after successful creation of User ID.

8.13. उम्मीदवार अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।

The candidate can login using his / her User ID and Password.

8.14. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया, आवेदन जमा करने की विंडो के दौरान, उम्मीदवार की पसंद के अनुसार, एक ही बैठक में या कई बैठकों में पूरी की जा सकती है। हालाँकि, एक बार जब कोई आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है और सबमिट हो जाता है, तो यह केवल “Edit Window” के दौरान कुछ फ़ील्ड को संपादित करने के लिए उपलब्ध होगा।

The application submission process can be completed either in a single sitting or in multiple sittings, as per the candidate's choice, during the application submission window. However, once an application is successfully completed & submitted, it shall be available for editing certain field/s only during the “Edit Window”.

8.15. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जानकारी भरने में किसी भी गलती से बचने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म **जल्दबाजी** में न भरें और न ही जमा करें। नीट-पीजी 2026 के लिए एनबीईएमएस एप्लीकेशन फ़ॉर्म में उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी को परीक्षा और उसके बाद की काउंसलिंग / एडमिशन प्रक्रिया से जुड़े सभी मामलों के लिए अंतिम माना जाएगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म / एडमिशन फ़ॉर्म में उम्मीदवारों की जानकारी पहले से भरी हुई (pre-populated) होगी, जो उन्होंने नीट-पीजी 2026 के लिए एनबीईएमएस एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरते समय दी थी। उम्मीदवारों के पास **एडिट विंडो के दौरान** किसी भी जानकारी (**नाम, राष्ट्रीयता, टेस्ट स्टेट की प्राथमिकताएं, मोबाइल नंबर, आधार विवरण, पत्राचार का पता और ईमेल आईडी को छोड़कर**) में सुधार करने का विकल्प होगा। एप्लीकेशन फ़ॉर्म में दी गई किसी भी जानकारी में बदलाव / संशोधन / सुधार के अनुरोध को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

Candidates are advised not to complete and submit the online application form in haste so as to avoid any errors in furnishing information. The particulars furnished by the candidate in the NBEMS application form for NEET-PG 2026 shall be treated as final for all purposes relating to the examination and subsequent counseling / admission process. The details of the candidates will be pre-populated in Counseling

Registration Form/Admission form as provided by them while filling up the NBEMS Application form for NEET-PG 2026. **Candidates shall have the option to make corrections in any information (except Name, Nationality, Test State Preferences, Mobile Number, Aadhaar details, Correspondence Address and Email ID) during the edit window.** Request for change / modification / correction in any information furnished in the application form shall be summarily rejected.

- 8.16.** एनबीईएमएस अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में प्रदान की गई किसी भी जानकारी में स्वयंप्रेरणा से (Suo Motu) अथवा अन्य किसी प्रकार से कोई संपादन, संशोधन या परिवर्तन नहीं करता है। परीक्षा में सम्मिलित होना और / या परिणाम घोषित किया जाना अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में प्रदान किए गए विवरणों में बाद में किसी प्रकार का संशोधन कराने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। आवेदन पत्र में प्रदान की गई समस्त जानकारी की शुद्धता, सत्यता एवं प्रामाणिकता के लिए अभ्यर्थी स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा। आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी द्वारा की गई किसी भी त्रुटि के लिए एनबीईएमएस उत्तरदायी नहीं होगा तथा संपादन विंडो (Edit Window) बंद होने के पश्चात् ऐसी त्रुटियों के सुधार की अनुमति प्रदान करने हेतु एनबीईएमएस किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं होगा।

NBEMS does not edit / modify / change any information furnished by the candidates in their application forms suo-motu or otherwise. Appearance in the examination and / or declaration of result shall not confer any right upon the candidate to seek subsequent modification of particulars furnished in the application form. Candidates shall be solely responsible for the correctness and authenticity of the information furnished in the application form. NBEMS shall neither be responsible for any error committed by the candidate while filling the application form nor be under any obligation to permit rectification of such errors after closure of the Edit Window.

- 8.17.** आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी द्वारा की गई किसी भी त्रुटि के लिए एनबीईएमएस उत्तरदायी नहीं होगा तथा संपादन विंडो (Edit Window) बंद होने के पश्चात् ऐसी त्रुटियों के सुधार की अनुमति प्रदान करने हेतु एनबीईएमएस किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं होगा। केवल आवेदन स्वीकार कर लिए जाने, प्रवेश पत्र जारी किए जाने, परीक्षा में सम्मिलित होने, परिणाम घोषित किए जाने और / अथवा काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने मात्र से ऐसे अभ्यर्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जिसका आवेदन अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, अपात्र पाया जाए अथवा निर्धारित पात्रता मानदंडों एवं अन्य प्रावधानों के अनुरूप न हो।

NBEMS shall neither be responsible for any error committed by the candidate while filling the application form nor be under any obligation to permit rectification of such errors after

closure of the Edit Window. Mere acceptance of application, issuance of admit card, appearance in examination, declaration of result and/or participation in counseling shall not confer any right upon the candidate whose application is found to be incomplete, incorrect, ineligible or otherwise not in accordance with the prescribed criteria.

8.18. उम्मीदवार को आवेदन पत्र में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी प्रदान करनी होगी। यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि आवेदन पत्र भरना प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज अपने पास तैयार रखें। आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी के चरणबद्ध विवरण हेतु कृपया नीट-पीजी 2026 के इंडेक्स पृष्ठ पर उपलब्ध उपयोगकर्ता पुस्तिका (User Manual) का अवलोकन करें। The candidate shall be required to provide information as asked under various heads. It is strongly recommended to keep the required information handy before start filing the application. Please read the User Manual available at the index page of NEET-PG 2026 for step wise details asked in the application form.

8.19. निर्धारित इमेज (फ़ोटो, स्कैन किए गए हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान) अपलोड करना: फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपलोड करने की विशिष्टताओं के विवरण के लिए कृपया एनबीईएमएस की वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर और इस सूचना बुलेटिन के अंत में दिए गए 'छवि अपलोड निर्देश' (Image Upload Instructions) देखें। जो छवियां निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार नहीं होंगी, उन पर विचार नहीं किया जाएगा और इससे आवेदन खारिज हो सकता है। कृपया यह सुनिश्चित करें (रिजेक्ट) कि अपलोड किया गया **फोटोग्राफ बिल्कुल हाल का हो** और किसी भी स्थिति में **आवेदन जमा करने की तारीख से तीन (03) महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए**। ऐसा फोटोग्राफ अपलोड करना जो हाल का (Recent) न हो अथवा इस सूचना पुस्तिका में वर्णित निर्धारित **छवि अपलोड दिशानिर्देशों** के अनुरूप न हो, और / अथवा अंतिम संपादन विंडो (Final Edit Window) के दौरान ऐसी त्रुटि का सुधार करने में विफल रहने पर आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

Upload of Prescribed Images (Photograph, Scanned Signatures and Thumb Impression): Please refer Image Upload Instructions available at NBEMS website <https://natboard.edu.in> and at the end of this information bulletin for details of specifications for uploading photograph, signatures and thumb impression. Images which are not as per prescribed specification shall not be considered and may lead to rejection of the application. Please ensure that uploaded photograph is a **RECENT photograph and** in any case **should have not been taken more than Three (03) months before the date of application submission**. Uploading a photograph which is not a recent one or which is not as per prescribed **image upload guidelines** as detailed in this information

bulletin and / or failure to rectify the same in the final edit window shall invite rejection of the application.

- 8.20.** नीट-पीजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से तीन (03) पसंदीदा परीक्षा राज्यों का चयन करना होगा। पहली पसंद का परीक्षा राज्य **अनिवार्य रूप से** वही राज्य होना चाहिए, जो उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए पत्राचार के पते का राज्य है। शेष दो पसंदीदा परीक्षा राज्यों का चयन उम्मीदवार द्वारा चिन्हित क्षेत्रों के अनुसार राज्यों की सूची से किया जा सकता है।

Candidates shall be required to select Three (03) preferred Test States while filling the online application form for NEET-PG 2026. The First Preferred Test State shall **mandatorily** be the State of the Correspondence Address furnished by the candidate in the application form. The remaining two preferred Test States may be selected by the candidate from the list of states as per identified zones.

- 8.21.** परीक्षा शहर / परीक्षा केंद्र का आवंटन एनबीईएमएस द्वारा प्रशासनिक व्यवहार्यता, परीक्षा बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और परिचालन संबंधी विचारों के आधार पर किया जाएगा। हालांकि उम्मीदवार द्वारा चुने गए पसंदीदा परीक्षा राज्यों में से ही किसी एक में परीक्षा शहर आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उम्मीदवार द्वारा किसी विशेष परीक्षा राज्य, परीक्षा शहर या परीक्षा केंद्र में आवंटन के लिए कोई दावा या अधिकार नहीं जताया जा सकता है। आवंटित परीक्षा शहर के भीतर परीक्षा केंद्र स्थल / का आवंटन एनबीईएमएस द्वारा ही किया जाएगा।

The allotment of Test City / Test Centre shall be done by NBEMS based on administrative feasibility, availability of examination infrastructure and operational considerations. While efforts shall be made to allot a Test City within one of the preferred Test States opted by the candidate, no claim or right can be made by the candidate for allotment in a particular Test State, Test City or Test Centre. The allotment of Test Centre / venue within the allotted Test City shall be done by NBEMS.

- 8.22.** पसंदीदा परीक्षा राज्यों के चयन के बाद, उम्मीदवार को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और निर्धारित परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। **नीट-पीजी 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध पेमेंट गेटवे के अलावा किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है।**

After selection of preferred test states, the candidate shall be required to upload the required documents & to pay the prescribed examination fee online. **The fee can not be paid through any mode other than the payment gateway available in online application form of NEET-PG 2026.**

- 8.23.** कृपया सुनिश्चित करें कि परीक्षा शुल्क के लिए किया गया भुगतान सफल है और इसकी पुष्टि आवेदन पत्र में भुगतान स्थिति के अंतर्गत देखी जा सकती है जो **“S”** (सफल के लिए) के रूप में दिखाई देती है। यदि स्थिति लंबित दिखाई देती है, तो भुगतान आपके बैंक के पास अटका हुआ हो सकता है और बाद की तारीख में साफ़ किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती है जब तक कि आवेदन पत्र में भुगतान की स्थिति **“S”** के रूप में दिखाई न दे। **आपके बैंक द्वारा एनबीईएमएस को भुगतान के निपटान में देरी के कारण आपके आवेदन को अस्वीकार करने के लिए एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा।**

Kindly ensure that the payment made for examination fee is successful and confirmation of the same can be seen in the application form under payment status reflected as **“S”** (for successful). In case the status is shown as pending, the payment might be stuck with your bank and might be cleared at a later date. The application submission process is not completed till such time the status of payment is reflected as **“S”** in application form. **NBEMS shall not be responsible for rejection of your application due to delay in settlement of the payment by your bank to NBEMS.**

- 8.24.** आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पुनः भुगतान करना है अथवा नहीं, इसका निर्णय उम्मीदवार के विवेक पर निर्भर करेगा। यदि किसी एक ही आवेदन क्रमांक (Application Sequence Number) के संबंध में परीक्षा शुल्क का एक से अधिक बार भुगतान प्राप्त होता है, तो आवेदन अवधि समाप्त होने के पश्चात् एनबीईएमएस निर्धारित परीक्षा शुल्क को सुरक्षित रखते हुए प्राप्त अतिरिक्त शुल्क वापस कर देगा। यद्यपि एनबीईएमएस अतिरिक्त शुल्क की वापसी यथाशीघ्र करने का प्रयास करता है, तथापि अप्रत्याशित परिस्थितियों में धनवापसी (Refund) की प्रक्रिया में लगभग दो से तीन माह का समय लग सकता है।

It is at the discretion of the applicant to make another payment for completing the application submission process. In an event of receipt of duplicate / multiple examination fees towards the same application sequence number, NBEMS shall refund the excess fees received for an application retaining the prescribed examination fee, after closure of application window. NBEMS attempts to make the refund at the earliest; however, the refund process may take about two to three months in unforeseen circumstances.

उम्मीदवारों को दृढ़तापूर्वक सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र जमा करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें तथा परीक्षा शुल्क के भुगतान सहित संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया समय रहते पूर्ण कर लें। आवेदन पत्र का शीघ्र प्रस्तुतिकरण भुगतान संबंधी समस्याओं, जैसे असफल लेन-देन (Failed Transactions), भुगतान के मिलान (Payment Reconciliation) में विलंब, भुगतान निपटान (Settlement) की लंबित स्थिति अथवा बैंक/पेमेंट गेटवे द्वारा असफल लेन-देन की धनवापसी में विलंब आदि के समाधान हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध

करा सकता है। इससे आवश्यकता पड़ने पर उम्मीदवार निर्धारित आवेदन अवधि के भीतर पुनः भुगतान करने में सक्षम हो सकेगा।

Candidates are **strongly** advised not to wait till the last date for submission of the application form and to complete the application process, including payment of examination fee, well in advance. Early submission of the application form may provide sufficient time for resolution of payment-related issues such as unsuccessful transactions, pending payment reconciliation, delayed settlement status or refund of failed transactions by the bank/payment gateway, thereby enabling the candidate to make fresh payment, **if required**, within the prescribed application submission window.

- 8.25.** उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने से पहले पूरे आवेदन का पूर्वावलोकन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि यदि आवश्यक हो, तो कोई भी सुधार किया जा सके। उम्मीदवारों को "घोषणा" से सहमत होने के बाद आवेदन जमा करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही आवेदन जमा करने की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।

Candidates shall be prompted to preview the entire application before submission in order to make any corrections, if so required. They shall be required to submit the application after agreeing to the "declaration". This shall complete the entire process of application submission.

- 8.26. आवेदन जमा होने की पावती:** उम्मीदवार द्वारा आवेदन जमा करने की पुष्टि के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन ईमेल भेजा जाएगा। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया परीक्षा शुल्क का सफल भुगतान होने के बाद ही पूरी मानी जाएगी। उम्मीदवार को **आवेदन फॉर्म की PDF** में भुगतान की स्थिति की जाँच करनी चाहिए, जहाँ 'S' का मतलब "सफल" (Successful) और 'F' का मतलब "असफल" (Failed) होगा। **उम्मीदवारों को भविष्य के संदर्भ के लिए सफलतापूर्वक जमा किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है (कॉपी), क्योंकि नीट-पीजी 2026 के परिणाम की घोषणा के बाद यह उपलब्ध नहीं होगा।**

Acknowledgement of Application Submission: An acknowledgement email shall be sent to the registered email ID confirming submission of an application by the candidate. Submission of application shall be completed only after successful payment of examination fee. Candidate should confirm the status of payment in the **application form PDF** where 'S' would stand for "Successful" and "F" would stand for "Failed". **Candidates are advised to retain a copy of the successfully submitted application form for future reference as this will not be available after the declaration of NEET-PG 2026 result.**

8.27. उम्मीदवारों को **दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुल्क के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम तिथि से काफी समय पहले पूरा और जमा कर लें और आवेदन जमा करने की विंडो के अंतिम दिन या अंतिम घंटों तक प्रतीक्षा न करें।** आवेदन पत्र का शीघ्र प्रस्तुतिकरण भुगतान संबंधी समस्याओं (यदि कोई हों), जैसे असफल लेन-देन (Failed Transactions), भुगतान के मिलान (Payment Reconciliation) में विलंब, भुगतान निपटान (Settlement) की लंबित स्थिति अथवा बैंक/पेमेंट गेटवे द्वारा असफल लेन-देन की धनवापसी में विलंब आदि के समाधान हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध करा सकता है। इससे आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि के भीतर पुनः भुगतान करने में सक्षम हो सकेगा।

Candidates are **strongly advised to complete and submit the online application form**, including payment of examination fee, **well before the last date** and **not to wait till the closing day / closing hours of the application submission window**. Early submission of the application form may provide sufficient time for resolution of payment-related issues (if any) such as unsuccessful transactions, pending payment reconciliation, delayed settlement status or refund of failed transactions by the bank / payment gateway, thereby enabling the candidate to make fresh payment, if required, within the prescribed application submission window.

आवेदन जमा करने के अंतिम दिनों या अंतिम घंटों के दौरान उम्मीदवारों को होने वाली किसी भी तकनीकी समस्या जैसे कि वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक, भुगतान की विफलता, भुगतान के निपटान / मिलान में देरी, सर्वर से संबंधित समस्याओं या किसी अन्य कठिनाइयों के लिए **एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा।** आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी और अनुकूल डिवाइस / ब्राउज़र की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। उम्मीदवार की ओर से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्राउज़र अनुकूलता या बिजली से संबंधित समस्याओं के कारण आवेदन में व्यवधान, अधूरे आवेदन या आवेदन जमा न हो पाने के लिए एनबीईएमएस जिम्मेदार नहीं होगा। **उम्मीदवारों को आगे यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र कार्य दिवसों के दौरान और निर्धारित समय के भीतर जमा करें ताकि यदि कोई विसंगति या त्रुटि ध्यान में आए, तो उसका समय पर समाधान किया जा सके। किसी भी कारण से आवेदन पत्र जमा करने में होने वाली देरी के लिए पूरी तरह से उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा और समय बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।**

NBEMS shall not be responsible for any technical issues such as website congestion, payment failure, delayed payment settlement / reconciliation, server-related problems or any other difficulties faced by candidates **during the last days / closing hours of submission**. Candidates shall ensure availability of stable internet connectivity and use

of compatible device / browser while filling the application form. NBEMS shall not be responsible for interruption, incomplete submission or non-submission of application caused due to candidate-side hardware, software, internet connectivity, browser compatibility or power-related issues. **Candidates are further advised to submit their application forms during working days and within the stipulated time so that any discrepancy or error, if noticed, may be resolved in a timely manner. Delay in submission of the application form due to any reason whatsoever shall be solely the responsibility of the candidate and no request for extension of time shall be entertained.**

8.28. एडिट विंडो: जिन उम्मीदवारों ने आवेदन जमा करने की अवधि के दौरान अपने आवेदन के लिए सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है, केवल उन्हें ही **25-07-2026 से 28-07-2026** के दौरान अपने आवेदनों को एडिट करने की अनुमति होगी। **एडिट विंडो के दौरान कोई नया आवेदन पंजीकृत नहीं किया जा सकता है और न ही नया भुगतान किया जा सकता है।** हालांकि, उम्मीदवार की श्रेणी और / या PwBD की स्थिति में बदलाव के मामले में यदि कोई शेष शुल्क आवश्यक हो, तो उसका भुगतान एडिट विंडो के दौरान किया जा सकता है।

Edit Window: Candidates who have successfully submitted their payment for the application during Application Submission window shall only be allowed to edit their applications during **25-07-2026 to 28-07-2026**. **No new application can be registered or payment can be made during edit window.** However, the balance fee required, if any, in case of change in candidate category and / or PwBD status can be paid during the edit window.

8.28.1.1. एडिट विंडो के दौरान नाम, परीक्षा राज्य की प्राथमिकता, राष्ट्रियता, आधार, पत्राचार का पता**, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर किसी भी अन्य जानकारी दस्तावेज को बदला या सुधारा जा सकता है।

Any information / document can be changed / corrected during the edit window except for Name, Test State Preference, Nationality, Aadhaar, Correspondence Address, Mobile Number and Email ID.**

****नोट** एडिट विंडो के दौरान पत्राचार के पते में बदलाव नहीं किया जा सकेगा ; क्योंकि उम्मीदवार द्वारा चुने जाने वाले तीन पसंदीदा परीक्षा राज्यों में से एक राज्य का वही होना अनिवार्य है जो आवेदन पत्र में भरा गया पत्राचार का पता है।

NOTE: Correspondence Address shall not be editable during the Edit Window as one of the three preferred Test States to be selected by the candidate is required to be the State of the Correspondence Address furnished in the application form.

8.28.1.2. संपादन विंडो (Edit Window) बंद होने तक अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार किसी भी जानकारी में कितनी भी बार संशोधन कर सकता है। तथापि, संपादन विंडो बंद होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा अंतिम बार सफलतापूर्वक प्रस्तुत की गई जानकारी / विवरण को अंतिम माना जाएगा तथा वही एनबीईएमएस के अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाएगा।

Information can be edited any number of times before the closure of the window. The last successfully submitted information/details by the candidate before closure of the Edit Window shall be treated as final and shall be saved in the records of NBEMS.

8.28.1.3. यदि कोई उम्मीदवार एडिट विंडो का उपयोग नहीं करता है या उस तक पहुँच नहीं बनाता है, तो आवेदन पत्र की प्रारंभिक प्रस्तुति के समय उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी विवरण/को ही अंतिम माना जाएगा।

In case a candidate does not access / utilize the Edit Window, the information / details furnished by the candidate at the time of initial submission of the application form shall be treated as final.

8.28.1.4. यदि संपादन विंडो (Edit Window) के दौरान श्रेणी (Category) और / अथवा दिव्यांगजन श्रेणी (PwBD Status) में किए गए परिवर्तन के परिणामस्वरूप उच्चतर परीक्षा शुल्क लागू होता है, तो संशोधित श्रेणी/दिव्यांगजन स्थिति के अनुसार देय अतिरिक्त शुल्क का भुगतान संपादित आवेदन पत्र के अंतिम प्रस्तुतिकरण से पूर्व करना उम्मीदवार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। लागू अतिरिक्त शुल्क का भुगतान न किए जाने की स्थिति में संपादित आवेदन अपूर्ण माना जाएगा तथा अभ्यर्थिता का प्रसंस्करण (Processing of Candidature) उसी शुल्क / स्थिति के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए सफलतापूर्वक आवेदन प्रस्तुत किया गया है और शुल्क का भुगतान किया गया है। हालांकि, यदि श्रेणी और / अथवा दिव्यांगजन स्थिति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कम परीक्षा शुल्क लागू होता है, तो पहले से जमा किए गए शुल्क की किसी भी प्रकार की वापसी (Refund) अथवा समायोजन (Adjustment) किसी भी परिस्थिति में अनुमन्य नहीं होगा। आवेदन पत्र में चयनित श्रेणी / दिव्यांगजन स्थिति तथा उसके आधार पर लागू परीक्षा शुल्क की शुद्धता के लिए अभ्यर्थी स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी/दिव्यांगजन स्थिति का चयन करते समय पूर्ण सावधानी एवं समुचित सतर्कता बरतें।

In case of change in category and / or PwBD status during the Edit Window resulting in applicability of a higher examination fee, the candidate shall be

solely responsible for payment of the balance fee applicable for the revised category / PwBD status before final submission of the edited application form. Failure to pay the applicable balance fee shall render the edited application incomplete and the candidature shall be processed as per the fee / status successfully submitted and paid for. However, if the change in category and / or PwBD status results in a lower examination fee, no refund or adjustment of the fee already paid shall be permissible under any circumstances. The candidate shall be solely responsible for the correctness of the category / PwBD status selected and the consequential fee applicable thereto. Candidates are therefore advised to exercise due diligence and utmost care while selecting their category/PwBD status in the application form.

8.29. एडिट विंडो समाप्त होने के बाद, आवेदन पत्र में दी गई किसी भी जानकारी में सुधार या संपादन की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के दौरान उम्मीदवार द्वारा दी गई गलत जानकारी के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व को एनबीईएमएस अस्वीकार करता है।

No editing in information provided shall be permissible in the application form, once edit window is over. NBEMS disclaims any liability that may arise due to incorrect information provided by the candidate during online application form submission.

8.30. एडिट विंडो बंद होने के बाद, आवेदन पत्र में अपलोड की गई छवियों से संबंधित यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उसके बारे में संबंधित उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा।

Subsequent to closure of edit window, deficiency, if any related to images uploaded, in the application form shall be communicated to concerned candidates.

8.31. सिलेक्टिव एडिट विंडो : संपादन विंडो (Edit Window) बंद होने के पश्चात् उम्मीदवारों द्वारा अपलोड की गई छवियों (फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान) की जांच एनबीईएमएस द्वारा इमेज स्कूटिनी पोर्टल (Image Scrutiny Portal) के माध्यम से की जाएगी। **जिन अभ्यर्थियों की अपलोड की गई छवियां निर्धारित छवि अपलोड दिशानिर्देशों (Image Upload Guidelines) के अनुरूप नहीं पाई जाएंगी** अथवा उनमें कोई कमी पाई जाएगी, उन्हें दिनांक **31-07-2026 से 10-08-2026** के दौरान ई-मेल और/अथवा अभ्यर्थी लॉगिन डैशबोर्ड के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

Selective Edit Window: Subsequent to closure of the Edit Window, uploaded images (photograph, signature and thumb impression) of the candidates shall be scrutinized by

NBEMS through the Image Scrutiny Portal. Candidates **whose uploaded images are found deficient/non-compliant with the prescribed Image Upload Guidelines shall be informed** through email and / or applicant login dashboard during **31-07-2026 to 10-08-2026**.

8.31.1. ऐसे उम्मीदवारों को सिलेक्टिव एडिट विंडो के दौरान अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनबीईएमएस की वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर आवेदन पत्र में लॉगिन करके, "IMAGE SCRUTINY" टैब पर जाकर और निर्धारित 'इमेज अपलोड निर्देशों' के अनुसार सही छवियां अपलोड करके त्रुटिपूर्ण छवियों को सुधारना आवश्यक होगा।

Such candidates shall be required to rectify the deficient images during the Selective Edit Window by logging into the application form on NBEMS website <https://natboard.edu.in> using their credentials, accessing the "IMAGE SCRUTINY" tab and uploading compliant images as per the prescribed Image Upload Instructions.

8.31.2. चयनित संपादन विंडो (Selective Edit Window) के दौरान उम्मीदवारों द्वारा पुनः अपलोड की गई छवियों की जांच भी एनबीईएमएस द्वारा पुनः की जा सकती है। यदि ऐसी छवियां पुनः जांच के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं अथवा उनमें कोई कमी पाई जाती है, तो उन्हें पुनः अस्वीकार किया जा सकता है तथा अभ्यर्थी को निर्धारित चयनित संपादन विंडो अवधि के भीतर पुनः अपलोड करने हेतु ई-मेल और / अथवा अभ्यर्थी लॉगिन डैशबोर्ड के "IMAGE SCRUTINY" टैब के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जांच, अस्वीकृति एवं पुनः अपलोड की यह प्रक्रिया अधिसूचित चयनित संपादन विंडो अवधि के दौरान आवश्यकता अनुसार एक से अधिक बार दोहराई जा सकती है।

Images uploaded by the candidates during the Selective Edit Window may again be scrutinized by NBEMS and, if found deficient/non-compliant, the same may again be rejected and communicated to the candidate through email and / or applicant login dashboard ("IMAGE SCRUTINY" tab) for re-upload within the prescribed Selective Edit Window period. **This process of scrutiny, rejection and re-upload may continue multiple times during the notified Selective Edit Window period.**

8.31.3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चयनित संपादन विंडो (Selective Edit Window) की अवधि के दौरान अपलोड की गई छवियों में पाई गई कमियों के संबंध में किसी भी सूचना हेतु अपने पंजीकृत ई-मेल पते, जिसमें स्पैम / जंक (Spam/Junk) फ़ोल्डर भी शामिल हैं, तथा अभ्यर्थी

लॉगिन डैशबोर्ड को नियमित रूप से देखते रहें। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अभ्यर्थी लॉगिन डैशबोर्ड पर उपलब्ध "IMAGE SCRUTINY" टैब में अपलोड की गई छवियों की स्थिति (Status) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

Candidates are advised to regularly monitor their registered email ID, including Spam/Junk folders, and applicant login dashboard during the Selective Edit Window period for communication regarding deficiency in uploaded images. Candidates are further advised to regularly monitor the status of uploaded images on the applicant login dashboard ("IMAGE SCRUTINY" tab).

- 8.31.4.** अपलोड की गई हर इमेज का स्टेटस डैशबोर्ड पर अलग-अलग "Accepted" (स्वीकार किया गया) या "Rejected" (अस्वीकार किया गया) के तौर पर दिखेगा। उम्मीदवारों को सिर्फ़ उन्हीं इमेज को दोबारा अपलोड करना होगा जो "Rejected" के तौर पर दिख रही हैं। डैशबोर्ड पर "Accepted" के तौर पर दिख रही इमेज के लिए उम्मीदवार को आगे कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं होगी।

The status of each uploaded image shall be reflected individually as "Accepted" or "Rejected" on the dashboard. Candidates shall be required to re-upload only those images which are reflected as "Rejected". No further action shall be required from the candidate for images reflected as "Accepted" on the dashboard.

- 8.31.5.** उम्मीदवार आगे यह भी ध्यान दें कि सिलेक्टिव एडिट विंडो के दौरान दोबारा अपलोड की गई छवियों की एनबीईएमएस द्वारा फिर से जांच की जाएगी। यदि ये छवियां निर्धारित 'इमेज अपलोड दिशानिर्देशों' के अनुरूप नहीं या त्रुटिपूर्ण पाई जाती हैं, तो उन्हें फिर से खारिज किया जा सकता है और अधिसूचित **सिलेक्टिव एडिट विंडो की अवधि के भीतर ही दोबारा अपलोड करना आवश्यक हो सकता है।**

Candidates may further note that images re-uploaded during the Selective Edit Window shall again be subject to scrutiny by NBEMS and, if found deficient / non-compliant with the prescribed Image Upload Guidelines, **may again be rejected** and **required to be re-uploaded within the notified Selective Edit Window period.**

- 8.31.6.** एनबीईएमएस की ओर से एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान और तब तक, जब तक कि अपलोड की गई सभी इमेज एप्लीकेशन लॉगिन डैशबोर्ड ("IMAGE SCRUTINY" टैब) पर "Accepted" के तौर पर न दिखने लगे, भेजे जाने वाले सभी कम्युनिकेशन/अपडेट्स के लिए कैंडिडेट्स खुद ही

अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID (जिसमें स्पैम / जंक फोल्डर भी शामिल हैं) और एप्लीकेशन लॉगिन डैशबोर्ड को रेगुलर तौर पर चेक करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

Candidates shall remain solely responsible for regularly monitoring their registered email ID, including Spam / Junk folders, and applicant login dashboard for all communications/updates issued by NBEMS during the application process and till all uploaded images are reflected as "Accepted" on the applicant login dashboard ("IMAGE SCRUTINY" tab).

- 8.31.7.** एनबीईएमएस द्वारा कमियों की सूचना देना केवल एक सहायक उपाय होगा। किसी कमी, विसंगति या दोष की सूचना न दिए जाने पर उम्मीदवार को कोई अधिकार, न्यायसंगत हित या निहित दावा प्राप्त नहीं होगा।

Communication of deficiency by NBEMS shall be merely a facilitative measure. Non-communication of any deficiency, discrepancy or defect shall not confer any right, equity or vested claim upon the candidate.

- 8.31.8.** धुंधली (Blurred), अपठनीय (Illegible), विकृत (Distorted), अनुचित रूप से अपलोड की गई, निर्धारित निर्देशों के अनुरूप न होने वाली अथवा पहचान / सत्यापन के उद्देश्य से अन्यथा अनुपयुक्त पाई जाने वाली किसी भी छवि को अस्वीकार करने का अधिकार एनबीईएमएस सुरक्षित रखता है। **अपलोड की गई छवियों की स्वीकार्यता / उपयुक्तता के संबंध में एनबीईएमएस का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा।**

NBEMS reserves its right to reject any uploaded image which is blurred, illegible, distorted, improperly uploaded, non-compliant with the prescribed instructions or otherwise considered unsuitable for identification/verification purposes. **The decision of NBEMS regarding acceptability/suitability of uploaded images shall be final and binding.**

- 8.31.9.** निर्धारित अवधि के भीतर दोषपूर्ण/अनुरूप न होने वाली छवियों को ठीक न करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। चयनात्मक संपादन विंडो बंद होने के बाद सुधार का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।

Failure to rectify deficient / non-compliant images within the prescribed period shall result in rejection of the application. No further opportunity for correction shall be granted after closure of the Selective Edit Window.

8.32. एनबीईएमएस किसी भी हालत में, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी में कोई बदलाव या सुधार नहीं करता है। कैटेगरी, जन्म तिथि, PwBD स्टेटस वगैरह में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर एनबीईएमएस विचार नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी सावधानी से भरें। नीट-पीजी 2026 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों द्वारा भरी गई कैटेगरी / PwBD स्टेटस को काउंसलिंग के समय भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा बदला नहीं जाएगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उम्मीदवारों की जानकारी पहले से भरी होगी, जो उन्होंने नीट-पीजी 2026 के लिए एनबीईएमएस एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दी थी। **इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर एमसीसी विचार नहीं करेगा।**

NBEMS does not edit / modify / alter any information entered by the candidates at the time of online submission of application form under any circumstances. Requests for any changes to Category, Date of Birth, PwBD Status, etc., will not be considered by NBEMS. Candidates are advised to carefully enter the information in the application form. The Category / PwBD status filled by the candidates while applying for NEET-PG 2026 will not be changed by Medical Counseling Committee (MCC) of DGHS, Govt of India at the time of counseling. The details of the candidates will be pre-populated in Counseling Registration Form as provided by them while filling up the NBEMS Application form for NEET-PG 2026. **Any representation in this regard will not be entertained by MCC.**

8.33. जो उम्मीदवार ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ पूरी तरह से भरे हुए आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, या सुधार के लिए तय आखिरी तारीख तक अपने आवेदनों में कमियों को ठीक नहीं कर पाते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। **अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।** ऐसे मामलों में, पूरी फ़ीस ज़ब्त कर ली जाएगी।

Candidates who fail to submit duly completed applications with requisite documents and / or fail to rectify the deficiencies in their applications by the last date prescribed for rectification shall be declared ineligible. **Admit Card shall not be issued to candidates who are declared ineligible.** In such cases, the entire fees will be forfeited.

8.34. उम्मीदवारों का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, राष्ट्रीयता आदि से संबंधित विवरण काउंसलिंग प्राधिकरणों द्वारा आयोजित काउंसलिंग हेतु पंजीकरण प्रपत्र में प्रदर्शित किए जाएंगे। **अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग / प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपने विवरणों में परिवर्तन न**

करें, ताकि काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीकरण के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

The details of candidates w.r.t. Name, Mobile Number, Email ID, Nationality etc. will be populated in the Registration Form of Counseling to be conducted by counseling authorities. **Hence, candidates are advised not to change their details till the completion of counseling / admission process to avoid problem in Registration for counseling / admission process.**

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के चरणों का संक्षिप्त विवरण

SUMMARY OF STEPS IN ONLINE APPLICATION FORM SUBMISSION

8.35. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय निम्नलिखित क्रम का पालन किया जाना चाहिए / The following sequence shall be observed while filing the online application form:

- यूजर आईडी / आवेदन क्रम संख्या और पासवर्ड जेनरेट करने के लिए यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
Fill the user registration form to generate User ID / Application sequence number and Password.
- यूजर आईडी और पासवर्ड एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा।
User ID and Password will be sent through SMS and Email.
- आवेदन पत्र को पूरा करें और अपनी तस्वीर, स्कैन किए गए हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और निर्धारित दस्तावेज अपलोड करें।
Complete the application form and upload your Photograph, Scanned signature, Thumb impression & Prescribed documents.
- अपनी "टेस्ट स्टेट" प्राथमिकताएँ चुनें और परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
Choose your "Test State" preferences and pay Examination Fee
- घोषणा (Declaration) से सहमत हों और आवेदन जमा (Submit) करें।
Agree to the declaration and Submit Application
- रिकॉर्ड के लिए, भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट-आउट लें, जिस पर ट्रांज़ैक्शन ID छपी हो और पेमेंट स्टेटस "S" (सफल) लिखा हो।
Take a print out of the filled Application form with Transaction ID printed on it and payment status mentioned as "S" (Successful) for records.

9. सावधानी नोटिस, गैर-प्रकटीकरण समझौता और अनुचित साधन / Caution Notice, Non- Disclosure Agreement and Unfair Means

A. सावधानी नोटिस / Caution Notice

9.1. एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट <https://natboard.edu.in> है।

The official website of NBEMS is <https://natboard.edu.in>

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एनबीईएमएस और एनबीईएमएस द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के बारे में किसी भी जानकारी के लिए केवल इन वेबसाइट लिंक का ही संदर्भ लें। प्रामाणिक जानकारी और नीट-पीजी के बारे में समय समय पर आने वाले अपडेट के लिए कृपया-एनबीईएमएस की वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर उपलब्ध नीट-पीजी इंडेक्स पेज और वहां अपलोड किए गए सूचना बुलेटिन को देखें।

Candidates are advised to refer for any information about NBEMS and Examinations conducted by NBEMS only through this website link. Please refer NEET-PG index page on NBEMS website <https://natboard.edu.in> and Information Bulletin uploaded therein for authentic information and periodic updates about the NEET-PG.

9.2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे फर्जी ई-मेल / एसएमएस या जाली दस्तावेजों के माध्यम से किसी भी उम्मीदवार की मदद करने का झूठा और फर्जी दावा करने वाले बेईमान एजेंटों / दलालों के बहकावे में न आएं या गुमराह न हों।

Candidates are hereby advised not to be allured or mislead by unscrupulous agents / touts making false and bogus claims of helping any candidate in any means by such spoofed emails / SMS or forged documents.

9.3. एनबीईएमएस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक / मेरिट स्थान प्राप्त करने के संबंध में एनबीईएमएस उम्मीदवारों को कोई ईमेल या एसएमएस नहीं भेजता है।

NBEMS does not send any email or SMS to candidates regarding securing good marks / merit position in any of the exams conducted by NBEMS.

9.4. एनबीईएमएस के नाम से कोई भी ईमेल या एसएमएस प्राप्त होने पर कृपया एनबीईएमएस के नाम से एसएमएस के माध्यम से प्राप्त जानकारी को संबंधित ईमेल / एनबीईएमएस वेबसाइट अपडेट के साथ सत्यापित करें।

Be aware when getting any email or SMS in the name of NBEMS, please cross verify information received through SMS in name of NBEMS with a corresponding Email / NBEMS Website update.

- 9.5. उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे एनबीईएमएस के साथ संचार के लिए ईमेल आईडी / संपर्क नंबर का उपयोग करें, जो एनबीईएमएस वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

Candidates are also advised to use the email IDs / contact numbers for communication with NBEMS which are provided on the NBEMS website.

- 9.6. यदि किसी उम्मीदवार से कोई असामाजिक तत्व, दलाल (Tout) अथवा अन्य अनधिकृत व्यक्ति ई-मेल, एसएमएस, टेलीफोन कॉल, जाली दस्तावेजों अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर किसी प्रकार के अनुचित लाभ, परीक्षा / प्रवेश में सहायता अथवा अन्य किसी प्रकार की अनुचित सुविधा दिलाने का आश्वासन देता है, तो उम्मीदवार ऐसे मामलों की सूचना एनबीईएमएस की वेबसाइट पर "Contact Us" टैब के अंतर्गत उपलब्ध Communication Web Portal के माध्यम से अथवा आगे की जांच हेतु स्थानीय पुलिस को दे सकते हैं।
In case candidates are approached by any unscrupulous agents / touts promising any such undue favour through any spoofed emails / SMS or telephone call or forged documents or personally the same may be reported to NBEMS through its Communication Web Portal available under Contact us tab on NBEMS website or to the local police for further investigation.

B. गैरप्रकटीकरण समझौता- / Non-Disclosure Agreement

- 9.7. नीट-पीजी एक प्राइवेट परीक्षा है और इसे सिर्फ एनबीईएमएस ही आयोजित करता है। इस परीक्षा का कंटेंट गोपनीय और एनबीईएमएस की प्रॉपर्टी है। एनबीईएमएस साफ़ तौर पर उम्मीदवारों को इस परीक्षा के किसी भी कंटेंट को—चाहे पूरा हो या उसका कोई हिस्सा—किसी भी मकसद से, किसी भी रूप या तरीके (जैसे बोलकर, लिखकर, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल माध्यम से) से कॉपी करने, आगे भेजने या पब्लिश करने से रोकता है। एनबीईएमएस परीक्षा से जुड़ी किसी भी सामग्री, जैसे कि प्रश्न-पत्र और/या प्रश्नों के उत्तर, को साझा करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उत्तर-कुंजियों (answer keys) का प्रकाशन इस सूचना बुलेटिन के **क्लॉज़ 10.7** के अनुसार किया जाएगा।

NEET-PG is a proprietary examination and is conducted only by NBEMS. The contents of this exam are confidential, proprietary and are owned by NBEMS. NBEMS explicitly prohibits the candidate, from reproducing, transmitting or publishing any or some contents of this exam, in whole or in part, in any form or by any means verbal or written, electronic or mechanical for any purpose whatsoever. NBEMS shall not entertain any

request for sharing any content of the examination including question paper and/ or answers to the questions. The publication of answer keys shall be governed by the **clause 10.7** of this information bulletin.

- 9.8.** इस परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी को दोस्तों, परिचितों या किसी तीसरे पक्ष के साथ शेयर नहीं किया जाना चाहिए; इसमें ऑनलाइन माध्यमों या सोशल मीडिया के ज़रिए शेयर करना भी शामिल है। सोशल मीडिया में WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, X (पहले Twitter), Instagram, Arattai, Google Chat, Blogs आदि शामिल हैं, चाहे इसके लिए अपने खुद के अकाउंट का इस्तेमाल किया जाए या प्रॉक्सी अकाउंट का।

No content of this exam must be shared with friends, acquaintances or third parties including sharing through online means or via social media. Social media includes but not limited to WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, X (formerly Twitter), Instagram, Arattai, Google Chat, YouTube, Blogs etc. using either one's own account or proxy account(s).

- 9.9.** किसी भी परीक्षा तैयारी सेवा, कोचिंग संस्थान या व्यक्ति द्वारा हाल ही में नीट-पीजी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों से परीक्षा की सामग्री का उपयोग करने, उसका खुलासा करने, उसे वितरित करने या उसकी मांग करने, अथवा किसी भी रूप में नीट-पीजी के वास्तविक प्रश्नों या उत्तरों तक पहुँच प्रदान करने पर सख्त प्रतिबंध है।

It is strictly prohibited for any exam preparation service, coaching institute, or individual to use, disclose, distribute, or solicit content from recent NEET-PG examinees, or to otherwise provide access to actual questions or answers from the NEET-PG in any form.

इसी तरह, उम्मीदवारों को नीट-पीजी प्रश्न पत्र या परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी या सामग्री को किसी व्यक्ति, परीक्षा की तैयारी कराने वाली सेवा, कोचिंग संस्थान, या किसी सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर साझा करने, उसकी नकल करने या उसे उजागर करने की सख्त मनाही है।

Similarly, candidates are strictly prohibited from sharing, reproducing, or disclosing any part of the NEET-PG question paper or examination content with any person, test preparation service, coaching institute, or through any social media or online platform.

अगर इस बात का साक्ष्य मिलता है कि किसी उम्मीदवार ने किसी ऐसे परीक्षा की तैयारी के प्रोग्राम, सर्विस या ऑनलाइन फ़ोरम में एनरोल किया है, हिस्सा लिया है या उसका इस्तेमाल किया है जो नीट-पीजी का कंटेंट (सवाल या जवाब) बांटता है, उसका एक्सेस देता है या उसका इस्तेमाल करता है, या जिसने ऐसा कंटेंट सीधे या परोक्ष रूप से शेयर किया है, तो नीट-पीजी के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी

और नीट-पीजी में उनकी उपस्थिति और नतीजे को भी अमान्य कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर नॉन-डिस्कलोज़र एग्रीमेंट के उल्लंघन के लिए आगे शैक्षणिक और / या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

If there is evidence that a candidate has enrolled in, participated in, or used any exam preparation program, service, or online forum that distributes, provides access to, or uses NEET-PG content (questions or answers), or has shared such content directly or indirectly, their candidature for NEET-PG shall be cancelled and their appearance as well as result in NEET-PG shall be nullified. Such candidates shall be subject to further punitive academic and / or legal action for violation of non-disclosure agreement.

- 9.10** नीट-पीजी के लिए रजिस्टर करके और/या उसमें शामिल होकर, उम्मीदवार इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए नीट-पीजी के लिए 'नॉन-डिस्कलोज़र एग्रीमेंट' (गोपनीयता बनाए रखने के समझौते) और इस्तेमाल की सामान्य शर्तों को साफ़ तौर पर स्वीकार करता है।

By registering for and / or appearing in NEET-PG the candidate explicitly agrees to the above Non-Disclosure Agreement and general terms of use for NEET-PG as contained in this Information Bulletin.

- 9.11** किसी भी अधिनियम का उल्लंघन करने या उसका उल्लंघन पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

Violation of any act or breach of the same shall be liable for penal action and cancellation of the candidature.

C. अनुचित साधन / Unfair Means

यदि प्रशिक्षण या परीक्षा की अवधि के दौरान, कोई उम्मीदवार निम्नलिखित में से किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अनुचित साधनों का उपयोग किया है / If during the course of training / examination, a candidate is found indulging in any of the following, he / she shall be deemed to have used unfair means: -

- 9.12** यदि कोई उम्मीदवार परीक्षाओं में शामिल होने में प्रवेश के लिए अपने (ट्रेनिंग) प्रशिक्षण / काउंसिलिंग / आवेदन पत्र में गलत विवरण देने का दोषी पाया जाता है, या उसने गलत विवरण देकर या झूठा जाली / दस्तावेज़ प्रस्तुत करके एनबीईएमएस की किसी भी परीक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने का प्रयास किया है / या प्रवेश प्राप्त कर लिया है, अथवा किसी मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण प्राप्त कर लिया है।

If a candidate is found to have made a wrong statement in his / her application form for appearance in the examinations / counseling / admission to the training or has attempted to secure or has secured admission to any of the examinations / courses of NBEMS or

has obtained registration with any medical council, by making a false statement or by production of a false / forged document.

- 9.13** अगर किसी भी स्टेज पर किसी उम्मीदवार ने सर्टिफिकेट या मार्क्स स्टेटमेंट में किसी एंट्री के साथ छेड़छाड़ की है, या किसी सरकारी या गैर-सरकारी संस्था द्वारा जारी किए गए किसी सर्टिफिकेट या एनबीईएमएस द्वारा उसे जारी किए गए किसी अन्य डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की है।

If at any stage a candidate has tampered with any entry in the certificate or statement of marks or any certificate issued by any governmental or non-governmental body or any other document that has been issued to him/ her by NBEMS.

- 9.14** किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (जैसे मोबाइल फ़ोन, चाहे उनमें इंटरनेट हो या न हो) का इस्तेमाल या अपने पास रखना (चाहे उन गैजेट्स का असल में इस्तेमाल किया गया हो या नहीं)।

Use / possession of any kind of electronic gadgets including mobile phones with or without internet (whether the gadgets are actually used or not).

- 9.15** कोई उम्मीदवार जो अपने कपड़ों, शरीर, डेस्क या टेबल, या सेट-स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, स्केल जैसे उपकरणों पर लिखे नोट्स से नकल करते हुए पाया जाता है; या जो अपने पास मौजूद किसी भी नोट, कागज़ या सामग्री को छिपाने, खराब करने, पढ़ने लायक न छोड़ने, निगलने या नष्ट करने का दोषी पाया जाता है; या जो परीक्षा हॉल के बाहर, टॉयलेट जाते समय या टॉयलेट में किसी व्यक्ति से बात करते हुए, या नोट्स या किताबों से मदद लेते हुए, या उत्तर-पुस्तिका या समाधान-सहित प्रश्न-पत्र का आदान-प्रदान करते हुए पाया जाता है।

A candidate found copying from notes written on any part of his / her clothing, body, desk or table or instrument like setsquares, protractor, scales etc. or who is found guilty of concealing, disfiguring, rendering illegible, swallowing or destroying any notes or papers or material found with him / her or found exchanging answer book or question paper with solution or talking to a person or consulting notes or books outside the Examination Hall, while going to the toilet or in the toilet.

- 9.16** प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की सहायता देना या प्राप्त करना, अथवा ऐसा करने का प्रयास करना।

Giving or receiving assistance directly or indirectly of any kind or attempting to do so.

- 9.17** परीक्षा के प्रश्न पत्र से संबंधित विषय से जुड़ी कोई भी नोटबुक, नोट्स, पर्चियाँ या कोई अन्य (चिट्स) अनधिकृत सामग्री अपने पास रखना।

Having in possession of any note-book (s) or notes or chits or any other unauthorized material concerning the subject pertaining to the examination paper.

- 9.18** परीक्षा अधीक्षक / कंप्यूटर प्रयोगशाला प्रभारी की अनुमति के बिना सीट / सिस्टम बदलना।
Change of seat / system without the permission of Examination Superintendent / In charge Computer Laboratory.
- 9.19** परीक्षा केंद्र / कंप्यूटर प्रयोगशाला में परीक्षा के समय परीक्षा कर्मचारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति से संपर्क या बातचीत करना या ऐसा करने की कोशिश करना।
Contacting or communicating or trying to do so with any person, other than the Examination Staff, during the examination time in the examination center / Computer Laboratory.
- 9.20** परीक्षा हॉल/कंप्यूटर लैब से टॉयलेट या किसी अन्य जगह जाते समय नोट्स, किताबों या किसी अन्य सामग्री या बाहरी व्यक्ति की मदद लेना।
Consulting notes, books or any other material or outside person while going out of the examination hall / Computer Laboratory to toilet or to any other place.
- 9.21** प्रतिरूपण / Impersonation.
- 9.22** टेस्ट सेंटर में प्रवेश पाने के लिए पेश किए गए फोटो पहचान-पत्र में जालसाजी करना / इस उद्देश्य से झूठे दस्तावेज़ पेश करना।
Forgery in photo identification produced to seek entry in the test centre / producing false documents for the purpose.
- 9.23** परीक्षा के संबंध में किसी भी अन्य अवांछनीय तरीके या साधन का उपयोग करना या उपयोग करने का प्रयास करना।
Using or attempting to use any other undesirable method or means in connection with the examination.
- 9.24** प्रश्न पत्र या उसके किसी भाग को अवैध रूप से बाहर ले जाना; या उत्तर पुस्तिका पूरक उत्तर पुस्तिका या / उसके किसी भाग को अवैध रूप से बाहर ले जाना।
Smuggling out Question Paper or its part; or smuggling out answer book / supplementary answer sheet or part thereof.
- 9.25** अपने पास पाई गई किसी भी पर्ची, कागज़ या सामग्री को लेकर भाग जाना, या उसे निगल जाना, या नष्ट कर देना।
Running away or swallowing or destroying any note or paper or material found with him / her.
- 9.26** यदि उत्तर पुस्तिकाओं से यह स्पष्ट होता है कि किसी उम्मीदवार ने नकल के माध्यम से किसी अन्य उम्मीदवार से मदद ली है या उसे मदद दी है।

If the answer books show that a candidate has received or given help to any other candidate through copying.

- 9.27** परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी अधिकारी या किसी भी उम्मीदवार को धमकाना।
Threatening any of the officials connected with the conduct of the examinations or threatening of any of the candidates.
- 9.28** उत्तर पुस्तिका या समाधान वाले प्रश्न पत्र को आपस में बदलते हुए पाया जाना, या किसी अनधिकृत सामग्री से नकल करते हुए पाया जाना।
Found exchanging answer book or question paper with solution or copying from unauthorized material.
- 9.29** दूसरे उम्मीदवार की कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन में ताकड़ांक करना।-
Peeping into the computer monitor screen of the other candidate.
- 9.30** अपनी पहचान बताना या ऐसा करने के लिए उत्तर-पुस्तिका में कोई खास निशान बनाना, या परीक्षा हॉल से निकलने से पहले अपनी उत्तर-पुस्तिका/कंटिन्यूएशन शीट जमा न करना।
Disclosing his / her identity or making distinctive mark in the answer book for that purpose or fails to deliver his/her answer book / continuation sheet before leaving the examination hall.
- 9.31** एनबीईएमएस या उसके टेक्नोलॉजी पार्टनर की वेबसाइट या उनके सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टमों को हैक करना, हैक करने का प्रयास करना या उनमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना।
Hacking or attempting to hack or causing interference with the website of NBEMS or its Technology Partner(s) or their Information Technology systems.
- 9.32** एनबीईएमएस, टेक्नोलॉजी पार्टनर या कंप्यूटर प्रयोगशाला के सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टमों के साथ छेड़छाड़ करना।
Tampering with Information Technology systems of NBEMS or Technology Partner(s) or Computer Laboratory.
- 9.33** कंप्यूटर प्रयोगशाला के कंप्यूटर सिस्टमों को नुकसान पहुँचाना।
Damaging the computer systems of computer Laboratory.
- 9.34** कोई भी उम्मीदवार जो परीक्षा से संबंधित किसी भी मामले में व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, एनबीईएमएस या उसके टेक्नोलॉजी पार्टनर के किसी परीक्षक, अधिकारी या कर्मचारी को

एनबीईएमएस कार्यालय, टेक्नोलॉजी पार्टनर के कार्यालय या उनके संबंधित आवासों पर प्रभावित करने या दबाव डालने का प्रयास करता हुआ या प्रयास कर चुका पाया जाता है।

Candidate found to have attempted or trying to attempt personally or through another person to influence or pressurize an examiner, or any officer or official connected with the examinations of the NBEMS or its technology partner, either at NBEMS or at the office of technology partner or their respective residence(s), in any matter concerned with the examinations.

9.35 उपरोक्त विवरण के अनुसार एनडीए का उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार के कृत्य को यूएमसी माना जाएगा।

Any candidate violating the NDA as detailed above will be treated as UMC.

9.36 अगर किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार परीक्षा के एक ही सत्र में कई बार शामिल हुआ है, या एनबीईएमएस की एक ही या अलग-अलग परीक्षाओं में अलग-अलग नामों से शामिल हुआ है, तो ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ अनुचित साधनों के इस्तेमाल का मामला दर्ज किया जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

If at any stage if it is found that the candidate has appeared multiple times in the same session of examination or has appeared in same or different examination of NBEMS with different names, unfair means case shall be registered against such candidate and dealt accordingly.

9.37 उम्मीदवार या किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई भी कृत्य जो परीक्षा के सुरक्षित, संरक्षित और सुचारू संचालन के लिए हानिकारक हो। इस संबंध में ईईसी का निर्णय अंतिम होगा।

Any act of candidate / any person which is detrimental to safe, secure and smooth conduct of examination. The decision of EEC in this regard shall be final.

9.38 परीक्षा के समय परीक्षा कक्ष में उम्मीदवार को किसी दूसरे उम्मीदवार से बात करते या झाँकते हुए पाए जाने पर।

Candidate is found talking / peeping to another candidate during the examination hours in the examination room.

9.39 जो उम्मीदवार परीक्षा केंद्र / कंप्यूटर लैब के सुपरिटेण्डेंट की बात मानने से इनकार करता है, किसी दूसरे उम्मीदवार के साथ अपनी सीट बदलता है, और / या परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी करता है, और / या परीक्षा हॉल में गलत व्यवहार करता है।

A candidate who refuses to obey the Superintendent of Examination center / Computer Lab and changes his/her seat with another candidate and / or creates disturbance of any kind during the examination and / or otherwise misbehaves in the examination hall.

- 9.40** अगर कोई उम्मीदवार ऊपर बताए गए अनुचित तरीकों या गलत व्यवहार में से किसी एक या ज़्यादा का इस्तेमाल करते हुए दोषी पाया जाता है, तो 'एग्जामिनेशन एथिक्स कमिटी' उस पर जुर्माना या सज़ा लगा सकती है। इस सज़ा में परीक्षा रद्द करना, अगले 14 प्रयासों या 7 सालों तक परीक्षा से बाहर करना, और / या उम्मीदवारी रद्द करना शामिल हो सकता है; कमिटी हर मामले पर विचार करने के बाद इस बारे में फ़ैसला लेगी।

Any candidate found guilty of having adopted anyone or more of the above Unfair means / misconduct is liable to be penalized with a penalty by the Examination Ethics Committee, which may vary from cancellation of the examination / expulsion up to next 14 attempts or 7 yrs and / or cancellation of candidature as may be decided by Examinations Ethics Committee after considering each case.

- 9.41 अस्वीकरण:** उपरोक्त सूची पूरी तरह से सांकेतिक है। अगर उम्मीदवार की तरफ़ से कोई ऐसी हरकत या चूक होती है जिससे परीक्षा की पवित्रता को नुकसान पहुँचता है, या उम्मीदवार का इरादा ऐसा करने का होता है, तो किसी व्यक्ति या उम्मीदवार को यूएमसी (अनुचित साधनों का इस्तेमाल) के तहत दोषी ठहराने के मामले में एनबीईएमएस का फ़ैसला ही आखिरी और मान्य होगा।

Disclaimer: The above list is purely indicative. If any act of omission or commission attributed to the candidate / intent by the candidate to vitiate the sanctity of the examination, the decision of NBEMS shall be final and binding for declaration of any person / candidate guilty of foregoing or such offence as shall be classified as UMC.

10. परिणाम / Result

10.1. योग्यता मानदंड / QUALIFYING CRITERIA **:

क्र. सं. S. No.	वर्ग CATEGORY	पात्रता मापदंड ELIGIBILITY CRITERIA
1	सामान्य / ईडब्ल्यूएस / General / EWS	50th Percentile
2	यूआर पीडब्ल्यूडी / UR PwBD	45th Percentile
3	एससी / एसटी / ओबीसी / SC / ST / OBC (एससी / एसटी / ओबीसी वर्ग के दिव्यांगजनों सहित / Including PwBD of SC / ST / OBC)	40th Percentile

नामित काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा पीजी सीटों के अलॉटमेंट के लिए काउंसलिंग में शामिल होने की योग्यता शर्तें, 'पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस (PGMER), 2023' और समय-समय पर नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) की पूर्व मंजूरी से जारी किए गए संशोधनों के अनुसार होंगी।

The eligibility criteria for participation in counseling towards allotment of PG seats conducted by designated counseling authority shall be in accordance with the Post Graduate Medical Education Regulations (PGMER), 2023 and its amendments as issued time to time by the National Medical Commission with prior approval of MoHFW, Govt. of India.

10.2. परिणाम की घोषणा / DECLARATION OF RESULT:

परसेंटाइल की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले का उपयोग करके की जाएगी / The percentile shall be calculated utilizing the following formula:

$$\text{Percentile of a candidate} = \frac{100 \times \text{Number of candidates with total score} \leq T}{\text{Total Number of candidates appeared}}$$

(T denotes score obtained by the candidate)

नीट पीजी-2026 का परिणाम **30-09-2026 तक** घोषित किया जाएगा। परिणाम एनबीईएमएस की वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर उपलब्ध होगा।

The result for NEET-PG 2026 will be declared **by 30-09-2026**. The result shall be available at NBEMS website <https://natboard.edu.in>

10.3. उम्मीदवार एनबीईएमएस की वेबसाइट से अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड परिणाम घोषित होने की तारीख से केवल **छह (06)** महीने की अवधि के लिए ही एनबीईएमएस की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेंगे। स्कोरकार्ड कंप्यूटर द्वारा

तैयार दस्तावेज़ हैं, जिन्हें केवल वास्तविक उम्मीदवारों द्वारा उनके लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। ईमेल या कम्युनिकेशन वेब पोर्टल के ज़रिए स्कोर कार्ड देने, या इस समय-सीमा के खत्म होने के बाद स्कोर कार्ड देने के अनुरोधों को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लें और एडमिशन सेशन खत्म होने और भविष्य में किसी भी इस्तेमाल के लिए उन्हें संभालकर रखें।

Candidates can download their score card from NBEMS website using their login credentials. The score cards shall be available for download at NBEMS website only for the period of **Six (06)** months from the date of declaration of result. Score cards are system generated documents which can only be accessed by the Bonafide candidates through their login credential. Requests to provide score card over email / through Communication Web Portal or to provide the score cards after expiry of this window shall be summarily rejected. Candidates are advised to download their score cards well in time and preserve the same till conclusion of admission session and any future utilization.

10.4. उम्मीदवारों द्वारा चिह्नित उत्तरों का दोबारा मूल्यांकन, दोबारा जांच या दोबारा कुल योग (re-totaling) नहीं किया जाएगा। दोबारा मूल्यांकन या दोबारा कुल योग के लिए किसी भी अनुरोध या सवाल पर विचार नहीं किया जाएगा।

There shall be **NO re-evaluation or rechecking or re-totaling of responses marked by the candidates.** Requests / Queries for re-evaluation / re-totaling **shall not be entertained.**

10.5. परिणाम घोषित होने से पहले, नीट-पीजी में पूछे गए किसी भी सवाल में अगर कोई तकनीकी गलती हो, तो परीक्षा होने के **दो (02)** कैलेंडर दिनों के अंदर **(यानी 01-09-2026 तक)** सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे चुनौती दी जा सकती है। **परीक्षा होने के दो (02) दिनों के बाद किए गए किसी भी दावे पर किसी भी हालत में विचार नहीं किया जाएगा।** सवाल के मुश्किल होने के स्तर से जुड़े किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी चुनौती सिर्फ वे असली उम्मीदवार ही दे सकते हैं जो परीक्षा में शामिल हुए थे; उन्हें एनबीईएमएस के कम्युनिकेशन वेब पोर्टल पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ज़रिए ही ऐसा करना होगा। Before declaration of the result, any question asked in the NEET-PG can be challenged for technical errors, if any, with supportive literature, in not more than **Two (02)** calendar days after conduct of examination **(i.e till 01-09-2026).** **No claims made beyond Two (02) days of conduct of examination shall be entertained under any circumstances.** No claims pertaining to the difficulty level of a question shall be entertained. Such challenge can *only* be raised by bonafide candidates who had

appeared in the examination through their registered email ID *only* at Communication Web Portal of NBEMS.

- 10.6.** नीट पीजी-2026 के आयोजन के बाद, संबंधित स्पेशलिटी एरिया के फैकल्टी सदस्य प्रश्न पत्र में पूछे गए हर सवाल की समीक्षा करेंगे ताकि सवालों और आंसर की (answer keys) की तकनीकी सटीकता की दोबारा जांच की जा सके। परीक्षा के बाद की समीक्षा में जो सवाल तकनीकी रूप से गलत या अस्पष्ट पाए जाएंगे, उनके लिए परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए जाएंगे, चाहे उम्मीदवारों ने उन सवालों को हल किया हो या नहीं।

Each and every question asked in question paper of NEET-PG 2026 shall be reviewed by faculty members from the concerned specialty area after the conduct of NEET-PG 2026 to re-check for technical correctness of the questions as well as answer keys. Full marks shall be awarded to all appeared candidates for such questions which will be found technically incorrect / ambiguous in post-examination review, regardless of whether candidates have attempted them or not.

- 10.7. उत्तर कुंजी का प्रकाशन:** माननीय सुप्रीम कोर्ट के SLP नंबर 9298 (2018) में 29.04.2025 के आदेशों के अनुसार, एनबीईएमएस अपनी वेबसाइट पर नीट-पीजी 2026 की आंसर की (उत्तर कुंजी) पब्लिश करेगा। सही आंसर की के साथ-साथ, नीट-पीजी 2026 में पूछे गए सवालों के लिए कैंडिडेट्स द्वारा दिए गए जवाब भी पब्लिश किए जाएंगे। नीट-पीजी 2026 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बताई गई मूल्यांकन प्रक्रिया (evaluation scheme) के अनुसार हर सवाल के लिए दिए गए स्कोर का भी जिक्र किया जाएगा। कैंडिडेट्स एनबीईएमएस वेबसाइट पर नीट-पीजी 2026 इंडेक्स पेज पर अपने एप्लीकेंट लॉगिन के ज़रिए केश्वन ID नंबर, सवालों की सही आंसर की और अपने द्वारा दिए गए जवाब देख सकेंगे।

Publication of Answer Key: In compliance with the orders dated 29.04.2025 of the Hon'ble Supreme Court in SLP No. 9298 of 2018, NBEMS shall publish the answer key of NEET-PG 2026 on its website. Along with the correct answer key, the response marked by the candidates to respective questions asked in NEET-PG 2026 shall also be published. The score given for each of the questions as per the scheme of evaluation detailed in the Information Bulletin of NEET-PG 2026 shall be mentioned too. The candidates shall be able to access the Question ID Numbers, correct answer key to questions and responses marked through their applicant login at NEET-PG 2026 index page at NBEMS website.

10.8. नीट पीजी-2026 परिणाम की वैधता/VALIDITY OF NEET-PG 2026 RESULT

- 10.8.1.** नीट-पीजी 2026 के नतीजे की वैधता सिर्फ मौजूदा एडमिशन सेशन, यानी एमडी / एमएस / पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए 2026-27 एडमिशन सेशन तक ही होगी और इसे एमडी / एमएस

/ पीजी डिप्लोमा कोर्स के अगले एडमिशन सेशन के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। कृपया ध्यान दें कि एमडी / एमएस / पीजी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से एनएमसी द्वारा जारी 'पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस, 2023' और भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत होता है।

The validity of the result of NEET-PG 2026 shall be only for the current admission session i.e. 2026-27 admission session for MD / MS / PG Diploma courses and cannot be carried forward for the next session of admissions for MD / MS / PG Diploma courses. Kindly note that the registration of admissions for MD / MS / PG Diploma courses is governed by Post Graduate Medical Education Regulations, 2023 issued by the NMC with prior approval of Central Government and the Judgments of Hon'ble Supreme Court of India.

टाईब्रेकर मापदंड-/TIE BREAKER CRITERIA:

- A.** दो या दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में, टाई (अंक बराबर होने की स्थिति) को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक टाई-ब्रेकिंग मापदंडों का उपयोग किया जाएगा। मेरिट स्थिति का निर्धारण अवरोही क्रम में निम्नलिखित टाई-ब्रेकर मापदंडों का उपयोग करके किया जाएगा:
In the event of two or more candidates obtaining same score, one or more of the following tie breaking criteria shall be used for resolving the tie. The merit position shall be determined using following tie breaker criteria in descending order:
- B.** पूरे प्रश्नपत्र में कुल मिलाकर कम संख्या में नकारात्मक उत्तर (गलत जवाब/नेगेटिव रिस्पॉन्स) देने वाले उम्मीदवार को बेहतर योग्यता स्थिति में रखा जाएगा, यानी मेरिट सूची में उसे उच्च रैंक मिलेगी।
Candidate having overall lesser number of negative responses in the entire question paper will be placed at a better merit position i.e. will get a higher rank in the merit list.
- C.** प्रश्नपत्र के सेक्शन ए में कम संख्या में नकारात्मक उत्तर (गलत जवाब/नेगेटिव रिस्पॉन्स) देने वाले उम्मीदवार को बेहतर योग्यता स्थिति में रखा जाएगा, यानी मेरिट सूची में उसे उच्च रैंक मिलेगी।
Candidate having lesser number of negative responses in the Section A of the question paper will be placed at a better merit position i.e. will get a higher rank in the merit list.
- D.** प्रश्नपत्र के सेक्शन बी में कम संख्या में नकारात्मक उत्तर (गलत जवाब/नेगेटिव रिस्पॉन्स) देने वाले उम्मीदवार को बेहतर योग्यता स्थिति में रखा जाएगा, यानी मेरिट सूची में उसे उच्च रैंक मिलेगी।
Candidate having lesser number of negative responses in the Section B of the question paper will be placed at a better merit position i.e. will get a higher rank in the merit list.
- E.** प्रश्नपत्र के सेक्शन सी में कम संख्या में नकारात्मक उत्तर (गलत जवाब/नेगेटिव रिस्पॉन्स) देने वाले उम्मीदवार को बेहतर योग्यता स्थिति में रखा जाएगा, यानी मेरिट सूची में उसे उच्च रैंक मिलेगी।

Candidate having **lesser number of negative responses in the Section C of the question paper** will be placed at a better merit position i.e. will get a higher rank in the merit list.

F. प्रश्नपत्र के सेक्शन डी में कम संख्या में नकारात्मक उत्तर (गलत जवाब/नेगेटिव रिस्पॉन्स) देने वाले उम्मीदवार को बेहतर योग्यता स्थिति में रखा जाएगा, यानी मेरिट सूची में उसे उच्च रैंक मिलेगी।
Candidate having **lesser number of negative responses in the Section D of the question paper** will be placed at a better merit position i.e. will get a higher rank in the merit list.

G. प्रश्नपत्र के सेक्शन ई में कम संख्या में नकारात्मक उत्तर (गलत जवाब/नेगेटिव रिस्पॉन्स) देने वाले उम्मीदवार को बेहतर योग्यता स्थिति में रखा जाएगा, यानी मेरिट सूची में उसे उच्च रैंक मिलेगी।
Candidate having **lesser number of negative responses in the Section E of the question paper** will be placed at a better merit position i.e. will get a higher rank in the merit list.

सभी एमबीबीएस प्रोफेशनल परीक्षाओं में अधिक कुल अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को बेहतर योग्यता स्थिति में रखा जाएगा, यानी मेरिट सूची में उसे उच्च रैंक मिलेगी। ऐसे भारतीय नागरिकों/ओसीआई के मामले में जिन्होंने भारत के बाहर से अपनी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त की है, उनके एफएमजी परीक्षा के अंकों (प्रतिशत में) को सभी एमबीबीएस प्रोफेशनल परीक्षाओं के कुल अंकों (प्रतिशत में) के स्थान पर माना जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिशत में कुल अंक आवेदक द्वारा एनबीईएमएस को अपना आवेदन पत्र जमा करते समय प्रदान किए जाने चाहिए। अंक दो दशमलव स्थानों तक नीचे की ओर पूर्णांकित एक सटीक मान (वैल्यू) के रूप में प्रदान किए जाने चाहिए। इस प्रक्रिया का एक उदाहरण निम्नलिखित है:-

Candidate securing **higher aggregate marks (in percentage) in all MBBS Professional Examinations** will be placed at a better merit position i.e. will get a higher rank in the merit list. In case of Indian Citizens/ OCI who have obtained their Primary Medical Qualifications from outside India, their FMG Examination marks (in percentage) shall be considered in lieu of aggregate marks (in percentage) in all MBBS Professional Examination. It is to be noted that the aggregate marks in percentage shall be provided by the applicant while submitting her/his application form to NBEMS. The marks shall be provided as an accurate value rounded down to two decimals. An illustration to this process is as follows:-

Candidates	Maximum Marks	Marks Obtained	Aggregate Percentage	Percentage to be rounded down to
A	900	623	69.22222	69.22
B	900	619	68.77777	68.77

उम्मीदवार द्वारा अपने नीट-पीजी आवेदन पत्र में दिए गए सभी एमबीबीएस प्रोफेशनल परीक्षाओं के कुल अंक (प्रतिशत में) / एफएमजीई में प्राप्त अंकों का सत्यापन, प्रवेश के समय काउंसलिंग/प्रवेश प्राधिकरण द्वारा मूल दस्तावेजों से किया जाएगा। **यदि किसी स्थिति में यह पाया जाता है कि नीट-पीजी आवेदन पत्र में दी गई जानकारी गलत है और संबंधित उम्मीदवार के टाई (अंक बराबर होने की स्थिति) को सुलझाने के लिए इस मापदंड का उपयोग किया गया है, तो नीट-पीजी के लिए उसकी उम्मीदवारी / पात्रता रद्द कर दी जाएगी।**

The aggregate marks (in percentage) in all MBBS Professional Examinations/ marks obtained in FMGE as provided by the candidate in his/her NEET-PG

application form shall be verified against the original credentials at the time of admission by the counseling/ admitting authority. **In an event it is noted that the information provided in the NEET-PG 2026 application form is incorrect and this criterion has been utilized to resolve the tie of the concerned candidate, his / her candidature for NEET-PG 2026 shall be cancelled.**

यदि उपरोक्त सभी मापदंडों को लागू करने के बाद भी टाई (अंक बराबर होने की स्थिति) को नहीं सुलझाया जा सकता है, तो टाई को सुलझाने के लिए जन्म तिथि का उपयोग किया जाएगा। नीट-पीजी आवेदन पत्र में दी गई जन्म तिथि सटीक होनी चाहिए और दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित (प्रमाणित) होनी चाहिए, जिनका सत्यापन पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय किया जाएगा।

If tie could not be resolved even after applying all the above-mentioned criteria, date of birth shall be utilized to resolve the tie. The date of birth provided in the NEET-PG application form must be accurate and duly supported with the documents which will be verified at the time of admission to PG course.

H. अधिक उम्र (आयु) वाले उम्मीदवार को बेहतर मेरिट स्थिति में रखा जाएगा, यानी मेरिट सूची में उसे उच्च रैंक मिलेगी।

An older candidate will be placed at a better merit position i.e. will get a higher rank in the merit list.

यदि किसी स्थिति में यह पाया जाता है कि नीट-पीजी आवेदन पत्र में दी गई जानकारी गलत है और संबंधित उम्मीदवार के टाई (अंक बराबर होने की स्थिति) को सुलझाने के लिए इस मापदंड का उपयोग किया गया है, तो नीट-पीजी के लिए उसकी उम्मीदवारी/पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

In an event it is noted that the information provided in the NEET-PG application form is incorrect and this criterion has been utilized to resolve the tie of the concerned candidate, his/her candidature for NEET-PG shall be cancelled.

10.9. मेरिट सूचियों का प्रकाशन / PUBLICATION OF MERIT LISTS:

10.9.1. नीट पीजी-2026 रैंक: यह नीट-पीजी 2026 में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों के बीच उम्मीदवार की कुल मेरिट स्थिति को दर्शाता है।

NEET-PG 2026 rank: This is the overall merit position of the candidate amongst all the candidates who have appeared in the NEET-PG 2026.

10.10. अखिल भारतीय 50% कोटा सीटों के लिए परिणाम / RESULT FOR ALL INDIA 50% QUOTA SEATS:

10.10.1. प्रवेश सत्र 2026-27 के लिए अखिल भारतीय 50% कोटा काउंसलिंग में भाग लेने के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र होंगे जो अखिल भारतीय 50% कोटा सीटों के लिए नामित काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

Only those candidates will be eligible to participate in the All India 50% quota counseling for 2026-27 admission session who fulfill the eligibility criteria provided by the designated counseling authority for All India 50% Quota seats.

10.10.2. इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई उम्मीदवार पैरा 10.1 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार नीट-पीजी 2026 में उत्तीर्ण हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वह नामित काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए पात्रता मानदंडों के आधार पर अखिल भारतीय 50% कोटा सीटों की काउंसलिंग के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची में शामिल न हो। हालांकि, ऐसा उम्मीदवार लागू नियमों, योग्यता मानदंडों, लागू दिशानिर्देशों और राज्य की आरक्षण नीतियों के अनुसार राज्य कोटा सीटों की काउंसलिंग के लिए विचार किए जाने का पात्र है।

It is hereby clarified that a candidate may qualify NEET-PG 2026 as per criteria mentioned in **para 10.1** but may not be in the list of candidates eligible for counseling for All India 50% quota seats based on eligibility criteria provided by designated counseling authority. Such a candidate is however eligible to be considered for counseling for State quota seats in accordance with applicable regulations, qualifying criteria, applicable guidelines and state reservation policies.

10.10.3. नीट-पीजी 2026 में 50वें परसेंटाइल (एससी / एसटी / ओबीसी के मामले में 40वां परसेंटाइल, जिसमें एससी / एसटी / ओबीसी के पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार भी शामिल हैं, और यूआर पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के मामले में 45वां परसेंटाइल) से कम परसेंटाइल पाने वाले उम्मीदवारों को एमडी / एमएस / पीजी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए नहीं माना जाएगा। Candidates securing less than 50th percentile (40th in case of SC / ST / OBC, including PWBD of SC / ST / OBC and 45th in case of UR PWBD candidates) in NEET-PG 2026 will not be considered for admission to MD / MS / PG Diploma courses.

10.10.4. किसी एकेडमिक ईयर में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए योग्य होने के लिए, 'राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, 2016' और एनएमसी द्वारा जारी 'पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस, 2023' के तहत तय बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए 'नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (नीट-पीजी)' में जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 45वें परसेंटाइल और एससी / एसटी / ओबीसी के लिए 40वें परसेंटाइल के मार्क्स लाना ज़रूरी होगा।

In order to be eligible for admission to Postgraduate Medical Course for an academic year, it shall be necessary for a person with benchmark disabilities as specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and Post Graduate Medical Education Regulations, 2023 issued by the NMC to score

the minimum marks of 45th percentile for General Category and 40th percentile for SC / ST / OBC in the National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET-PG).

दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जारी करने के केंद्र : 50% ऑल इंडिया कोटा / सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल कोर्स के लिए 5% PwBD रिज़र्वेशन का दावा करने हेतु PwBD सर्टिफ़िकेट जारी करने के लिए **33 सेंटर** तय किए गए हैं। **उम्मीदवार जानकारी के लिए अनुलग्नक-IV में दी गई गाइडलाइंस देख सकते हैं।**

Centres for issuing PwBD certificates: **33 Centres** have been identified for issuing PwBD certificate to claim for 5% PwBD reservation in medical courses in 50% All India Quota / Central Universities. **Candidates may refer to the guidelines provided in Annexure-IV for details.**

10.11. राज्य कोटा सीटों के लिए परिणाम / RESULT FOR STATE QUOTA SEATS

10.11.1. किसी राज्य के सभी मेडिकल संस्थानों में स्टेट कोटा की सीटें, और राज्य सरकार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के एक्ट से बने विश्वविद्यालयों, नगर निकायों, ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी या माइनॉरिटी संस्थानों द्वारा स्थापित संस्थानों की सीटें नीट-पीजी की मेरिट लिस्ट के आधार पर भरी जाएंगी। कोई भी राज्य सरकार/प्राइवेट मेडिकल कॉलेज/यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित नहीं करेगी।

State quota seats in all Medical Institutions in a State and seats in institutions established by State Govt., Universities established by an Act of State/Union Territory Legislature, Municipal Bodies Trust, Society, Company or Minority Institutions shall be filled by utilizing the merit list of NEET-PG. No State government / private medical college/ universities shall be conducting any entrance exam at their own level.

10.11.2. एनबीईएमएस संबंधित राज्यों के पात्रता मानदंडों, आरक्षण मानदंडों आदि को लागू किए बिना, भारत सरकार के डीजीएचएस के माध्यम से राज्य सरकारों काउंसिलिंग प्राधिकरणों को केवल / उम्मीदवारों का डेटा और एनबीईएमएस-पीजी 2026 में उनके स्कोर प्रदान करेगा। राज्य कोटा रैंक, राज्य श्रेणी रैंक, सेवारत उम्मीदवारों के लिए लाभ (सर्विस-इन), ग्रामीण पोस्टिंग यदि लागू आदि (होका निर्धारण / केंद्र शासित प्रदेशों की नामित एजेंसी / उत्पादन संबंधित राज्यों/ प्राधिकरण या संबंधित प्राधिकरण द्वारा लागू नियमों, पात्रता मानदंडों, दिशानिर्देशों और लागू आरक्षण नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

NBEMS shall be providing only the data of candidates and their scores in NEET-PG 2026 to the State Government / Counseling Authority, through DGHS, GoI, without applying eligibility criteria, reservation criteria etc of the concerned states. State quota rank, state category rank, benefit for In-service candidates, rural posting (if applicable) etc shall be determined/ generated by the designated agency / authority of the concerned States / UTs / concerned authority as per applicable Regulations, eligibility criteria, guidelines and applicable reservation policies.

- 10.11.3.** परिणाम घोषित होने के बाद, नीट-पीजी 2026 के रोके गए परिणामों से संबंधित अपडेट, यदि कोई हो, तो उन्हें एनबीईएमएस की वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर प्रकाशित किया जाएगा।

Updates related to the withheld results, if any, of NEET-PG 2026 subsequent to the declaration of the result shall be published on NBEMS website <https://natboard.edu.in>

विभिन्न कारणों से परीक्षा के आयोजन के बाद कुछ उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, जिसे एनबीईएमएस की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। **नामित काउंसलिंग प्राधिकरणों को ऐसे अपडेट के लिए नियमित रूप से एनबीईएमएस की वेबसाइट <https://natboard.edu.in> देखने की आवश्यकता होगी।**

Candidature of some candidates might be cancelled after conduct of examination for varying reasons which is also updated on NBEMS website. **The designated counseling authorities shall be required to regularly refer to NBEMS website <https://natboard.edu.in> for such updates.**

- 10.11.4.** एनबीईएमएस किसी भी राज्य कोटा सीटों विश्वविद्यालयों के लिए / निजी मेडिकल कॉलेजों / मेरिट सूची तैयार नहीं करेगा।

NBEMS shall not be preparing the merit list for any State quota seats / Private Medical College / Universities.

- 10.11.5.** अलग अलग होती हैं। राज्य-अलग राज्यों के पात्रता मानदंड और आरक्षण नीतियां अलग-काउंसलिंग प्राधिकरणों से अनुरोध है कि वे अपनी पात्रता मानदंडों / सरकारों, आरक्षण नीतियों, सेवारत उम्मीदवारों को मिलने वाले लाभ (सर्विस-इन), और ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रों में पोस्टिंग पर / रहे उम्मीदवारों को मिलने वाले लाभ के आधार पर, संबंधित राज्य में सीटों का विकल्प चुनने के

लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने हेतु अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए आवेदन पत्र बनाएं।

Different states have different eligibility criteria and reservation policies. State Government / Counseling authorities are requested to create their own application forms customized to their requirements to determine the eligibility of the candidates for opting for seats in the concerned state based on their eligibility criteria, reservation policies, benefit to in-service candidates, benefit to candidates who have undergone rural / difficult area postings.

- 10.11.6.** एनबीईएमएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरते समय उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। इसलिए, उम्मीदवारी पूरी तरह से प्रोविज़नल (अस्थायी) होगी और यह नीट-पीजी 2026 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बताई गई योग्यता शर्तों और संबंधित राज्य / यूनिवर्सिटी / संस्थान के नियमों को पूरा करने पर निर्भर करेगी।

NBEMS does not verify the information provided by the candidates during online submission of application form and hence candidature will be purely provisional subject to fulfilment of eligibility criteria as mentioned in the Information Bulletin for NEET-PG 2026 & criteria of State / Universities / Institutions concerned.

- 10.11.7.** उम्मीदवारों को संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों से यह पता कर लेना चाहिए कि क्या उन्हें लागू नियमों और / या ग्रेजुएशन वाले राज्य / संस्थान, आरक्षण नीति आदि के आधार पर स्टेट कोटा पोस्ट-ग्रेजुएट सीटों या इंस्टीट्यूट पूल में एडमिशन के लिए माना जाएगा। सिर्फ़ नीट-पीजी 2026 में शामिल होने या पास करने से ही कोई उम्मीदवार स्टेट कोटा सीटों या प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए योग्य या पात्र नहीं हो जाता है।

Candidates must verify from the respective State Government / UTs if at all they will be considered for admission to State Quota Post Graduate seats / Institute Pool based on applicable Regulation and / or, State / Institute of Graduation, reservation policy etc. Merely appearing/passing in NEET-PG 2026 does not make a candidate qualified and / or eligible for State Quota Seats / admission to Private Universities & Institutes.

11. परामर्श एवं आरक्षण / Counseling and Reservation

सीटों की उपलब्धता और काउंसलिंग/ Availability of seats and counseling: काउंसलिंग से संबंधित निर्देश/प्रक्रियाएं काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

Instructions / Procedures regarding counselling shall be notified by the counselling authority.

- सीट की उपलब्धता, काउंसलिंग आदि के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी), DGHS, MoHFW, भारत सरकार से संपर्क करें। एमसीसी, डीडीजी(एमई), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है / Contact Medical Counseling Committee (MCC), DGHS, MoHFW, Govt. of India for seat availability, counseling etc. Contact details of MCC, DDG(ME), Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare is given below:

Type of Seat	Counselling Authority	Official Website	Contact Details
50% seats of All India Quota	MCC of DGHS	www.mcc.nic.in www.mohfw.gov.in	Email : mccpostgraduate@gmail.com
100% seats of Deemed / Central Universities			**Phone No. : 0120-4073500
100% all India open DNB seats			**Toll Free No. : 1800 102 7637 (**from 09:00 AM to 06:00 PM)
In Service Seats	Counseling Authority of respective State Government		
<p>**कृपया उपरोक्त नंबरों पर केवल काउंसलिंग से संबंधित पूछताछ के लिए ही संपर्क करें। इस नंबर पर नीट-पीजी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि सभी प्रश्नों के उत्तर केवल कॉल सेंटर की समयावधि के दौरान अर्थात प्रातः 09:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक और केवल काउंसलिंग की अवधि के दौरान ही दिए जाएंगे।</p> <p>**Please contact the above numbers for queries related to Counseling only. NEET-PG examination related queries shall not be entertained at this number. Please note that all queries will be answered during the Call Centre timings only i.e. 09:00 AM to 06:00 PM and during the period of counseling only.</p>			

11.1. अखिल भारतीय कोटा की आरक्षण नीति के लिए कृपया एमसीसी के सूचना बुलेटिन को देखें, जब यह उनकी आधिकारिक वेबसाइट (<https://mcc.nic.in>) पर प्रकाशित किया जाएगा।

For the reservation policy of All India Quota please refer to information bulletin of MCC when published on their official website (<https://mcc.nic.in>).

- 11.2.** पीजी मेडिकल सीटों का आरक्षण भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के मानदंडों के (नियमों) अनुसार होगा, जैसा भी लागू हो।

Reservation of PG Medical seats shall be as per the norms of the Government of India and respective State Governments as may be applicable.

- 11.3. (i)** 'अनुष्का रेंगन्थवार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य' के मामले में WP (सिविल) 891/2021 में 03.02.2023 को दिए गए भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए, OCI कार्डधारक अब उन अधिकारों के हकदार होंगे जो उन्हें 04.03.2021 की विवादित अधिसूचना से पहले मिले हुए थे। उन्हें भारतीय नागरिकों के बराबर माना जाएगा और वे एमसीसी द्वारा आयोजित काउंसलिंग के लिए UR (सामान्य) श्रेणी की सीटों के साथ-साथ NRI सीटों के लिए भी पात्र होंगे।

Keeping in view the directions of Hon'ble Supreme Court of India in order dated 03.02.2023 passed in WP (Civil) 891 of 2021 in the matter of 'Anushka Rengunthwar & Ors. Vs Union of India & Ors., the OCI cardholders will now be eligible to the rights which were provided to them earlier to the impugned notification dated 04.03.2021. They will be treated at par with Indian citizens and will be eligible for UR (General) category seats as well as NRI seats for the purpose of counseling conducted by MCC.

- (ii)** एनआरआई उम्मीदवार अपनी मेरिट के आधार पर एनआरआई सीटों और भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित सीटों, दोनों के लिए पात्र होंगे।

NRI Candidates will be eligible for both NRI Seats and Indian National seats as per their merit.

- (iii)** इसके अतिरिक्त, एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ होने का दावा करने वाले उम्मीदवार एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण के पात्र नहीं होंगे और उन्हें केवल अनारक्षित माना जाएगा।

Further, candidates claiming to be NRI, OCI, PIO will not be eligible for reservation under SC / ST / OBC / EWS and will be treated as Unreserved only.

- 11.4.** ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट के अनुसार, ओबीसी - एनसीएल(नॉन-क्रीमी लेयर) वाले उम्मीदवार डीजीएचएस के एमसीसी द्वारा आयोजित काउंसलिंग (जिसमें ऑल इंडिया 50% कोटा सीटों की काउंसलिंग भी शामिल है) में ओबीसी आरक्षण का दावा करने के लिए पात्र हैं। क्रीमी लेयर में आने वाले ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण का दावा करने के पात्र नहीं हैं। इसलिए, नीट -पीजी के सभी ओबीसी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी कैटेगरी सावधानी से बताएं।

OBC - NCL (Non Creamy Layer) as per Central list of OBC are eligible to claim OBC reservation in the counseling to be conducted by MCC of DGHS including all India 50% quota seats counseling. OBC belonging to creamy layer are not eligible to claim OBC reservation. All OBC applicants for NEET-PG are accordingly advised to indicate their category carefully.

- 11.5.** काउंसलिंग से जुड़े निर्देश / प्रक्रियाएं काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा सूचित की जाएंगी।
Instructions / Procedures regarding counselling shall be notified by the counselling authority.

12. सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा संस्थानों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश / Admissions to PG Courses at Armed Forces Medical Services Institutions

12.1. नीचे बताए गए आर्म्ड फोर्सिज़ मेडिकल सर्विसेज़ (एएफएमएस) ट्रेनिंग संस्थानों में योग्य उम्मीदवारों के लिए दाखिला खुला है / Admission to the under mentioned Armed Forces Medical Services (AFMS) training institutes is open to eligible candidates:

- i) सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे। / Armed Forces Medical College, Pune.
- ii) आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल), दिल्ली कैंट। / Army Hospital (Research & Referral), Delhi Cantt.
- iii) आईएनएम, आईएनएचएस अश्विनी, मुंबई। / INM, INHS Asvini, Mumbai.
- iv) कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स, बैंगलोर। / Command Hospital Air Force, Bangalore.
- v) कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड (पूर्वी कमान), कोलकाता। / Command Hospital Eastern Command, Kolkata.
- vi) कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमान (पश्चिमी कमान), चंडीमंदिर। / Command Hospital Western Command, Chandimandir.
- vii) कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड (मध्य कमान), लखनऊ। / Command Hospital Central Command, Lucknow.
- viii) इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन, बेंगलुरु। / Institute of Aerospace Medicine, Bengaluru.
- ix) बेस हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट। / Base Hospital, Delhi Cantt.
- x) 7 एयर फ़ोर्स हॉस्पिटल, कानपुर / 7 Air Force Hospital, Kanpur.

12.2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एएफएमएस संस्थानों में पीजी पाठ्यक्रमों (एमडी / एमएस / डीएनबी) के लिए पात्रता मानदंड और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी के लिए एएफएमएस की आधिकारिक वेबसाइट (www.afmcdg1d.gov.in) देखें।

Candidates are advised to refer the official website of AFMS (www.afmcdg1d.gov.in) for eligibility criteria and admission procedure for PG courses (MD / MS / DNB) at AFMS institutions.

12.3. यदि उम्मीदवार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के संस्थान अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम करने का इच्छुक है, तो नीट-पीजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय, उम्मीदवारों को 'क्या आप सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के संस्थान अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम करने के इच्छुक हैं /' विकल्प के सामने 'हाँ' का चयन करना होगा।

In case the candidate is *willing to take up post graduate courses in institution / hospital of Armed Forces Medical Services*, at the time of online submission of application form for NEET-PG 2026, the candidates will have to select the option "YES" to "Are you willing to take up post graduate courses in institution / hospital of Armed Forces Medical Services".

- 12.4.** उम्मीदवारों को नीट-पीजी 2026 के स्कोर कार्ड और प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखना चाहिए, जिन्हें उनकी संबंधित श्रेणियों में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

Candidates should preserve their Scorecards & Admit Cards of NEET-PG 2026, which are required to be produced during counseling to be conducted for admission to Post Graduate courses in their respective categories.

12.5. सीटों का आवंटन और आरक्षण / ALLOTMENT OF SEATS AND RESERVATION:

- 12.5.1.** काउंसलिंग प्रक्रिया के विवरण और लागू होने वाले आरक्षण के संबंध में निर्देश प्रक्रियाएं / नामित काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा जारी की जाएंगी।

Instructions / Procedures regarding details of the counseling process and applicable reservation shall be released by the designated counseling authority.

- 12.5.2.** पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा संस्थानों में एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूडी के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

There is no provision of reservation of seats for SC / ST / OBC / PwBD in the Armed Forces Medical Services Institutions conducting Post Graduate Medical Courses.

- 12.5.3.** इन संस्थानों में चयन और अंतिम प्रवेश उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर और एएफएमएस द्वारा उनकी आधिकारिक वेबसाइट www.afmcdg1d.gov.in पर उल्लिखित प्राथमिकता क्रम के अनुसार एएफएमएस द्वारा किया जाएगा।

Selection and final admissions to these institutions shall be made by the AFMS based on merit of the candidates & as per order of precedence mentioned by the AFMS on their official website www.afmcdg1d.gov.in

- 12.5.4.** जिन उम्मीदवारों ने नीट-पीजी 2026 के माध्यम से एएफएमएस संस्थानों में पीजी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, उनके प्रवेश भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के नियमों और विनियमों के साथसाथ संबद्ध विश्वविद्यालयों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार किए जाएंगे।-

Candidates who have applied online for PG courses in AFMS institutes through NEET-PG 2026, the admissions shall be done as per Govt. of India, Ministry of Defence, rules and regulations in conjunction with those applicable to the affiliating Universities.

12.5.5. एएफएमएस संस्थानों से एमडी / एमएस / डीएनबी करने के इच्छुक सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए एएफएमएस शिक्षण संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की एएफएमएस काउंसलिंग के लिए पात्र होने हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत एमसीसी की वेबसाइट <https://mcc.nic.in> पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें विशिष्टताओं के आवंटन के लिए (स्पेशलिटीज) विचार नहीं किया जाएगा।

All eligible candidates desirous of pursuing MD / MS / DNB in AFMS institutions will have to mandatorily register with MCC of DGHS, MoHFW, Govt of India at its website <https://mcc.nic.in> to be eligible for AFMS counseling for Post Graduate courses at AFMS teaching institutes, failing which they will NOT be considered for allocation of specialties.

12.5.6. नामित काउंसलिंग प्राधिकरण, यानी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (एमसीसी), एएफएमएस में कार्यरत अधिकारियों (**Priority-I**) और मित्र विदेशी देशों के उम्मीदवारों व स्टडी लीव पर गए एएफएमएस अधिकारियों (**Priority-II**) की काउंसलिंग के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन का काम करेगी।

The designated Counseling Authority i.e., Medical Counseling Committee (MCC) will do only Registration part of AFMS for counseling of Serving AFMS Officers (**Priority-I**) and Candidates of Friendly Foreign Countries & AFMS Officers granted Study Leave (**Priority-II**).

पैरा-मिलिट्री और भारत सरकार के अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित मेडिकल अधिकारियों (**Priority-III**), पूर्व एएफएमएस एसएससी अधिकारियों (**Priority-IV**) और आम नागरिकों (**Priority-V**) की काउंसलिंग एमसीसी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से, उनकी आपसी मेरिट के आधार पर की जाएगी।

Counseling of Medical Officers sponsored by para military and other Govt organizations (**Priority-III**), Ex AFMS SSC Officers (**Priority-IV**) and civilian candidates (**Priority-V**) will be through online mode by the MCC based on inter-se merit.

इसके अलावा, एएफएमएस संस्थानों में अनंतिम रूप से सीट आवंटित पाने वाले नागरिक उम्मीदवारों (**Priority-V**) को संबंधित संस्थानों में चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा और एएफएमएस नीति के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट होना अनिवार्य होगा।

Further, civilian candidates (**Priority-V**) provisionally allotted seat in the AFMS institutes have to undergo medical examination at the respective institutes and have to be medically fit as per AFMS Policy.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एएफएमएस द्वारा आयोजित की जाने वाली चिकित्सा परीक्षा के नियमों और शर्तों से अच्छी तरह परिचित हो लें और इस संबंध में आगे की जानकारी के लिए एएफएमएस की वेबसाइट www.afmcdg1d.gov.in पर जाएं।

Candidates are advised to be familiar with the terms & conditions of medical examination by AFMS and visit AFMS website www.afmcdg1d.gov.in for further information in this regard.

- 12.6.** परिणाम घोषित होने के बाद, नीट-पीजी 2026 के रोके गए परिणामों से संबंधित अपडेट, यदि कोई हो, एनबीईएमएस की वेबसाइट <https://natboard.edu.in> पर प्रकाशित किए जाएंगे। विभिन्न कारणों से परीक्षा आयोजित होने के बाद भी कुछ उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, जिसे एनबीईएमएस की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। नामित काउंसलिंग अधिकारियों को ऐसे अपडेट के लिए नियमित रूप से एनबीईएमएस की वेबसाइट <https://natboard.edu.in> देखने की आवश्यकता होगी। Updates related to the withheld results, if any, of NEET-PG 2026 subsequent to the declaration of the result shall be published on NBEMS website <https://natboard.edu.in> Candidature of some candidates might be cancelled after conduct of examination for varying reasons which is also updated on NBEMS website. **The designated counseling authorities shall be required to regularly refer to NBEMS website <https://natboard.edu.in> for such updates.**
- 12.7.** विवादों का निवारण, यदि कोई हो, केवल नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार वाले दीवानी न्यायालयों के माध्यम से ही किया जाएगा।
The redressal of disputes, if any, shall only be through civil courts having jurisdiction of New Delhi alone.

13. संचार प्रोटोकॉल / Communication Protocols

- 13.1. इस सूचना बुलेटिन और एनबीईएमएस की वेबसाइट <https://natboard.edu.in> में दी गई जानकारी नीट-पीजी 2026 आवेदन जमा करने की पूरी प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करेगी और आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करेगी।

Information in this information bulletin & NBEMS website <https://natboard.edu.in> will guide you through the entire process of NEET-PG 2026 application submission and help answer most of your queries.

- 13.2. यदि आप अभी भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से एनबीईएमएस से संपर्क कर सकते हैं:

In case you are still facing issues, then you can contact NBEMS through any of the following modes:

- ***एनबीईएमएस उम्मीदवार केयर हेल्पलाइन (पसंदीदा मोड) / *NBEMS Candidate Care helpline (Preferred mode):**

हेल्पलाइन नंबर Helpline Number	+91-7996165333
हेल्पलाइन पोर्टल Helpline Portal	आवेदन पत्र जमा करने/असफल लेन-देन की वापसी/पेमेंट गेटवे से संबंधित समस्याओं आदि से जुड़े प्रश्नों के लिए / For queries related to application form submission/ Refund of failed transactions/ Payment Gateway related issues etc.: नीट-पीजी 2026 के लिए आवेदन पंजीकृत करने के बाद आवेदक लॉगिन के माध्यम से पोर्टल तक पहुँचा जा सकता है Portal can be accessed through applicant login after registering an application for NEET-PG 2026
	आवेदन पत्र जमा करने/असफल लेन-देन की वापसी आदि के अलावा अन्य प्रश्नों के लिए / For queries OTHER THAN application form submission/ Refund of failed transaction etc.: एनबीईएमएस कम्यूनिकेशन वेब पोर्टल, जो एनबीईएमएस वेबसाइट (Contact Us टैब के माध्यम (से सुलभ है। NBEMS Communication Web Portal accessible through NBEMS Website (Contact Us tab).
आधिकारिक वेबसाइट Official Website	https://natboard.edu.in
आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल / Official WhatsApp Channel	परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं एनबीईएमएस के आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध होंगी। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें: / Important updates related to the examination shall be shared on the Official WhatsApp Channel of NBEMS. Same can be accessed through the link below: लिंक / LINK: https://whatsapp.com/channel/0029VbAseBd7T8bTcZS9mq20

- **डाक द्वारा / By Post:**

• इन समयों के दौरान फोन सहायता उपलब्ध रहेगी / Phone support will be available during these times:

01-07-2026 से / to 02-10-2026

प्रातः 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे तक
09:30 AM to 06:00 PM

30-08-2026 (परीक्षा दिवस / Examination day)

प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
07:00 AM to 12:30 PM

*कार्य दिवस : सोमवार से शुक्रवार : प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर)

*Working Days : Monday to Friday: 09:30 AM to 06:00 PM (Except gazetted holidays)

- * उम्मीदवारों को **दृढ़ता से** सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुल्क के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र को **अंतिम तिथि से काफी पहले** पूरा करके जमा कर दें, और **आवेदन जमा करने की खिड़की (विंडो) के अंतिम दिन या अंतिम घंटों तक का इंतजार न करें।** आवेदन पत्र को जल्दी जमा करने से भुगतान से संबंधित समस्याओं (यदि कोई हो)—जैसे कि असफल लेनदेन, लंबित भुगतान मिलान, विलंबित निपटान स्थिति या बैंक / पेमेंट गेटवे द्वारा असफल लेनदेन की धनवापसी—के समाधान के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है, जिससे उम्मीदवार आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित आवेदन अवधि के भीतर नया (दोबारा) भुगतान करने में सक्षम हो सकेंगे।

Candidates are **strongly** advised to complete and submit the online application form, including payment of examination fee, **well before the last date** and **not to wait till the closing day / closing hours of the application submission window**. Early submission of the application form may provide sufficient time for resolution of payment-related issues (if any) such as unsuccessful transactions, pending payment reconciliation, delayed settlement status or refund of failed transactions by the bank / payment gateway, thereby enabling the candidate to make fresh payment, if required, within the prescribed application submission window.

आवेदन जमा करने के अंतिम दिनों / अंतिम घंटों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी तकनीकी समस्या जैसे कि वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफ़िक (कन्जेशन), भुगतान की विफलता, भुगतान निपटान / मिलान में देरी, सर्वर से संबंधित समस्याओं या किसी अन्य कठिनाइयों के लिए **एनबीईएमएस ज़िम्मेदार नहीं होगा।** उम्मीदवारों को आगे यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र कार्य दिवसों के दौरान और निर्धारित समय के भीतर

जमा करें ताकि यदि कोई विसंगति या त्रुटि ध्यान में आए, तो उसका समय पर समाधान किया जा सके। किसी भी कारण से आवेदन पत्र जमा करने में होने वाली देरी की पूरी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से उम्मीदवार की होगी और समय बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

NBEMS shall not be responsible for any technical issues such as website congestion, payment failure, delayed payment settlement / reconciliation, server-related problems or any other difficulties faced by candidates **during the last days / closing hours of submission**. Candidates are further advised to submit their application forms during working days and within the stipulated time so that any discrepancy or error, if noticed, may be resolved in a timely manner. **Delay in submission of the application form due to any reason whatsoever shall be solely the responsibility of the candidate and no request for extension of time shall be entertained.**

- 13.3.** एनबीईएमएस की किसी भी अन्य ईमेल आईडी पर भेजे गए नीट-पीजी से संबंधित प्रश्नों पूछताछ पर/ कार्रवाई नहीं की जाएगी।
Queries related to NEET-PG sent at any email ID of NBEMS shall not be processed.
- 13.4.** प्रश्नों पर तभी विचार किया जाएगा, जब उन्हें एनबीईएमएस के साथ रजिस्टर्ड कैंडिडेट की ईमेल आईडी से भेजा जाएगा।
Queries shall only be processed if same are sent through email ID of candidate registered with NBEMS.
- 13.5.** नीट-पीजी 2026 के लिए खास तौर पर बनाए गए हेल्पडेस्क को नीट-पीजी से जुड़े मामलों में भेजे जाने वाले संदेशों में ये जानकारी ज़रूर दी जानी चाहिए / Following Information must be provided in communications addressed to dedicated NEET-PG 2026 helpdesk regarding NEET-PG:
- उम्मीदवार का नाम / Name of the Candidate
 - ई-मेल आईडी / Email ID
 - मोबाइल नंबर / Mobile Number
 - पत्राचार का पता / Correspondence Address
 - नीट-पीजी 2026 के लिए आवेदन क्रम संख्या/अनुक्रमांक / Application sequence number / Roll Number for NEET-PG 2026
 - परीक्षा का सत्र / Session of Examination

उपरोक्त जानकारी के बिना भेजे गए संदेश पर विचार नहीं किया जा सकता है।

Communications sent without aforesaid information may not be entertained.

13.6. एक ही संदेश को बारबाहर न भेजें-, क्योंकि इससे प्रतिक्रिया की प्रक्रिया में देरी होगी।

Do not send the same communication multiple times, as it will delay the response process.

13.7. उन व्यक्तियों के प्रश्नों या पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा जो स्वयं को उम्मीदवार का प्रतिनिधि, सहयोगी या पदाधिकारी होने का दावा करते हैं।

Queries shall not be entertained from persons claiming themselves to be representative, associates or officiates of the candidate.

छवि अपलोड निर्देश

IMAGE UPLOAD INSTRUCTIONS

नोट : कृपया दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदन पत्र में अपलोड की गई छवियां- अंतिम संपादन/निर्देशों के अनुरूप नहीं होने या संपादन विंडो-दिशाविंडो में छवियों को ठीक न करने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।


Note: Kindly go through the guidelines carefully. Images uploaded in the application form which are not in accordance with the guidelines or failure to rectify the images in the edit window / final edit window shall invite rejection of application.

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार के पास नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार अपनी फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान की स्कैन की गई (डिजिटल) छवि होनी चाहिए। जब तक आप निर्देशानुसार अपनी फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपलोड नहीं करते, तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत (रजिस्टर) नहीं माना जाएगा।

Before applying online, a candidate will be required to have a scanned (digital) image of his/her photograph, signature and thumb impression as per the specifications given below. Your online application will not be registered unless you upload your photograph, signature and thumb impression as specified.

A. फोटोग्राफ / PHOTOGRAPH

फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया / Processes for photo upload:



उम्मीदवार को **दो फोटोग्राफ** अपलोड करने की आवश्यकता होगी / The candidate shall be required to upload **TWO photographs**:

1. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कंप्यूटर सिस्टम के वेबकैम/इन-बिल्ट कैमरे से ली गई रियल-टाइम फोटो। / A **REAL TIME PHOTOGRAPH** taken by the webcam/in-built camera of the computer system while filling the online application form:

- यह पुष्टि करें कि जिस सिस्टम का उपयोग फॉर्म भरने के लिए किया जा रहा है, उसमें इन बिल्ट कैमरा-या वेबकैम उपलब्ध है।

Confirm that the system used to fill the form has an in-built camera/webcam.

- b.** औपचारिक पोशाक में व्यवस्थित ढंग से तैयार रहें। (फॉर्मल ड्रेस)
Be properly dressed in a formal attire.
- c.** **सफ़ेद बैकग्राउंड** के सामने खड़े हों या बैठें (ध्यान भटकाने वाले बैकग्राउंड से बचें)।
Stand/sit against a **white background** (Avoid distracting backgrounds)
- d.** आपके चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, लेकिन वेबकैम पर सीधी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए।
There should be bright light falling on your face but not on the webcam.
- e.** वेबकैम के माध्यम से फोटो खींचते समय आपके पीछे कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। छवि में **कोई अन्य वस्तु या अतिरिक्त व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए**। सुनिश्चित करें कि छवि में केवल आप ही अकेले हों।
No objects should be behind you while capturing the photograph through web cam). The image **must not include other objects or additional people**. Ensure that you are only one person in picture.
- f.** तस्वीर में भाग लेने वाले व्यक्ति का पूरा चेहरा, कान, गर्दन और कंधे सामने से दिखने चाहिए; चेहरे के भाव सामान्य होने चाहिए (मुस्कान नहीं होनी चाहिए) और आँखें खुली व कैमरे की ओर होनी चाहिए।
The image must contain the full face, ears, neck, and shoulders of the entrant in frontal view with a neutral, non-smiling expression and with eyes open and directed at the camera.
- g.** छवि में उम्मीदवार के कंधों के नीचे के शरीर का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं होना चाहिए।
The image must not contain any parts of the body below the entrant's shoulders.
- h.** आवेदन पत्र में "कैप्चर फोटोबटन पर क्लिक करें।"
Click on "Capture Photo" button in the application form.

2. **हाल की एक फ़ोटो (3 महीने से ज़्यादा पुरानी न हो)** अपलोड करें, जिसे इस तरह तैयार किया जा सकता है:/ Upload a **RECENT PHOTOGRAPH (Not more than 3 months old)** which can be prepared in the following way:

डिजिटल कैमरे का उपयोग करके अपनी नवीनतम फोटो खींचना / CLICKING YOUR RECENT PHOTO USING DIGITAL CAMERA:

- ❖ **पहले से सेव की गई 3 महीने से अधिक पुरानी फोटो अपलोड न करें।** ऐसी फोटो अपलोड करना जो नवीनतम नहीं है, आपके आवेदन को रद्द करने का कारण बन सकती है।

**DO NOT UPLOAD MORE THAN 3 MONTH OLD PRE-
SAVED PHOTOGRAPH OF YOURS.** Uploading a photograph which is not a recent one shall invite rejection of application.



- ❖ यदि आपकी वास्तविक समय की फोटो और अपलोड की गई फोटो में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है, तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

IN CASE OF GROSS DIFFERENCE IN YOUR APPEARANCE IN REAL TIME PHOTOGRAPH AND UPLOADED PHOTOGRAPH, THE APPLICATION WILL BE REJECTED.

- a. फोटो में किसी भी संभावित त्रुटि से बचने के लिए, पिछले 3 महीनों के भीतर फोटोस्टूडियो- में खींची गई फोटो अपलोड करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि आप घर पर फोटो खींचने का निर्णय लेते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

Preference to be given to upload a photograph taken in a photo-studio in last 3 months to avoid any likely error in photograph. If you decide to take the photograph at home, please follow the instructions mentioned below.

- b. व्यवस्थित रूप से औपचारिक पोशाक (फॉर्मल ड्रेस) में तैयार रहें।

Be properly dressed in a formal attire.

- c. किसी भी हाई अधिमानतः) रिज़ॉल्यूशन डिजिटल डिवाइस-5-मेगापिक्सेल से अधिक रिज़ॉल्यूशन वाले का (उपयोग करके **तेज़ रोशनी** में रंगीन फोटो खींचें। फ्लैश का उपयोग करने से बचें क्योंकि इससे सफेद बैकग्राउंड पर छाया बनने की संभावना रहती है। अनुचित रोशनी में ली गई छवियों को खारिज कर दिया जाएगा।

Click colour photograph in **bright light** using any high resolution digital device (preferably with > 5-megapixel resolution). Avoid using flash as it tends to create a shadow on the white background. Images which are taken in with improper light shall be rejected.

- d. सेल्फी लेने से बचें; किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी फोटो खींचने के लिए कहें। वे आपको सही निर्देश देने में भी मदद कर सकते हैं, जैसे कि सिर सीधा रखना या बालों को कानों के पीछे करना। सेल्फी वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।

Avoid selfie; ask someone else to take the picture for you. They might also help to direct you a bit, like telling you to straight your head or tuck your hair behind your ears. Selfies shall be rejected.


- e. फोटो खिंचवाते समय चश्मा (रिफ्लेक्शन से बचने के लिए/शीशे में प्रतिबिंब), टोपी, धूप का चश्मा (गॉगल्स), गले में स्टेथोस्कोप, मेकअप या गहने न पहनें।
Do not wear spectacles (to avoid reflection in the glass), cap, goggles, stethoscope around neck, makeup, ornaments while getting the photo shot.
- f. **सफेद बैकग्राउंड** के सामने खड़े हों या बैठें। (ध्यान भटकाने वाले बैकग्राउंड से बचें)
Stand/sit against a **white background** (Avoid distracting backgrounds)
- g. बैकग्राउंड में कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। छवि में कोई अन्य वस्तु या अतिरिक्त व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि छवि में केवल आप ही अकेले हों। बैकग्राउंड में किसी भी वस्तु वाली छवियों को खारिज कर दिया जाएगा।
No object should be in the background. The image must not include other objects or additional people. Ensure that you are only one person in picture. Images having any object in the background shall be rejected.
- h. छवि में उम्मीदवार का पूरा चेहरा, कान, गर्दन और कंधे सामने से दिखाई देने चाहिए; चेहरे के हाव भाव सामान्य-होने चाहिए (न्यूट्रल), मुस्कुराते हुए नहीं, और आँखें खुली व कैमरे की ओर सीधी होनी चाहिए।
The image must contain the full face, ears, neck, and shoulders of the entrant in frontal view with a neutral, non-smiling expression and with eyes open and directed at the camera.
- i. छवि में उम्मीदवार के कंधों के नीचे के शरीर का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं होना चाहिए। कंधों के नीचे के शारीरिक अंगों वाली छवियों को खारिज कर दिया जाएगा।
The image must not contain any parts of the body below the entrant's shoulders. Images having parts of body below the shoulder shall be rejected.

डिजिटल फोटो को एडिट और अपलोड करने के लिए चेकलिस्ट / Checklist for editing & uploading the digital photograph:



- a. डिजिटल डिवाइस से फोटो को कंप्यूटर या लैपटॉप में ट्रांसफर करें। (कैमरे या फोन)
Transfer the photograph from the digital device to a computer/laptop.
- b. फोटो रंगीन होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए।
Photograph is in colour with white background.
- c. आपका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
Your face is clearly visible.
- d. छवि का साइज़ 80kb से कम होना चाहिए। छवि का साइज़ चेक करने के लिए उस पर राइट क्लिक- करें और फिर "Properties" लिंक पर जाएं।
The size of image should be less than 80kb. Size of the image can be checked by right click on the image and then go to "Properties" link. (Maintain aspect ratio, i.e. height and width ratio to avoid distortion of image)
- e. छवि .jpg या .jpeg फॉर्मेट में होनी चाहिए।
Image is in .jpg/jpeg format.
- f. एडिटिंग की प्रक्रिया के दौरान छवि धुंधली नहीं होनी चाहिए। (संपादन)
Image is not blurred in the process of editing.
- g. डिजिटल संवर्धन, अन्य किसी भी प्रकार का बदलाव या रिटचिंग (Retouching) करने की अनुमति नहीं है।
Digital enhancement or other alterations or retouching are not permitted.
- h. यह सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा फ्रेम के कम से कम 70-80% हिस्से को कवर करता हो।
Make sure your face takes up at least 70-80% of the frame.

B. हस्ताक्षर / SIGNATURE



आपके हस्ताक्षर की डिजिटल छवि दो तरीकों से बनाई जा सकती है / Digital image of your Signature can be made in two ways:

- डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करके सीधे इमेज कैप्चर करना।
Using a digital device to directly capture image
- हस्ताक्षर को स्कैन करना
Scanning the signature

I. डिजिटल डिवाइस का उपयोग करके हस्ताक्षर की डिजिटल छवि तैयार (कैमरे) करना / PREPARING DIGITAL IMAGE OF SIGNATURE USING A DIGITAL DEVICE (CAMERA):

डिजिटल डिवाइस का उपयोग करके हस्ताक्षर की फोटो खींचना / Clicking image of signature using a digital device:


- 1.5 cm (ऊंचाई) x 3.5 cm (चौड़ाई) साइज़ का एक बॉक्स बनाएं। इस बॉक्स के अंदर साइन करने के लिए काले या गहरे नीले रंग की स्पाही वाले पेन का इस्तेमाल करें।
Draw a box of size 1.5 cm (height) x 3.5 cm (width). Use a black or dark blue ink pen to sign within this box.
- किसी भी डिजिटल डिवाइस अधिमानतः) 5-मेगापिक्सेल से अधिक रिज़ॉल्यूशन वाला का उपयोग करके (, बॉक्स के भीतर किए गए हस्ताक्षर की फोटो खींचें। फोटो तेज रोशनी में लें और फ्लैश का उपयोग करने से बचें।
Click the signature within the box in bright light conditions using any digital device (preferably with > 5-megapixel resolution). Avoid using flash.
- यह सुनिश्चित करें कि कागज़ की शीट पर आपके हाथों, कैमरे या स्मार्टफोन आदि की परछाईं न पड़े।
Check the shadow of your hands/camera/smartphone etc. does not fall on the sheet.

हस्ताक्षर की डिजिटल छवि को एडिट करना / Editing digital image of the signature:

- डिजिटल छवि को कंप्यूटर या लैपटॉप में ट्रांसफर करें।
Transfer the digital image to a computer/laptop.

- b. यदि आवश्यक हो, तो छवि एडिटिंग सॉफ्टवेयर के **ऑटोकॉरेक्शन फीचर** का उपयोग करें ताकि सफेद बैकग्राउंड पर हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
If required, use **auto-correct feature** of image editing software so that the signature is clear against a white background.
- c. छवि को इस तरह **क्रॉप** करें कि बॉक्स के किनारे पूरी तरह से मिल जाएं।
Crop the image such that borders of box are reached.
- d. इमेज का साइज़ 80 Kb से कम करें (आस्पेक्ट रेश्यो बनाए रखें, यानी इमेज के बिगड़ने से बचाने के लिए ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात बनाए रखें)।
Resize the image to less than 80 Kb (maintain aspect ratio, i.e. height and width ratio to avoid distortion of image)

II. हस्ताक्षर स्कैन करना / SCANNING THE SIGNATURE:



- a. उम्मीदवार को अपने पूर्ण हस्ताक्षर करने चाहिए, न कि केवल नाम के शुरुआती अक्षर।
The candidate should provide his/her complete signatures and not just initials.
- b. हस्ताक्षर **केवल उम्मीदवार द्वारा ही किए जाने चाहिए**, क्योंकि इनकी किसी भी समय बार बार जांच की जा सकती है।
The signatures should be **done by the candidates only** as it may be checked any time frequently.
- c. **केवल बिना लाइनों वाले सफेद कागज** पर किए गए हस्ताक्षर ही स्वीकार किए जाएंगे।
Signature done on the blank **white page without lines only** will be accepted
- d. सफेद कागज लें और उस पर 3.5 x 1.5 cm (चौड़ाई x लंबाई) के आकार का बॉक्स (मार्क करें)।
Take the white sheet and mark the box size of 3.5 x 1.5 cm (width x height)


- e. नीले/काले पेन से बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करें।
Sign inside the box with **blue/black pen**.
- f. यदि परीक्षा के समय उत्तर पुस्तिका पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर, उपस्थिति पत्रक पर किए गए हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं, तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
If the Candidate's signature on the answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Attendance Sheet, the candidate will be disqualified.
- g. स्कैनर को 200 dpi पर सेट करें।
Set the scanner to 200 dpi
- h. स्कैन की गई छवि को .jpeg/.jpg फॉर्मेट में सेव करें।
The scanned image should be saved in .jpeg/.jpg format.
- i. केवल बॉक्स वाले हिस्से को क्रॉप करें, पूरे सफेद पेज को नहीं।
Crop only box area and not the complete white page.
- j. इमेज का आकार 80kb से कम होना चाहिए।
The size of image should be less than 80kb.

C. अंगूठे का निशान / THUMB IMPRESSION

अंगूठे के निशान की डिजिटल छवि तैयार करने के निर्देश
Instruction for preparing digital image of thumb print

अंगूठे का निशान लेना
Taking a thumb-print

- a. एक सफेद कागज पर 3.5 cm x 1.5 cm (चौड़ाई x लंबाई) का एक बॉक्स बनाएं। (आप कई अंगूठे के निशान लेने और उनमें से सबसे अच्छा चुनने के लिए एक से अधिक बॉक्स बना सकते हैं।)
Draw a box of 3.5 cm x 1.5 cm (width x height) on a white sheet of paper (you may draw more than 1 box to take multiple thumb print and select the best).



Draw a box of 1.5cm x 3.5cm for Left thumb impression



Left thumb impression within the box

b. एक नए नीले/काले रंग के इंक पैड का उपयोग करें।

Use a fresh **blue/black colour ink pad**.

c. अंगूठे का सही निशान प्राप्त करने के लिए एक कागज पर अभ्यास करें, विशेष रूप से रंग की डेंसिटी या डार्कनेस पर। प्रिंट का निशान स्पष्ट और पढ़ने योग्य होना चाहिए; यह न तो बहुत डार्क या धुंधला होना चाहिए और न ही बहुत हल्का।

Practice on a sheet of paper to get the proper thumb-print especially the density or darkness of the colour. The impression of the print should be clear and readable; neither dark nor

smudged or light.

d. शुरू करने से पहले अपने हाथों को साफ करें और उन्हें सुखा लें हाथों पर लगी गंदगी या तेल के कारण प्रिंट धुंधले हो सकते हैं।


Clean your hands and dry them before you begin (oil/dirt can obscure the prints)

e. अपने बाएं अंगूठे को धीरे से इंक पैड पर दबाएं और बॉक्स के अंदर अपने बाएं अंगूठे का हॉरिजॉन्टल निशान लें। अंगूठे को बहुत ज़ोर से न दबाएं और न ही हिलाएं, क्योंकि इससे निशान धुंधला हो सकता है।

Gently press your **LEFT THUMB** against the ink pad and take a horizontal print of your left thumb within the box. Do not press too much or wriggle as it may lead to smudging of print.



I. डिजिटल डिवाइस का उपयोग करके अंगूठे के निशान की डिजिटल छवि तैयार करना (कैमरा) / PREPARING DIGITAL IMAGE OF THUMB IMPRESSION USING A DIGITAL DEVICE (CAMERA)















II. अंगूठे के निशान को स्कैन करना / SCANNING THE THUMB IMPRESSION



- a. स्कैनर को 200 dpi पर सेट करें।
Set the scanner to 200 dpi.
- b. अंगूठे के निशान की स्कैन की गई छवि को .jpg/.jpeg फॉर्मेट में सेव करें।
Save the scanned image of thumb-print as .jpg/.jpeg format.
- c. केवल बॉक्स वाले हिस्से को क्रॉप करें।
Crop only box area.
- d. छवि का आकार 80kb से कम होना चाहिए। छवि के आकार की जांच करने के लिए उस पर राइट क्लिक करें और फिर "Properties" लिंक पर जाएं।
The size of image should be less than 80kb. Size of the image can be checked by right click on the image and then go to "Properties" link.

स्वीकार्य फ़ोटोग्राफ़ के लिए निर्देश

INSTRUCTIONS FOR ACCEPTABLE PHOTOGRAPHS

अस्वीकार्य NOT ACCEPTABLE	रद्द करने का कारण Reason for Rejection	अस्वीकार्य Acceptable
	<p>कटी हुई फोटो Cropped image</p>	
		
	<p>कैमरे की ओर सीधा न देखना Not looking straight into camera</p>	
		
	<p>ब्लैक एंड व्हाइट फोटो Black & White Photographs</p>	
		

	<p>अनुचित फ्लैश या अपर्याप्त रोशनी Improper flash or improper lighting</p>	
		
	<p>मोबाइल से ली गई फोटो ("सेल्फी सहित ("जिसके कारण चेहरा स्पष्ट न दिख रहा हो Photo taken with mobile phone (including "selfies") resulting in distorted face</p>	
		
	<p>मूल छोटी छवि को बड़ा करने के कारण स्पष्ट न दिखने वाली फोटो Distortion due to enlargement of an original smaller image</p>	
		
 <div style="text-align: center;">  </div>	<p>अनुचित बैकग्राउंड या चश्मे में फोटो Improper Background or Sunglasses</p>	 <div style="text-align: center;">  </div>



चश्मे पर अत्यधिक चमक
के कारण अस्पष्ट आँखें
Too much glare on
spectacles































आँखों के किनारे चश्मे
का फ्रेम
Spectacle rim over
eyes



स्वीकार्य हस्ताक्षरों के लिए निर्देश

INSTRUCTIONS FOR ACCEPTABLE SIGNATURES





















अस्वीकार्य हस्ताक्षर Not Acceptable Signature	रद्द करने का कारण Reason for Rejection	स्वीकार्य Acceptable
	आयताकार बॉक्स के बाहर होने वाला हस्ताक्षर Signature not in rectangle box	
		
	अधूरे हस्ताक्षर Signature not in full	
		
	नाम के शुरुआती अक्षर अस्वीकार्य Initials are unacceptable	
		
	बड़े अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर Signature in Capital	
		





















	<p>बहुत छोटे आकार का हस्ताक्षर। बॉक्स के बजाय पूरा स्कैन और अपलोडेड पेज Signature is smaller in size. Instead of the box, entire page is scanned and uploaded.</p>	
 		
	<p>सफेद बैकग्राउंड पर नहीं किया गया हस्ताक्षर Signature not in plain white background</p>	
 		
	<p>एक ही बॉक्स में हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान Signature and thumb impression in same box</p>	
 		
	<p>डार्क बैकग्राउंड में हस्ताक्षर Signatures with dark background</p>	
 		
	<p>आयताकार बॉक्स के बाहर हस्ताक्षर Signature outside the rectangle</p>	
 		

	<p>नीली या काली स्याही के अलावा किसी अन्य रंग में हस्ताक्षर Signature in other than blue or black ink</p>	
		
	<p>हस्ताक्षर के स्थान पर अपलोडेड फोटो Photograph uploaded in place of Signatures</p>	
		
	<p>हस्ताक्षर के स्थान पर अपलोडेड अंगूठे का निशान Thumb Impression Uploaded in place of Signatures</p>	
		

स्वीकार्य अंगूठे के निशान के लिए निर्देश

INSTRUCTIONS FOR ACCEPTABLE THUMB IMPRESSIONS

अस्वीकार्य हस्ताक्षर Not Acceptable thumb impressions	रद्द करने का कारण Reason for Rejection	स्वीकार्य Acceptable
	नीली या काली स्याही के अलावा किसी अन्य रंग में अंगूठे का निशान Thumb impression in other than blue or black ink	
		
	मोबाइल फोन कैमरे से डार्क/ बैकग्राउंड के साथ ली गई अंगूठे के निशान की फोटो Thumb impression taken via mobile phone/camera with dark background	
		
	अपूर्ण अंगूठे का निशान Incomplete thumb impression	
		
	अंगूठे के निशान की तस्वीर Picture of thumb impression	
		
	आंशिक रूप से कटा हुआ /पूरी तरह से स्कैन नहीं किया गया अपलोडेड अंगूठे का निशान Thumb impression uploaded is partly cropped / not scanned completely.	
		

	अस्पष्ट अंगूठे का निशान Thumb impression is not clear	
		
	हल्का (कम स्याही) अंगूठे का निशान Dry thumb impression	
		
	सफेद बैकग्राउंड पर नहीं (पृष्ठभूमि) किया गया अंगूठे का निशान Thumb impression not in plain white background	
		
	अत्यधिक स्याही के कारण अस्पष्ट अंगूठे का निशान Thumb Impression obscured by too much ink.	
		
	बहुत छोटा अंगूठे का निशान; बॉक्स के बजाय A4 साइज की पूरी शीट में अपलोड Thumb Impression is too small; upload full A4 size sheet instead of box alone	
		

PROFORMA FOR SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBE CERTIFICATE

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*
son/daughter* of of village/town*
..... in District/Division* of the
State/Union Territory* belongs to the..... caste/tribe* which is
recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under:—

- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951
- @ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976., the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

- @ The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956
- @ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976
- @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
- @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962
- @ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964
- @ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
- @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
- @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
- @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
- @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989
- @ The Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990
- @ The Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991
- @ The Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991
- @ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002
- @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002

% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati*..... Father/Mother of Shri/Shrimati/Kumari of village/town* in District/Division*..... of the State/Union Territory*..... who belongs to the caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* of issued by the dated

% 3. Shri/Shrimati/Kumari*..... and/or* his/her* family ordinarily resides in village/town* of..... District/Division* of the State/Union Territory* of.....

Signature.....
**Designation.....

(With Seal of Office)
State/Union Territory*

Place:

Date:

*Please delete the words which are not applicable.

@Please quote specific Presidential Order.

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term “ordinarily reside (s)” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate.

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/† Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.
†(not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.
- (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer(Lakshadweep)

NOTE: Candidates are advised to visit the official website of the Ministry of Social Justice and Empowerment (<https://socialjustice.gov.in>) for Scheduled Castes (SC) and the Ministry of Tribal Affairs (<https://tribal.nic.in>) for Scheduled Tribes (ST) to refer to the latest Presidential Orders, Constitution (Scheduled Castes/Tribal) Orders, and subsequent amendments/updates.

PROFORMA FOR OTHER BACKWARD CLASS (OBC) CERTIFICATE

(CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs), UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*.....son/daughter* of Shri..... of village/town*in District/Division*..... of the State/Union Territory*.....belongs to the.....Community which is recognised as a backward class under :

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC (C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 186 dated 13th September, 1993.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19-10-94, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 163 dated 20-10-1994.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24-5-95, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 88 dated 25-5-1995.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 60 dated 11th March, 1996.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated 11th December, 1996.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 236 dated 12th December, 1997.

@ Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 239 dated 17th December, 1997.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 241 dated the 27th October, 1999.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 270 dated 6th December, 1999.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 71 dated 4th April, 2000.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated the 21st September, 2000.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 246 dated 6th September, 2001.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section, 1 No. 151 dated 20th June, 2003.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I Section-1, No. 9 dated 13th January, 2004.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No. 67 dated 12th March, 2007.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 18th August, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No. 232 dated 18th August, 2010.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 11th October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No. 274 dated 12th October, 2010.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/15/2008-BCC dated 16th June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No. -123 dated 16th June, 2011.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/13/2010-BC-II dated 8th December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-257 dated 8th December, 2011.

@ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/05/2011-BC-II dated 17th February, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No.-41 dated 17th February, 2014.

Shri/Shrimati/Kumari*.....and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town*.....of.....District/Division* of the State/Union Territory* of

This is also to certify that he/she* does not belong to the persons/sections* (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt(SCT) dated 8-9-1993 O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9th March, 2004 and O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14th October, 2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 27th May, 2013.

Dated:

District Magistrate/ Competent Authority

Place :

Seal

*Please delete the words which are not applicable.

@ Strike out whichever is not applicable.

NOTE:

- a. The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
- b. The authorities competent to issue Caste Certificate are indicated below:
 - I. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.
(not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)
 - II. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
 - III. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
 - IV. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.
 - V. Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)
- c. Candidates may also refer to the official website of the National Commission for Backward Classes (<https://www.ncbc.nic.in>) for the latest guidelines, resolutions, and updates.
- d. The annual income/status of the parents of the applicant should be based on financial year ending **March 31, 2026**.

Government of.....
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

**INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY
ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS**

CERTIFICATE NO. :
VALID FOR THE YEAR :

DATE :

This is to certify that Shri / Smt. / Kum. _____ Son /
Daughter/Wife of Shri / Smt. _____ permanent resident of
Village / Town _____ District / Division _____ in the
_____ State/Union Territory _____
Pincode _____ whose photograph is attested below belongs to the Economically Weaker
Sections, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight
Lakh only) for the financial year..... His/her family does not own or possess any
of the following assets*** :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari.....belongs to the..... caste
which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes
(Central List)

Paste Recent Passport
Size Photograph of the
Applicant here

Signature with seal of Office

Name.....

Designation.....

* **Note 1:** Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

** **Note 2:** The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 15 years

*****Note 3:** The property held by a 'Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

PwBD उम्मीदवारों को पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन देने के लिए मूल्यांकन के तरीके पर अंतरिम गाइडलाइंस

INTERIM GUIDELINES ON ASSESSMENT METHOD FOR GRANTING ADMISSION IN POST GRADUATE COURSES TO PwBD CANDIDATES

प्रस्तावना / PREAMBLE:

समान और समावेशी मेडिकल शिक्षा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) सभी योग्य उम्मीदवारों, जिनमें दिव्यांगजन (PwD) भी शामिल हैं, के लिए मेडिकल कोर्स में निष्पक्ष पहुँच सुनिश्चित करने के अपने संकल्प पर अडिग है। 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' और 'पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा नियम (पीजीआईएमईआर), 2023' के प्रावधानों के अनुरूप, यह अंतरिम रिपोर्ट पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा कोर्स में दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों के दाखिले को आसान बनाने के लिए बुनियादी ढाँचे और तैयारी से जुड़े उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

In pursuit of equitable and inclusive medical education, the National Medical Commission (NMC) remains steadfast in its commitment to ensuring fair access to medical courses for all eligible candidates, including Persons with Disabilities (PwD). In alignment with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, and the Post-Graduate Medical Education Regulations (PGMER), 2023, this interim report outlines the foundational framework and preparatory measures for facilitating the admission of PwBD candidates in Post Graduate Medical Education Course.

यह रिपोर्ट मौजूदा व्यवस्थाओं को मज़बूत करने, चुनौतियों की पहचान करने और ऐसा माहौल बनाने के लिए सुझाव देने की दिशा में एक कदम है, जो सम्मान, भेदभाव न करने और समान अवसर के सिद्धांतों को बनाए रखे। यह रिपोर्ट विकलांगता का आकलन, पात्रता के मानदंड, उचित सुविधाएं, सुलभता के मानक और संस्थागत तैयारी जैसे अहम पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है।

This report serves as a step towards strengthening existing mechanisms, identifying challenges, and proposing recommendations for creating an enabling environment that upholds the principles of dignity, non-discrimination, and equal opportunity. It focuses on key aspects such as assessment of disability, eligibility criteria, reasonable accommodations, accessibility standards, and institutional readiness.

एनएमसी मेडिकल क्षेत्र में विविध तरह के लोगों के बहुमूल्य योगदान को मानता है और एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करता है जिसमें हर इच्छुक छात्र, चाहे उसकी शारीरिक या मानसिक क्षमता कैसी भी हो, मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने और कुशलता व संवेदना के साथ समाज की सेवा करने में सक्षम हो।

The NMC acknowledges the valuable contribution of a diverse medical workforce and envisions a system where every aspiring student, irrespective of physical or cognitive ability, is empowered to pursue a career in medicine and serve society with competence and compassion.

1. परिचय / Introduction

'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016' और उसके बाद जारी नोटिफिकेशन (खासकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा 12.03.2024 को जारी निर्देश, जो समावेशी शिक्षा और उचित व्यवस्था के सिद्धांतों पर ज़ोर देता है) और 'ओम राठौड़ बनाम भारत संघ व अन्य' (SLP (C) नंबर 21942/2024) मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 25.10.2024 के अहम फैसले के अनुरूप, उच्च शिक्षा में दिव्यांगों को शामिल

करने के राष्ट्रीय नज़रिए में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (यूजीएमईबी) ने 19.07.2025 को एमबीबीएस कोर्स में PwBD उम्मीदवारों को दाखिला देने के लिए अंतरिम गाइडलाइंस जारी कीं। इन अंतरिम गाइडलाइंस का पालन करते हुए, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने भी ज़रूरी कदम उठाए हैं और PG कोर्स के लिए दिव्यांगता संबंधी गाइडलाइंस की समीक्षा करने वाली मौजूदा एक्सपर्ट कमिटी का विस्तार करते हुए उसमें दो और एक्सपर्ट्स को शामिल किया है। 23.09.2025, 29.09.2025 और 03.10.2025 को हुई बैठकों में हुई चर्चा के आधार पर, एक्सपर्ट्स ने यह सुझाव दिया कि चूंकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में कई स्पेशलिटीज़ होती हैं और हर स्पेशलिटी के लिए खास मानदंडों की ज़रूरत होती है (जो एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है), इसलिए PG करने के इच्छुक उम्मीदवारों और मरीज़ों के हितों की रक्षा के लिए, एनएमसी को पोस्टग्रेजुएट पढ़ाई / प्रैक्टिस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ बदलावों के साथ 19.07.2025 की अंतरिम गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए।

In alignment with the **Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016**, and subsequent notifications, particularly the directive issued by the **Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE)** on **12.03.2024**, which underscores the principles of inclusive education and reasonable accommodation, and the landmark judgment of the **Hon'ble Supreme Court dated 25.10.2024** in *Om Rathod vs Union of India & Others* (SLP (C) No. 21942 of 2024), a significant shift has been initiated in the national approach toward disability inclusion in higher education. That as a result of said exercise, the Under Graduate Medical Education Board (UGMEB) on 19.07.2025 issued Interim Guidelines for granting admission to PwBD candidates in MBBS course. Following the said interim guidelines, the Post Graduate Medical Education Board has also initiated the necessary steps and expanded the existing expert committee to review the Disability guidelines for PG courses by including two additional experts. As a conclusion to the deliberation in the meetings held on 23.09.2025; 29.09.2025 and 03.10.2025, the experts recommended that considering the fact that Post Graduate course contains multiple specialties and each specialty requires specific criteria which is a complex and lengthy process, therefore in order to safeguard the interest of PG aspirants and patients, the interim Guidelines dated 19.07.2025 shall be followed by the NMC with certain modifications to fulfill requirement of postgraduate study/practice.

पीजीआईएमईआर-23 के एनेक्ज़र 9 के नोट नंबर 4 के अनुसार, विकलांगता की वह ऊपरी सीमा जिसके कारण कोई व्यक्ति पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स करने के लिए अयोग्य हो जाता है, उसे अंतिम गाइडलाइंस जारी होने तक रोक कर रखा जाएगा।

Upper limit of disability range which makes person ineligible to pursue a Post Graduate Medical course **as per Note no. 4 of Annexure 9 of PGMER-23** will be kept in abeyance till final guidelines are issued.

2. कार्यात्मक क्षमता दृष्टिकोण / Functional Competency Approach

ये कानूनी और नीतिगत बदलाव मिलकर, विकलांगता के लिए तय कड़े प्रतिशत-आधारित पैमानों के बजाय काम करने की क्षमता (functional competency) को प्राथमिकता देने पर जोर देते हैं। इसके जवाब में, नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने विकलांग उम्मीदवारों (PwBD) की चुनौतियों को कम करने और मेडिकल शिक्षा का माहौल निष्पक्ष और समावेशी बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इसमें ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, पात्रता के नियमों पर फिर से विचार करना और व्यक्ति की क्षमताओं पर केंद्रित मूल्यांकन के तरीके अपनाना शामिल है।

These legal and policy developments collectively emphasize the prioritization of **functional competency** over rigid **percentage-based disability thresholds**. In response, the **National Medical Commission (NMC)** has undertaken proactive measures to ease challenges faced by PwBD candidates, ensuring a fair and inclusive medical education environment. This includes facilitating reasonable accommodations, revisiting eligibility norms, and adopting evaluation criteria focused on individual capabilities.

3. अंतरिम प्रवेश प्रक्रिया / Interim Admission Approach

हर तरह की विकलांगता और हर स्पेशलिटी के लिए ज़रूरी क्षमताओं को तय करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जो कई पहलुओं वाली और लगातार बदलने वाली है। सहायक उपकरण और मेडिकल टेक्नोलॉजी भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और उनमें बदलाव आ रहे हैं। मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस में सबको शामिल करने और मरीज़ की सुरक्षा व क्लिनिकल क्षमता की ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है।

Defining essential competencies for each type of disability in each specialty involves a very complex process which is multi-dimensional & dynamic. Assistive devices & medical technologies are also rapidly advancing & evolving. Striking a balance between inclusion and the imperatives of patient safety and clinical competence in medical education and practice is of paramount importance.

यह बताना ज़रूरी है कि पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए स्पेशलिटी-के हिसाब से विचार-विमर्श की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़रूरी काबिलियत और स्किल्स का दायरा काफी बड़ा हो सकता है; इसलिए मेडिकल एक्सपर्ट्स, लाभार्थियों और स्टेकहोल्डर्स के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत की ज़रूरत है।

Pertinent to mention that Post Graduate medical courses shall require specialty specific deliberations, as the required competencies and skills may vary over a wider range and therefore extensive consultations with medical experts / beneficiaries / stakeholders are needed.

ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी ज़रूरी प्रक्रियाओं और आगे की बातचीत के बाद, अगले एकेडमिक सेशन से अंतिम गाइडलाइंस जारी और लागू की जाएंगी। हालाँकि, PwBD कैंडिडेट्स के लिए एडमिशन की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के जारी रहनी चाहिए। इसी के अनुसार, एनएमसी द्वारा बनाई गई कमेटी (जिसकी अध्यक्षता डॉ. अचल गुलाटी कर रहे हैं) के मेडिकल एक्सपर्ट्स के ग्रुप ने सर्वसम्मति से एडमिशन के लिए अंतरिम गाइडलाइंस अपनाने का फैसला किया है।

In view of aforesaid facts, final guidelines after following all procedural aspects and further consultations, shall be notified & implemented from subsequent Academic Years. However, the admission process for **PwBD** candidates must continue uninterrupted. Accordingly, **the group of medical experts under the committee duly constituted by NMC** (under the chairmanship of **Dr. Achal Gulati**), have unanimously reached to a conclusion to adopt **interim guidelines** for admissions.

4. यूडीआईडी पोर्टल का अनिवार्य उपयोग / Mandatory Use of UDID Portal

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) द्वारा 05.05.2021 को जारी राजपत्र अधिसूचना S.O. 1736(E) के अनुसार, 1 जून 2021 से सभी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड यूडीआईडी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जाने चाहिए।

As per **Gazette Notification S.O. 1736(E) dated 05.05.2021**, issued by the **Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD)**, all disability certificates and UDID cards must be issued via the **UDID online portal**, effective **June 1, 2021**.

इसीलिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूडीआईडी कार्ड को एक ज़रूरी दस्तावेज़ बनाया गया है। इस संदर्भ में, इसे दिव्यांग श्रेणी के तहत योग्य नीट-पीजी उम्मीदवारों की पात्रता का आकलन करने के लिए एक ज़रूरी और आधिकारिक प्रमाण माना जा सकता है।

Accordingly, the UDID card has been established as a mandatory document for persons with disabilities. In this context, it may be regarded as an essential and authoritative proof for evaluating the eligibility of meritorious NEET-PG candidates under the disability category.

5. MoSJE दिशानिर्देशों पर आधारित मूल्यांकन ढांचा / Evaluation Framework Based on MoSJE Guidelines

इसके अलावा, मरीजों की सुरक्षा और क्लिनिकल क्षमता के महत्व को देखते हुए, दिव्यांग उम्मीदवारों का मूल्यांकन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) द्वारा 12.03.2024 को जारी हालिया गाइडलाइंस के अनुसार किया जा सकता है। ये गाइडलाइंस एक व्यवस्थित और एकसमान ढांचा प्रदान करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांगता का मूल्यांकन व्यापक हो और मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़ी जिम्मेदारियों के अनुरूप हो। Further in view of the paramount importance of patient safety and clinical competence, the assessment of candidates with disabilities may be conducted in accordance with the recently notified guidelines dated 12.03.2024 issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE). These guidelines provide a structured and uniform framework to ensure that the evaluation of disability is both comprehensive and consistent with the responsibilities inherent to medical practice.

6. RPwD एक्ट के तहत संस्थागत ज़िम्मेदारियाँ / Institutional Responsibilities under the RPwD Act

RPwD एक्ट, 2016 के तहत बताई गई सिफारिशों के अनुसार, मेडिकल कॉलेज दिव्यांग उम्मीदवारों को समायोजित करने और उन्हें सुविधाएँ देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे / The medical colleges as per the recommendations prescribed under RPwD Act, 2016, shall make maximum efforts in accommodating and facilitating the candidates with disabilities:

• दाखिले और शिक्षा में भेदभाव न करना (धारा 16) / Non-Discrimination in Admission and Education (Section 16):

संस्थानों को यह पक्का करना चाहिए कि किसी भी दिव्यांग छात्र को दिव्यांगता के आधार पर दाखिला देने से मना न किया जाए और सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

Institutions must ensure that no student with a disability is denied admission on the grounds of disability and must provide an inclusive education system at all levels.

• बुनियादी ढांचे तक पहुँच (धारा 45) / Infrastructure Accessibility (Section 45):

संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार इमारतों, क्लासरूम, लाइब्रेरी, लैब, हॉस्टल और अन्य सुविधाओं तक बिना किसी रुकावट के पहुँचा जा सके।

Institutions must ensure barrier-free access to buildings, classrooms, libraries, laboratories, hostels, and other facilities as per the standards notified by the Government of India.

• संवेदीकरण और क्षमता निर्माण / Sensitization and Capacity Building:

कॉलेजों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे फैकल्टी, स्टाफ़ और छात्रों के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि समावेशी माहौल को बढ़ावा दिया जा सके और सोच-समझ से जुड़ी बाधाओं को कम किया जा सके।

Colleges are encouraged to conduct awareness and sensitization programs for faculty, staff, and students to promote an inclusive environment and reduce attitudinal barriers.

• विकलांगता मामलों के लिए नोडल अधिकारी / Nodal Officer for Disability Affairs:

संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे दिव्यांग छात्रों की चिंताओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करें या एक दिव्यांगता सेल (Disability Cell) स्थापित करें।
Institutions are advised to appoint a dedicated Nodal Officer or establish a Disability Cell to address the concerns and support needs of students with disabilities.

• **शिकायत निवारण प्रणाली / Grievance Redressal Mechanism:**

भेदभाव या ज़रूरी सुविधाएँ न मिलने से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक सुलभ और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए।
An accessible and responsive grievance redressal system must be in place to address complaints related to discrimination or lack of accommodation.

7. फ़ैसला लिया गया / Decision Taken

विशेषज्ञ पैनल ने PwBD कैटेगरी के तहत PG एडमिशन के लिए सर्वसम्मति से निम्नलिखित बातों पर सहमति व्यक्त की / The expert panel **unanimously agreed** on the following for PG admissions under the PwBD category:

1. PwBD उम्मीदवारों को ये जमा करना होगा / PwBD candidates must submit:

- MoSJE के तहत नियुक्त मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी वैध यूडीआईडी कार्ड।
A **valid UDID card** issued by a designated medical authority under MoSJE.
- अनुसूची-I में दिए गए प्रारूप में स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र।
Self-Certified affidavits in the format provided under **Schedule-I**.
- उम्मीदवार को अपने स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र के सत्यापन के लिए निर्धारित मेडिकल बोर्ड से संपर्क करना होगा।
The candidate will have to approach the designated medical board for verification of their self-certified affidavit.

2. निर्धारित मेडिकल बोर्ड को निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है / Designated Medical Boards are required to undertake following duties:

- शेड्यूल-I के तहत अपेंडिक्स में बताई गई क्षमताएं बुनियादी और अनिवार्य हैं। उम्मीदवारों को नामित मेडिकल बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार, अपनी बताई गई क्षमताओं को साबित करना होगा। अगर बोर्ड को उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर बताई गई क्षमताएं सही नहीं लगती हैं, तो उसे उम्मीदवार को मेडिकल कोर्स करने के लिए अयोग्य घोषित करते हुए एक तर्कपूर्ण निर्णय जारी करना होगा।
The competencies mentioned in the appendix under Schedule-I are basic & mandatory. The candidates, to the satisfaction of the designated medical board, may demonstrate the competencies that have been declared by him / her. If the board finds the declared competencies unsubstantiated based on the candidate's performance, it must issue a reasoned decision declaring him / her ineligible to pursue medical course.
- अगर कोई उम्मीदवार ज़रूरी काबिलियतों के बारे में खुद जानकारी देते समय एक या ज़्यादा काबिलियतों को नकारात्मक रूप से बताता है या लिस्ट में दी गई ज़रूरी काबिलियतों में से एक या ज़्यादा को दिखा नहीं पाता है, तो बोर्ड यह देखेगा कि क्या वह दूसरी वैकल्पिक क्षमताओं के ज़रिए इन

कमियों को पूरा कर सकता है; और पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स करने की उसकी क्षमता के बारे में समग्र रूप से विचार कर सकता है।

If the candidate while self-declaring the essential competencies mentions one or more competencies in negative or is not able to demonstrate one or more of the listed essential competencies, the board shall see if he / she is able to compensate such deficits, by other alternative functionalities; and may take a holistic view regarding his capability to pursue Post Graduate course.

- c) तय किए गए मेडिकल बोर्ड, उम्मीदवारों की अक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट और टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

The designated medical boards may utilize standardized tests and tools to evaluate the abilities of the candidates, as per their declaration, instead of focusing on the disabilities.

- d) नियुक्त मेडिकल बोर्ड के सभी फैसले कारण बताते हुए आदेशों (speaking orders) के रूप में होंगे। अगर बोर्ड को लगता है कि उम्मीदवार अपनी पसंद के कोर्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, तो वह उम्मीदवार की कार्य-क्षमता के आधार पर किसी उपयुक्त कोर्स की सिफारिश भी कर सकता है।

All decisions of the designated medical board(s) shall be in the form speaking orders. The Board, based on the functional competency of the candidate, may also recommend the appropriate course, in case the board finds that the candidate may not be able to perform in the preferred course.

- e) अगर उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट या सर्टिफिकेट से असंतुष्ट है, तो वह डीजीएचएस / एमसीसी के अधिकार क्षेत्र में मौजूद अपील की सुविधा का लाभ उठा सकता है, जिसके तहत एमसीसी उसे दोबारा जांच के लिए किसी दूसरे मेडिकल बोर्ड के पास भेज सकता है।

In case the candidate is aggrieved by the report / certificate issued by the medical board, he / she may avail the existing appeal provision under the jurisdiction of DGHS / MCC wherein the MCC may direct him / her to any other medical board for re-assessment.

नीट-पीजी स्कोर, संस्थान की पसंद और संबंधित मेडिकल बोर्ड द्वारा ज़रूरी दस्तावेज़ों की जांच के आधार पर काउंसलिंग अथॉरिटी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करेगी। मेडिकल कॉलेज उसी के अनुसार रहने की सुविधा देंगे। Admissions will be processed by the **counseling authority**, based on **NEET-PG scores**, institutional preferences, and verification of required documents by the concerned designated medical board(s). Medical colleges will provide accommodations accordingly.

अनुसूची / SCHEDULE-I

- परिशिष्ट / APPENDIX - A SELF CERTIFICATION FORM- GENERAL
- परिशिष्ट / APPENDIX - B AFFIDAVIT FOR DECLARING THE HEARING IMPAIRMENT
- परिशिष्ट / APPENDIX - C AFFIDAVIT FOR DECLARING THE LOCOMOTOR DISABILITY (UPPER LIMB EXTREMITY)
- परिशिष्ट / APPENDIX - D AFFIDAVIT FOR DECLARING THE LOCOMOTOR DIABILITY (LOWER LIMB EXTREMITY)
- परिशिष्ट / APPENDIX - E AFFIDAVIT FOR DECLARATION BY A PERSON WITH MENTAL ILLNESS/ SLD/ ASD
- परिशिष्ट / APPENDIX - F AFFIDAVIT FOR DECLARATION BY A PERSON WITH VISUAL DISABILITY
-

परिशिष्ट / APPENDIX-A

Self-Certification Affidavit

(To be filled by all applicants applying under PwBD Category)

Name of Candidate: _____

NEET-PG Roll No. : _____

NEET Score : _____

UDID No. : _____

Disability Type:

1. Locomotor

2. Hearing

3. Visual

4. Cognitive/SLD/

5. *Others : _____ (Please specify)

Disability Percentage as per [UDID card]: _____ %

Assistive Devices Used (If any): _____

Essential Functional Competencies:

Competency Area	Description	Candidate Declaration (✓ / X)
A. Communication	1. I can communicate clearly and empathetically with people using assistive devices.	
B. Hearing	2. I can hear and respond to speech in both quiet and noisy environments, with or without hearing aids or cochlear implants. 3. I undertake to fulfill the eligibility criteria set under Form Appendix - B	
C. Dominant Hand Functionality	1. I can write and hold instruments using my dominant or aided hand. 2. I undertake to fulfill the eligibility criteria set under Appendix - C and D	
D. Understanding / Communication	3. I can follow and comprehend medical terminology and maintain social interaction. 4. I undertake to fulfill the eligibility set under Form Appendix - E	

E. Vision	<p>5. My vision improves to the percentage lower than 40%</p> <p>6. I can perform with the help of Low vision Aid</p> <p>7. I undertake to fulfill the eligibility criteria set under Form Appendix - F</p>	
------------------	--	--

- I hereby affirm that I possess the essential competencies and I am capable of successfully undertaking the following Post Graduate Medical courses that I intend to pursue.
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- I am aware that any false declaration may result in revocation of admission.

Deponent Signature:_____

Date :

Place :

Notarized by:

***NOTE:** Persons with benchmark disabilities other than Locomotor / Visual / Hearing / SLD/ASD / Mental Illness will have to submit the self-certified affidavit at Appendix-A only (eg.: Blood disorders - Haemophilia, Thalassemia and Sickle cell disease Chronic Neurological Conditions etc.)

परिशिष्ट / APPENDIX-B

AFFIDAVIT (HEARING IMPAIRMENT)

I, _____, aged _____ years, son/daughter of _____, resident of _____, holding a valid UDID Card No. _____ issued by _____ on _____, do hereby solemnly affirm and declare as follows:

I have hearing loss in:

- Right Ear
- Left Ear
- Both Ears
- Neither

2. I use:

- Prescribed Hearing Aid
- Cochlear Implant
- None

3. I declare as under:

Sl. No.	Functional Ability regarding following Activities declared	Candidate Declaration (✓ / X)
1.	Communicate effectively using the above-mentioned assistive devices.	
2.	Engage in a conversation in a quiet room and in a noisy environment.	
3.	Understand and respond to verbal instructions.	
4.	Carry out phone conversations.	

4. I hereby affirm that I possess the essential competencies and am capable of successfully undertaking the following Post Graduate Medical courses that I intend to pursue.

- 1.
- 2.
- 3.

5. I am aware that any false declaration may result in revocation of admission.

Deponent Signature: _____

Date : _____

Place : _____

Notarized by:

परिशिष्ट / APPENDIX-C

AFFIDAVIT (LOCOMOTOR DISABILITY) {UPPER EXTREMITY- COORDINATED ACTIVITY}

I, _____, aged _____ years, son/daughter of _____, resident of _____, holding a valid UDID Card No. _____ issued by _____ on _____, do hereby solemnly affirm and declare as follows:

2. I declare that I am suffering from _____ Disability.
3. The condition causing this disability is diagnosed as
4. I am using/not using any assistive device/artificial limb etc.
5. I declare my functional ability in performing the basic Coordinated Activities as below:

Sl. No.	Functional Ability regarding following Activities declared	Candidate Declaration (✓ / X)
1.	Can you lift overhead objects and place them at the same place?	
2.	Can you touch tip of the nose with the tip of a finger?	
3.	Can you eat by yourself?	
4.	Can you groom, comb and plate by yourself?	
5.	Can you put on a shirt/kurta/upper garment on your own?	
6.	Can you clean yourself after toileting (Act of Ablution)?	
7.	Can you Drink water holding a Glass/tumbler?	
8.	Can you button/unbutton your clothes?	
9.	Can you put on trousers/pant/lower garment/Tie Nara, Dhoti, using the Zip as the case may be?	
10.	Can you hold a Pen/Pencil and write?	

6. I hereby affirm that I possess the essential competencies and am capable of successfully undertaking the following Post Graduate Medical courses that I intend to pursue.

- 1.
- 2.
- 3.

7. I am aware that any false declaration may result in revocation of my admission.

Deponent Signature: _____

Date: _____

Place: _____

Notarized by:

परिशिष्ट / APPENDIX-D

AFFIDAVIT (LOCOMOTOR DISABILITY) {LOWER EXTREMITY- STABILITY COMPONENTS}

I, _____, aged _____ years, son/daughter of _____, resident of _____, holding a valid UDID Card No. _____ issued by _____ on _____, do hereby solemnly affirm and declare as follows:

2. I declare that I am suffering from _____ Disability.
3. The condition causing this disability is diagnosed as
4. I am using/not using any assistive device/artificial limb etc.
5. I declare my ability to perform the following functions as below:

Sl. No.	Functional Ability regarding following Activities declared	Candidate Declaration (✓ / X)
1.	Can you bear weight and stand on both legs?	
2.	Can you bear weight and stand on your affected leg?	
3.	Can you walk on plain surfaces?	
4.	Can you sit on a chair by yourself?	
5.	Can you take turn to the right and left side?	

6. I hereby affirm that I possess the essential competencies and am capable of successfully undertaking the following Post Graduate Medical courses that I intend to pursue.

- 1.
- 2.
- 3.

7. I am aware that any false declaration may result in revocation of my admission.

Deponent Signature: _____

Date: _____

Place: _____

Notarized by:

परिशिष्ट / APPENDIX-E

AFFIDAVIT

(MENTAL ILLNESS/SPEECH DISORDERS/SPECIFIC LEARNING DISORDER/AUTISM SPECTRUM DISORDER)

I, _____, aged _____ years, son/daughter of _____, resident of _____, holding a valid UDID Card No. _____ issued by _____ on _____, do hereby solemnly affirm and declare as follows:

2. I declare that I am suffering from _____ Disability.
3. The condition causing this disability is diagnosed as
4. I am using/not using any assistive device/artificial limb etc.
5. I declare my ability to perform the following functions as below:

SL. NO.	Description	Candidate Declaration (✓ / X)
1.	I can communicate clearly and empathetically with families and colleagues.	
2.	I can listen and respond to speech in both quiet and noisy environments.	
3.	I can follow instructions, comprehend required medical terminology, and maintain social interaction.	
4.	I can understand and respond to verbal instructions and can carry out phone conversations.	

6. I hereby affirm that I possess the essential competencies and am capable of successfully undertaking the following Post Graduate Medical courses that I intend to pursue.

- 1.
- 2.
- 3.

7. I am aware that any false declaration may result in revocation of my admission.

Deponent Signature: _____

Date: _____

Place: _____

Notarized by:

परिशिष्ट / APPENDIX-F

AFFIDAVIT

(VISUAL IMPAIRMENT)

I, _____ aged, _____ years, son/daughter of _____, resident of _____, holding a valid UDID Card No. _____ issued by _____ on _____, do hereby solemnly affirm and declare as follows:

1. I have Visual Impairment in:

- Left Eye
- Right Eye
- Both Eye
- Neither

2. I am using Low Vision Aid(s) _____.

3. With the use of Low Vision Aid, I declare the fulfillment of following criteria:

SL. NO.	ALL MANDATORY CRITERIAS FULFILLED WITH THE LOW VISION AID	Candidate Declaration (✓ / ✗)
1.	Best corrected visual acuity improves such that the visual disability becomes less than 40%	
2.	The field of vision is > 40 degree in the eye which is using the LVA	
3.	The LVA is hands free and suitable for everyday use	

4. I hereby affirm that I can perform with the use of Low Vision Aid.

5. I hereby affirm that I possess the essential competencies and am capable of successfully undertaking the following Post Graduate Medical courses that I intend to pursue.

- 1.
- 2.
- 3.

6. I am aware that any false declaration may result in revocation of my Post Graduate Medical admission.

Deponent Signature: _____

Date:

Place:

Notarized by:

उन विकलांगता प्रमाणन केंद्रों की सूची जो यूजी / ब्रॉड स्पेशियलिटी पीजी कोर्स में 5% PwBD आरक्षण का लाभ उठाने के दावे के समर्थन में PwBD उम्मीदवारों को एनएमसी के नियमों के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

List of Disability Certification Centres who will issue Disability Certificates as per NMC norms to PwBD candidates in support of their claim to avail 5% PwBD reservation in UG / Broad Specialty PG Courses

S. No.	Name of Disability Certification Centre	City / State	Specialties available for which Disability Certificate can be issued as per category of Disabilities mentioned in Disability Certificate
1	Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital (VMMC & SJH)	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Visual disabilities category and Intellectual Disabilities & Behavioural disabilities.
2	All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (AIIPMR)	Mumbai	For Locomotor Disability only
3	Institute of Post Graduate Medical Education & Research (IPGMER)	Kolkata	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
4	Madras Medical College (MMC)	Chennai	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
5	Grant Government Medical College, J. J. Hospital Compound	Mumbai, Maharashtra	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
6	Goa Medical College	Goa	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Speech Disability.
7	Government Medical College, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram, Kerala	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate. Ophthalmology Tests to be conducted at Regional Institute of Ophthalmology, Thiruvananthapuram under GMC Thiruvananthapuram
8	SMS Medical College	Jaipur, Rajasthan	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except: 1. Neurology- Genetic Testing 2. ENT- Speech & Language Disability Testing Orthopaedics / PMR- Gonitometer Adult, Plumb Line, Hand Dynamometer, Laser
9	Govt. Medical College and Hospital, Sector32	Chandigarh	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
10	Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board	Agartala, Tripura	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
11	Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University	Varanasi, Uttar Pradesh	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Intellectual Disability.
12	Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Bandra, Mumbai	Mumbai, Maharashtra	For Hearing Disabilities only

13	AIIMS, Nagpur	Nagpur, Maharashtra	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
14	Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & RML Hospital (ABVIMS & RMLH) , New Delhi	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except ENT For Visual Disability: Candidates who use LVAs may bring their own LVAs which can be checked.
15	Lady Hardinge Medical College (LHMC) & Associated Hospitals	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Disability Certificate
16	All India Institute of Speech and Hearing (AIISH), Mysuru	Mysuru, Karnataka	For Speech & Hearing Disabilities only
17	Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah - 206130	Uttar Pradesh	
18	King George Medical University, Lucknow	Uttar Pradesh	
19	Civil Hospital, Ahemdabad	Gujarat	
20	New Civil Hospital, Surat	Gujarat	
21	PDU Hospital, Rajkot	Gujarat	
22	Assam Medical College, Dibrugarh	Assam	
23	Gauhati Medical College, Guwahati	Assam	
24	Silchar Medical College, Silchar	Assam	
25	Madurai Medical College & Govt. Rajaji Hospital, Madurai	Tamil Nadu	
26	Coimbatore Medical College Hospital	Tamil Nadu	
27	Thanjavur Medical College, Thanjavur	Tamil Nadu	
28	Zoram Medical College & Hospital Falkawn	Mizoram	
29	Dr Sushila Tiwari Memorial Government Hospital (under Government Medical College, Haldwani)	Uttarakhand	
30	Indira Gandhi Medical College & Hospital, Shimla-171001	Himachal Pradesh	

31	Dr. Rajendra Prasad Govt. Medical College & Hospital, Kangra at Tanda	Himachal Pradesh	
32	Government Doon Medical College, Dekhrakhas Patel Nagar, Dehradun-248001	Uttarakhand	
33	Pt. BD Sharma Post Graduate Institute of Medical Sciences, Rohtak	Haryana	

कृपया ध्यान दें / Please Note:

- सिर्फ वे उम्मीदवार जिन्हें एमसीसी के किसी भी तय नीट सर्टिफिकेशन सेंटर ने योग्य माना है, उन्हें ही एमसीसी पोर्टल पर PwBD कोटे के लिए अपनी पसंद भरने की अनुमति दी जाएगी।
Only those candidates who have been made eligible by any of the Designated NEET Certification Centers of MCC will be allowed to fill the choices for PwBD Quota on the MCC portal.
- PwBD उम्मीदवारों को अपनी विकलांगता की जांच और उसके स्तर का पता लगाने के लिए, तय किए गए PwBD नीट विकलांगता प्रमाणन केंद्रों पर खुद जाकर रिपोर्ट करना होगा।
The PwBD candidates have to report physically at the designated PwBD NEET Disability Certification Centres for physical examination and quantification of their disability.
- नीट के लिए तय किए गए विकलांगता प्रमाणन केंद्र पोर्टल के ज़रिए विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। इन प्रमाण-पत्रों में विकलांगता का प्रतिशत और यह जानकारी दी जाएगी कि उम्मीदवार PwBD आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं।
The designated NEET Disability Certification Centres will generate the Disability certificates online through the portal mentioning the percentage of disability and whether the candidate is eligible to avail the benefit of PwBD reservation or not.
- **इंट्राएमसीसी** पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन बनने वाले सर्टिफिकेट पर, सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता के लिए, जांच करने वाले डॉक्टर और तय नीट डिसेबिलिटी सेंटर द्वारा गठित डिसेबिलिटी बोर्ड के सदस्यों के डिजिटल या हाथ से किए गए हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए (पोर्टल से डाउनलोड करने के बाद)।
The certificates which are being generated online through the **INTRAMCC** portal have to be duly signed by the examining doctor and the members of the disability board constituted by the designated NEET Disability Centre, either digitally or by hand and stamped after downloading from the portal for the purpose of authenticity of the certificate.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092025-266044
CG-DL-E-10092025-266044

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3970]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2025/भाद्र 18, 1947

No. 3970]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2025/BHADRA 18, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

का.आ. 4085(अ).—जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से सक्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए विविध दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और जबकि केंद्रीय सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एतदुपरांत उक्त मंत्रालय के रूप में संदर्भित) ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के परामर्श के बाद अपने पत्र संख्या ई.एफ.सं.13(2)/2020-ईजी.॥ दिनांक 29.07.2025 के तहत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एतदुपरांत उक्त मंत्रालय या उक्त विभाग या उक्त एजेंसी के रूप में संदर्भित), भारत सरकार (एतदुपरांत उक्त सरकार के रूप में संदर्भित) को सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (एतदुपरांत उक्त नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत निर्धारित उद्देश्यों के लिए यह अनुमति दे दी थी कि उक्त सरकार/मंत्रालय/विभाग/एजेंसी को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है और आधार (वित्तीय और अन्य सक्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (एतदुपरांत

5979 GI/2025

(1)

अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के तहत इसे अधिसूचित किया जा सकता है।

और जबकि, उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत यथा निर्धारित हां/नहीं या/और ईकेवाईसी प्रमाणीकरण सुविधाओं (एतदुपरांत उक्त उद्देश्य के रूप में संदर्भित) का उपयोग करते हुए उक्त एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा परीक्षाओं के विभिन्न चरणों के दौरान उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा और उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण का प्रदर्शन स्वैच्छिक आधार पर होगा और उक्त मंत्रालय/विभाग/एजेंसी केवल उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण करेगी।

अतः, अब अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त मंत्रालय/विभाग/संस्था के माध्यम से निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार मंत्रालय/विभाग/एजेंसी प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।
2. उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है, मंत्रालय/विभाग/एजेंसी आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में सूचित करेगा और आधार संख्या धारक को आधार के प्रमाणीकरण से इनकार करने या असमर्थ होने पर कोई भी सेवा प्रदान करने से इनकार नहीं करेगा, अर्थात्,

क. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड

ख. पासपोर्ट

ग. मतदाता पहचान पत्र

घ. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।

2. यह अधिसूचना भारत सरकार के दिनांक 22 अगस्त, 2025 के राजपत्र अधिसूचना संख्या सां.आ. 3867 (अ.) के अधिक्रमण में जारी की जा रही है और यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. वी.11025/06/2025-एमईपी]

बिनोद कोतवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2025

S.O. 4085(E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Central Government in the Ministry of Electronics and Information Technology (hereinafter referred to as the said Ministry), after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. e.F.No.13(2)/2020-EG.II dated 29.07.2025 to the National Board of Examination in Medical Sciences (NBEMS), Ministry of Health and Family Welfare (hereinafter referred to as the said Ministry or the said Department or the said Agency), Government of India (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Government/Ministry/Department/Agency may be allowed to perform authentication and be permitted the use of

Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act).

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for verifying identity of candidates during various stages of national level medical examinations conducted by the said agency, using Yes/No or/and eKYC authentication facilities (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Ministry/Department/Agency shall perform the Aadhaar authentication only for the said purpose.

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the Central Government through the said Ministry/Department/entity hereby notifies the following, namely:—

1. 1. The Ministry/Department/Agency, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

2. As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis the Ministry/Department/Agency shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication namely,

- a. Permanent Account Number (PAN) card
- b. Passport
- c. Voter Identity Card
- d. Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicle Act, 1988.

2. This notification is being issued in supersession of Gazette Notification No S.O. 3867(E) of Government of India dated 22nd August, 2025 and shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. V.11025/06/2025-MEP]

VINOD KOTWAL, Addl. Secy.



आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड / National Board of Examinations in Medical Sciences
मेडिकल एन्क्लेव, अंसारी नगर / Medical Enclave, Ansari Nagar
महात्मा गांधी मार्ग (रिंग रोड) / Mahatma Gandhi Marg (Ring Road)
नई दिल्ली – 110029 / New Delhi – 110029
उम्मीदवार हेल्पलाइन / Candidate Helpline: +91-7996165333
वेबसाइट / Website : <https://natboard.edu.in/>
कार्य-दिवस: सोमवार से शुक्रवार प्रातः 09.30 बजे से शाम 06.00 बजे तक (राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर)
Working Days: Monday to Friday: 09:30 AM to 06:00 PM (Except gazetted holidays)